राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का दसवां दिवस [संख्या 8

बुधवार,

दिनांक 24 मार्च, 1971.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, नगर आयोजना, राजस्व, गृह, जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण, स्वायत्त शासन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों में सड़कों पर कार्य

75. **श्रीमती मदनकौर (पचपदरा)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला जोधपुर और बाडमेर में आगोलाई से माडपुरा, शेरगढ़ से पचपदरा और बालोतरा से समदड़ी सड़कों पर कंकरी और डामर बिछाने का काम हाथ में लिया गया था?

(2) प्रत्येक सड़क पर कितने कितने मील कंकरी और डामर बिछवाया जा चुका है? इन सड़कों पर पूर्ण डामर बिछाने का काम कब तक पूरा हो जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि ये तीनों सड़के प्लाण्ड रोड्स हैं?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाये।

प्रश्न सं. 76

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लादूराम सुलानिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह।

अकालग्रस्त क्षेत्र में लगान की वसूली

77. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि, राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जिस क्षेत्र में 3 वर्ष अकाल पड़ा हो वहां पहले वर्ष का लगान माफ कर दिया जाये और सिर्फ दो वर्ष का लगान वसूल हो?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(2) क्या यह सही है कि उनियारा तहसील जिला टोंक में सम्वत् 2022, 2023 व 2024 में अकाल रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार द्वारा इस वर्ष जो वसूली पत्र दिये गये हैं उनमें संवत् 2022 का लगान वसूल हो रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष विभाग द्वारा एक साथ सारी वसूली की जा रही है जिससे काश्तकार परेशान हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार इस वसूली को किश्तों में वसूल करना उचित नहीं समझती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो ऐसे आदेश प्रदान करेगी ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे भी आदेश प्रदान किये हुये हैं कि यदि तकावी की 4 किश्ते हैं तो सिर्फ एक फसल में 2 किश्तों से ज्यादा वसूल नहीं की जा सकती ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। केवल सं. 2022 व 2023 में अकाल रहा है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) आदेश सं. 7 (87) रा।ग।67 दिनांक 18-1-71 में बताई गई वसूली में प्रणाली के अतिरिक्त अन्य कोई आदेश जारी करने की बात राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(6) अकाल की दो किश्तें एक साथ वसूल करने के आदेश हैं बशर्ते कि पिछली बकाया अच्छी फसल होने पर समय पर चुका दी गई हो।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 2022 की वसूली बिल्कुल माफ कर दी थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी, यह सही नहीं है। अगर लगातार तीन वर्ष तक अकाल रहा है तो पहले वर्ष की वसूली की माफी की है।

श्री दिग्विजयसिंह : टोंक में लगातार दो वर्ष तक अकाल रहा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी में दो वर्ष तक लगातार नहीं रहा है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही नहीं है कि 2022 की वसूली नहीं की जाये ऐसे आदेश निकले हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 2022 की वसूली नहीं करेंगे-ऐसे आदेश निकले हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसा किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में नहीं है।

अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न सं. 78

श्री हंसराज आर्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बार्लासह सोढा : अध्यक्ष महोदय, हंसराज जो अभी आये नहीं हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर दिला दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट।

सिरकियों की नीलामी

79. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ए. ई. एन. सीकर द्वारा सन् 1969 व 1970 में कुल सिरकियां नीलाम की गई थीं? यदि हां, तो कब व कितनी संख्या में व किस रेट पर व क्यों नीलाम की गई व उनकी नाप क्या थी?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नीलामी के कुछ समय बाद सिरकियां खरीदी गई? यदि हां, तो कब खरीदी गई व कितनी संख्या में व किस रेट पर व क्यों खरीदी गई?

(3) क्या जो सिरकियां खरीदी गई उनकी नाप (लम्बाई-चौडाई) सही थी? यदि हां, तो क्या नाप था? यदि नहीं, तो क्यों; व अब वे सिरकियां कहां हैं?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह): (1) मास मई, 1970 में 643 सिरकियां 175 रुपये में वर्षा से खराब होने के कारण बेची गई थीं। सिरकियों की नाप 10'×4' तथा 8'×4' की नाप की थी।

(2) जी हां, माह जून तथा जुलाई 70 में एक एक हजार सिरकियां रु. 4.31 प्रति सिरकियां की दर से सीकर उपखण्ड में चल रहे सहायता कार्यों हेतु खरीदी गई थीं।

(3) जी हां, 8'×4' फीट नाप की हैं। 830 सिरकियां काम में आ चुकी हैं। शेष सिरकियां स्टोर में हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस

80. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) छबड़ा सब डिवीजन में टोपीदार बन्दूकों की व लाइसेन्सधारियों की संख्या कितनी है?

(2) कितने टोपीदार बन्दूक लाइसेन्सधारियों ने अपने नियत समय में लाइसेंस रिन्यू करवाये हैं व कितने लाइसेंस टोपीदार बन्दूकों के अभी बिना रिन्यू हुए शेष हैं?

(3) पिछले तीन सालों में कितने टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं हुए तथा उनकी मियादें गुजर गई व मियाद गुजरने के कारण जुर्माना

Page No 4

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
किये जाने के बाद रिन्यू किये गये टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंसों की संख्या कितनी है ? और कितना जुर्माना जमा करवाया गया है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) 4631.

(2) 2113 लाइसेंसधारियों ने नियत समय में अपने अनुज्ञा-पत्रों का नवीनीकरण करा लिया है। तथा 2318 अनुज्ञा-पत्रों का नवीनीकरण होना शेष है।

(3) 1035 टोपीदार बन्दूकों के लाइसेंसों का पिछले 3 सालों में समय पर नवीनीकरण नहीं हुआ और इन्हीं 1035 लाइसेंसधारियों पर जुर्माना किया जाकर लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया। जुर्माना के 561 रु. जमा करवाये गये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या यह सही है कि आपने जो जुर्माने की राशि बताई है, यह बिल्कुल नगण्य है ? एक एक बन्दूक पर करीब 50–50 रुपया जुर्माना हुआ है। इसका कारण यह है कि काश्तकार बिना पढ़े लिखे होते हैं। उन पर 50–50 रुपया जुर्माना किया गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। जो जुर्माना हुआ है वही बताया है। एक्ट के अन्दर रूल्स दिये हुये हैं। इसमें कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि लोगों पर 20–20 रु. जुर्माना हुआ है ? यह इन्फार्मेशन अगर गलत है तो क्या जांच करायेंगे जिससे कि सच्चाई सामने आ जायेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर माननीय सदस्य बता देंगे तो जरूर जानकारी करा लेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : काश्तकार अनपढ़ होने की वजह से 2–3 साल हो गये हैं उनको नामिनल दण्ड पर उनका नवीनीकरण हो जाना चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया का कानून है। इसकी मियाद 31 मार्च, 71 तक बढ़ायी गई है। वह 71 तक नवीनीकरण करा लें। राजस्थान सरकार ने भी समय समय पर आदेश इस सम्बन्ध में जारी किये हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मगर काश्तकार परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक प्रकार की ठीक व्यवस्था कर दें ताकि एक साल की मियाद निकल गई हो तो ऐसे लोगों पर अधिकारी लोग अधिक जुर्माना न करें।

एक माननीय सदस्य : क्या टोपीदार बन्दूकों के लिए जिन लोगों को लाइसेन्स दिया गया उन व्यक्तियों से फोटो मंगाया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, कानून में पहले प्राविजन था कि लाइसेन्सदार की फोटो होनी चाहिए। अब

Page No 5

(श्री हीरालाल देवपुरा)
सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, और हमने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को भी लिखा है कि इस फोटो वाली बात को निकाल दिया जाय। जब तक वहां से आदेश न आ जायं तब तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। इसलिए जो फोटो लेने की बात है वह पहले कानून में थी इसलिए ली गई थी।

दूसरे जो छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि सारे नियम बने हुए हैं, इसमें मनमानी करने का प्रश्न नहीं होता। कानून के अन्दर प्राविजन है उसके तहत कार्यवाही की जाती है। आप जो मनमानी के लिए कहते हैं, उसमें प्राविजन डिस्क्रिशन यूज करने का अवश्य है और डिस्क्रिशन के अनुसार जुर्माना किया जा सकता है लेकिन उसमें जो सीमा है उससे आगे नहीं किया जा सकता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : वह मन में आये जैसा व्यवहार करते हैं, जो सीमा है जुर्माना करने की उससे आगे बढ़ते हैं और काश्तकारों से पचास रुपये तक जुर्माना लिया जाता है, जब कि पचास रुपये की बन्दूक नहीं होती है। इसके अलावा काश्तकार को कई चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या उनको राहत देने का कोई उपाय नहीं है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री दिग्विजय सिंह।

सरकारी कार्य मे अ.ई भूमि का लगान

81. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों में कई काश्तकारों की खुद काश्त भूमि पर सड़क व सिंचाई विभाग द्वारा कार्य किए गए हैं?

(2) क्या यह सही है कि काश्तकारों से उस भूमि का भी लगान लिया जा रहा है जिसे सरकार ने अकाल राहत कार्यों में ले ली है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या तहसीलदारों द्वारा ऐसी समस्त भूमि का नक्शा बनाकर जिलाधीशों को भेज दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) क्या सरकार इस विषय पर ध्यान देते हुए समस्त जिलाधीशों को उचित आदेश प्रदान करने का विचार रखती है?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) तहसीलदारों द्वारा ऐसी अवाप्त की गई भूमि का नक्शा जिलाधीशों को भेजने की कार्यवाही जारी है।

(4) जिलाधीशों को आदेश दिए हुए हैं कि किसी भी काश्तकार की भूमि अवाप्त हो जाने के पश्चात् उसमे लगान वसूल नहीं किया जाए।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य करने से पूर्व आपने अवाप्त करने की कार्यवाही की थी?

श्री गंगाराम चौधरी : अवाप्त करने की कार्यवाही वैसे नियमानुसार नहीं की जाती

(श्री गंगाराम चौधरी)
है, अकाल राहत कार्यक्रम होते हैं उनके लिए नेगोसियेशन से काश्तकारों से जमीन ली जाती है और वहां पर अकाल राहत काम शुरू कर दिया जाता है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन अकाल राहत कार्यों में सड़क निर्माण हुआ या और जो काम हुए उनमें काश्तकारों की खुद काश्त की भूमि आ गई है, वह रेवेन्यू रिकार्ड से डिलीट नहीं हुई है, तो एक तो काश्तकारों की भूमि रोड के अन्दर चली गई है, और दूसरे उनसे लगान लिया जा रहा है। मेरा साफ प्रश्न है, जो भूमि आपकी रोड के अन्दर आगई है उस पोर्शन का लगान डिलीट करने का क्या आपने आदेश दिया है? एक तो उनको मुआवजा नहीं मिला है, दूसरे उनसे लगान और लिया जा रहा है।

श्री गंगाराम चौधरी : अकाल राहत कार्यों में जो भूमि ली जाती है उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। ऐसा आदेश जारी किया है और पहिले भी किया गया था। अभी हाल में ही 4 मार्च, 70 को फिर आदेश कर दिया गया है, जो भूमि अवाप्त कर ली गई है उसका लगान माफ कर दिया जाय और रिकार्ड, में दुरुस्ती कर दी जाय, किसानों से लगान नहीं लिया जाय–ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्न कर्ता!

श्री दिग्विजयसिंह : आपने कहा था कि भूमि अवाप्त नहीं की जाती है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि लैंड एक्वीजीशन एक्ट के प्राविजन्स के तहत कार्यवाही नहीं होती है, नेगोसियेशन्स के जरिये जमीन ली जाती है। और उसको अवाप्त समझा जाता है, इसलिए लगान माफ कर दिया जाता है।

श्री दिग्विजय सिंह : नेगोसियेशन के जरिये जो भूमि ली है, उसके अन्दर कुछ तो तय किया होगा कि मुआवजा देंगे या लगान छोड़ेंगे? कुछ तो बातचीत हुई होगी?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्थान फेमिन कोड में प्रावधान है, जो भी सड़क के लिए राहत कार्य खोले जाते हैं, उसके लिए जमीन ली जाती है उसका मुआवजा किसान को नहीं मिलता है। गांव के लोग खुद तय करते हैं कि हमारे यहां अकाल राहत कार्य खोले जायं। इसलिए हम जमीन का मुआवजा नहीं देते हैं, जमीन लेते अवश्य हैं और जमीन लेने के बाद में लगान माफ होता है।

श्री दिग्विजयसिंह : नेगोसियेशन किस बात का हुआ? आप कहते हैं आप अवाप्त नहीं करते हैं, आप नेगोसियेशन करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अवाप्त करने की प्रोसीडिंग्स नहीं चलती हैं क्या?

श्री गंगाराम चौधरी : अवाप्त करने की प्रोसीडिंग्स, अध्यक्ष महोदय,

(श्री गंगाराम चौधरी)
नियमानुसार नहीं चलती हैं, ऐसे कार्य के लिए जो ली जाती है भूमि उसकी।

श्री प्रेमसिंह सिववी : जिन लोगों की भूमि ली जाती है, उनको मुआवजा देना उचित है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : फैमिन कोड में यह प्रावधान नहीं है—यह कह रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : सार्वजनिक काम के लिए भूमि ली जाय, उसके लिए मुआवजा देने की आवश्यकता है। यह सार्वजनिक कार्य है।

एक माननीय सदस्य : क्या उसके एवज में, नेगोसियेशन से जो भूमि ली जाती है, उसके बदले भूमि देने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : आप कह दीजिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अगर आप नकद रूप में नहीं दे सकते तो भूमि के एलाटमेंट के जरिये उसको जमीन दे दें ताकि उसको तसल्ली हो कि जमीन के बदले जमीन मिल गई है। उनके पास छोटे छोटे टुकड़े जमीन के होते हैं। वह भी आप ले लेते हैं तो कुछ तो दीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी : फैमिन कोड में प्रावधान है, जहां गांव के लोग सड़क का काम खुलवाना चाहेंगे, अकाल राहत कार्य खुलवाना चाहेंगे वहां के जमीन देने को तैयार हों तभी वह खुलेगा और उसका सरकार मुआवजा नहीं देती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनका क्या होगा ?

श्री रामचन्द्र आर्य : जमीन देने के लिए तैयार होते हैं तो गांव के काम के लिए राजी खुशी कौन देता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : गांव के लोग देते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : खुशी से कौन दे देगा, पूरे गांव के लिए एक आदमी क्यों दे देगा ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : खुशी से दे देते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : आप नेगोसियेशन करते है वह गांव वालों से करते हैं, किससे करते हैं ? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भूमि एक बीघा, दो बीघा, चार बीघा, पांच बीघा जो भी अकाल राहत कार्य के अन्दर आ गई है उसका लगान कम क्यों नहीं किया जाता है ? उससे पूरी भूमि का लगान क्यों लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : कहा है कि उस भूमि का लगान नहीं लिया जायगा।

श्री दिग्विजयसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आज चार साल हो चुके हैं लिये हुए, आपके पास सूचना हो तो बतायें कि कितना लगान कम हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : आपने वेरीफिकेशन किया है, दरअसल लगान उससे वसूल नहीं किया जा रहा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस सम्बन्ध में 1965 से पहले भी सरक्यूलर जारी कर दिया गया था। उसके बाद अभी हाल ही 4 मार्च 70 को सरक्यूलर जारी किया है

(श्री गंगाराम चौधरी)
एफ. 1/4/राजस्व (ख)/70 दिनांक 4 मार्च 70 इसमें वैसे तो लम्बा है। इसमें जो खास पोर्शन है वह निवेदन कर दूं ?

"भूमि अवाप्त हो जाने के बाद सम्बन्धित कागजों में दुरुस्ती करें, लगान में कमी की जाने का उत्तरदायित्व राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर है। परन्तु वह अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं इसलिए पूर्व में जो एफ. 1/4/राजस्व (ख) ग्रुप 1/65 दिनांक 8-2-65 द्वारा अनुरोध किया है, इस प्रकार के मामलों की जांच की जाय और जो भूमि अवाप्त हो गई है उसको रेवेन्यू रिकार्ड से निकाल कर जो लगान वसूल हो चुका है वह उनको वापिस लौटा दिया जाय अथवा अधिक लगान के पेटे जमा किया जाय"

यह पत्र हाल ही 4, मार्च 70 को जारी कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : इसकी कार्यान्विति की क्या स्थिति है ? प्रश्न यह है।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): अध्यक्ष महोदय, यह आर्डर जारी हो गया, जो यहां पर सुनाया गया है। जो भूमि एक्वायर हो गई नेगोसियेशन अथवा लैंड एक्वीजीशन के द्वारा, उसको खाते में से कम कर दिया जाय और उसका लगान नहीं लिया जाय। एक दिक्कत इसमें यह हो जाती है कि तहसील में पूरा रिकार्ड नहीं रहता है कि कौन कौन सी जमीन एक्वायर हो गई है, वहां से इन्टीमेशन कभी चली जाती है और कभी नहीं चली जाती है। इसलिए नक्शे बनवाये हैं पूरे सालों में जगह जगह कितनी कितनी भूमि अवाप्त हो गई है और उसका कितना लगान लिया गया है। वह एडजस्ट कर दिया जायगा और वापस चाहेंगे तो वह वापिस दे दिया जायगा। नक्शे बन कर कम्प्लीट हो जायं, बहुत सी जगह हो गये हैं और बहुत सी जगह बाकी हैं। यह होने पर खाते में से काट कर कर देंगे।

श्री मदनसिंह : एक प्रश्न था···

एक माननीय सदस्य : लैंड एक्वीजीशन के तहत करने का आदेश नहीं था ?

श्री मदनसिंह : अकाल में जो सड़कें बनती हैं और जो मिनिस्टर लेवल पर सिफारिश होकर सड़कें बनती हैं उनमें क्या फर्क है ? एक का मुआवजा दिया जाता है, एक का नहीं···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दिग्विजयसिंह : जो जमीन लैंड एक्वीजीशन के तहत अवाप्त होती है, तो लैंड एक्वीजीशन के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए और नियमानुसार एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : फैमिन वर्क में जो जमीन ली जाती है वह लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत अवाप्त नहीं की जाती है। क्योंकि उसका प्रासीजर काफी लम्बा है और उस कारण उसका पर्पज डिफीट हो जाता है, उसमें एक सर्टेन प्रासीजर प्रेस्क्राइब है, उसके तहत करेंगे तो तमाम पर्पज डिफीट हो जायगा, इसलिए नहीं करते हैं।

Page No 9

श्री दिग्विजयसिंह : इसमें प्रश्न उठता है. . . .

श्री भैरोंसिंह : आपने बराबर अपने आर्डर में और अपनी जबान से जो कहा था कि भूमि अवाप्त किये जाने के बाद में उचित प्रकार की कार्यवाही होगी। तो इस अवाप्ति का अर्थ वही है जो लैंड एक्वीजीशन में दिया गया है या अवाप्ति का अर्थ दूसरा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका अर्थ यह है कि सरकार के पास में जमीन सड़क बनाने के लिए आ जाय।

श्री भैरों सिंह : आये कैसे ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी तरह से आये।

श्री भैरों सिंह : लैंड एक्वीजीशन एक्ट में नेगोसियेशन से सार्वजनिक हित के लिए जमीन लेने का, जायदाद लेने का प्रावधान है और इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह गवर्न होता है फेमिन कोड से।

श्री भैरोंसिंह : फेमिन कोड से नहीं है, किसी की सम्पत्ति ले रहे हैं, तो फेमिन कोड कहां से आ गया ? मैं राजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, वह बता दें, फेमिन कोड में इस प्रकार की प्रक्रिया दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्राविजन है ?

श्री भैरोंसिंह : बताइये, कौनसा प्राविजन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह उसमें बताया हुआ है। कहीं देने के लिए तैयार है तो वह लेंगे। लेकिन जो प्रासीजर है उससे नतीजा यह होगा कि काफी वक्त से डिले होगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मुआवजा का प्रश्न बाद में तय किया जाय।

श्री अध्यक्ष : उप मंत्री जी, कोई ऐसा प्राविजन है ?

श्री मदनसिंह : लोगों को अकाल के समय मजदूरी देनी है तो उनको मजदूरी पर लगाने के लिए किसी की जमीन ले लें और उसको . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! ऐसा कोई प्राविजन है ?

श्री गंगाराम चौधरी : फेमिन कोड मेरे पास नहीं है। ऐसा है। मुझे जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा प्राविजन है क्या ? आप पूछ लीजिये, कि मुआवजा नहीं दिया जायगा ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसे स्थगित करिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : फेमिन का काम चलता है उस वक्त जमीन ले ली लेकिन बाद में उसका सर्वे करा कर उसके हिसाब से उसको जमीन दिला दीजिये या मुआवजा दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिये।

Page No 10

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बाद का प्रश्न है··

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बाद में तय कर दें, इसमें क्या बात है।

श्री दिग्विजयसिंह : मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा। आपने कहा कि जमीन अवाप्ति के जरिये भी ली जाती है और आपस में नेगोसिएशन्स के द्वारा भी ली जाती है। तो जहां अवाप्ति के जरिये ली है, वहां नियमानुसार ली है या नहीं क्योंकि अवाप्ति के लिये तो नियम बने हुए हैं लेकिन जहां पर काश्तकार ने मना की है वहां पर भी आपने रोड्स निकाले हैं-तो नेगोसिएशन्स कहां हुए ? इसलिए आपने अवाप्ति के जरिये ही ली, तो उसके लिये कम्पेन्सेशन देना आवश्यक है संविधान के अनुसार। आपने फेमिन कोड की बात कही, तो Famine Code cannot over ride the Constitution.

श्री रामकिशोर व्यास : नार्मली मुआवजा मिलना चाहिये। लैंड एक्वीजीशन के अन्तर्गत तो है ही। लेकिन फेमिन के केसेज के अन्दर दिया जाये या नहीं दिया जाये, इस तरह की बात पहले भी आई है···

श्री भैरोंसिंह : कभी नहीं आई।

श्री रामकिशोर व्यास : आई है। फेमिन कोड के आधार पर मैं कह रहा हूं। अब इस बात पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जमीन पहले अवाप्त करने के सम्बन्ध में फेमिन कोड में क्या प्रावधान है ?

श्री अध्यक्ष : यह पहले जमीन ले लें इसके लिए फेमिन कोड के अन्दर प्रावधान है और यदि है तो क्या यह फंडामेन्टल राइट्स के खिलाफ पड़ता है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले ले लेने का फेमिन कोड के अन्तर्गत प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : तो कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार इस प्रश्न को दुबारा देख लेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को पोस्टपोन करता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह ठीक है।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से लोगों की जमीन ले लेना क्या कान्फिसकेटरी नहीं है ? अगर यह कान्फिसकेटरी है तो क्या फंडामेन्टल राइट्स के विपरीत नहीं है ? क्या मंत्री महोदय यह नहीं जानते कि फैमिन कोड के जो प्रोवीजन्स हैं वे कान्स्टीट्यूशन में दिए हुए फंडामेन्टल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते ? तो ऐसी स्थिति के अन्दर आप यह अनुभव नहीं करते कि सरकार ने जो कुछ भूमि अवाप्त की है वह इल्लीगल है और अनकान्स्टीट्यूशनल है ?

श्री अध्यक्ष : ये सारे प्रश्न इसमें पैदा होते हैं। जैसा माननीय विरोधी नेता महोदय ने कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने

(श्री अध्यक्ष)
श्री आब्जर्वेशन्स दिये, तो ये सारे प्रश्न आप देख लीजियेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : मंत्री महोदय ने बताया कि नेगोसिएशन्स के द्वारा जमीन ली है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये नेगोसिएशन्स राइटिंग में हैं या जबानी हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ओरल हुए हैं या राइटिंग में हुए हैं, ये सब राजी से हुए हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : यह सब इल्लीगल हुआ है और कोअर्शन से हुआ है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोई कोअर्शन नहीं हुआ है, हम सब यह जानते हैं कि यदि यह कम्पेन्सेशन का मामला खड़ा हो गया तो सारे ही फेमिन वर्क्स चालू नहीं हो पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गोरधन सोनी।

नदी पर रपट बनाने का कार्य

82. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता पुष्कर वाया आलनियावास रोड पर आलनियावास के पास नदी बहने से गत वर्ष बारिश के दिनों कई दिन तक बसें व यातायात बन्द रहा ?

(2) क्या यह सही है कि कई बार मेरे द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर भी अब तक नदी पर रपट नहीं बंधाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा, जयपुर, अजमेर, मध्य प्रदेश आदि से ट्रकों द्वारा सारा माल मेड़ता साइड में इसी रास्ते से आता है ?

(4) क्या सरकार शीघ्र ही इस नदी पर रपट बंधाने एवं पादू से गोविन्दगढ़ मार्ग पर डामर कराने का विचार रखती है ?

उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) नदी में अधिक पानी आने से याता यात को कठिनाई हुई होगी।

(2) जी हां, अर्थाभाव के कारण रपट बंधाना सम्भव नहीं हुआ है।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है कि गाड़ियां आलनियावास होकर ही जाती हैं।

(4) जी नहीं, यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेड़ता एक बड़ा कस्बा है, वहां पर सेशन्स कोर्ट भी है, यातायात भी इस रोड पर काफी होता है, लेकिन जब यह नदी चलती है तो सारा यातायात रुक जाता है, जो लोग बाग बाहर से आने वाले होते हैं, उनको बहुत ही कठिनाई होती है, इसलिये वहां पर रपट लगाना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : क्या बहुत जरूरी है रपट बनाना ?

श्री माधोसिंह : यह तो इन्होंने सुझाव दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थाभाव के कारण रपट बनाना सम्भव नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मंत्री महोदय गौर करेंगे।

श्री गोरधन सोनी : सारा यातायात बन्द हो जाता है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय उपमंत्री जी ने कहा है कि माननीय मंत्रीजी गौर करेंगे। (श्री अमीनुद्दीन, सार्वजनिक निर्माण मंत्री से) क्या आप गौर कर रहे हैं?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : जब कभी भी मुमकिन हुआ तो हाथ में लिया जा सकेगा।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, और कोई भी रोड नहीं है। मेडता से अजमेर के लिये, वाया आलनियावास एक ही रोड है और उसमें नदी आती है। इसलिए जब तक रपट नहीं निकलता तब तक यातायात बन्द रह जाता है। मध्य भारत, इन्दौर से आने वाले भी इसी सड़क से आते हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही मुमकिन हुआ, शुरू करेंगे।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, चार वर्षों से मैं यह प्रश्न कर रहा हूं, अब निश्चित आश्वासन दें, मंत्री महोदय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उस पर कितना खर्चा आयेगा जो आप अर्थाभाव की बात कर रहे हैं?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मंत्री महोदय को सारा राजस्थान देखना पड़ता है, आपकी एक नदी को ही देख लिया जाये तो सारे राजस्थान का क्या किया जाय?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय··

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : आपने यह कहा कि अर्थाभाव है···

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, चार साल से लगातार इस प्रश्न को सदन में लाया जा रहा है। मैंने भी यह मौका देखा है। अगर चार साल में भी एक छोटा सा कल्वर्ट सरकार नहीं बना सकती तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसके अन्दर राजनैतिक कारण हैं। अगर राजनैतिक कारणों को लेकर नहीं करते हैं तो बहुत ही खेद का विषय है। इसलिये मैं पुनः मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि यह छोटा सा मामला है, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इसका हल निकालें। यह परम आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। मैं मानता हूं कि सारा राजस्थान है, परन्तु जो ज्यादा जरूरी चीज है, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि माननीय प्रश्नकर्ता के निवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इसको प्राथमिकता देंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : राजनैतिक कोई मामला नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मैं स्वयं वहां नदी देखने नहीं जाता। मैं खुद मौका देखकर आया हूं और इसकी चिन्ता केवल माननीय सदस्य को ही नहीं है।

श्री मदनसिंह : सभी को यही जवाब है कि अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : इन्दौर साइड से लोग आते हैं, वहां पर मेन मंडी है, सारे लोग इसी रास्ते से ही आते जाते हैं। रपट नहीं होने के कारण लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो सहानुभूतिपूर्ण क्या विचार करेंगे? लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है—तो यह सहानुभूति किस प्रकार की है?

श्री अध्यक्ष : यह सहानुभूति किस प्रकार की है, निर्माण करने की है या विचार करने की है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद: सहानुभूति तो निर्माण करने की ही ज्यादा होती है मेरे खयाल में।

श्री गोरधन सोनी : कब तक पूरा हो जायेगा, क्या मंत्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनोहर सिंह मेहता।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, कोई जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष :आर्डर प्लीज। दूसरा प्रश्न ले लिया गया।

श्री मनोहर सिंह मेहता।

दीगोद में भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

83.**श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दीगोद में सैंकड़ों भूमिहीन ऐसे हैं जो हाथ से खेती करना चाहते हैं लेकिन अलाटमेंट के लिये भूमि ही नहीं है ?

यदि यह सही है तो क्या ऐसे भूमिहीनों की भूमिहीनता मिटाने के लिये नन्दराय (तहसील कोटड़ी) का जंगलात विभाग का घास का वीड़ राजस्व में मिला जा रहा है ?

(2) यदि नहीं लिया जा रहा है, तो क्या इसे राजस्व में लेने की कार्यवाही चल रही है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

नन्दराय वीड़ से घास हमेशा अभावग्रस्त क्षेत्र को तथा आसपास के गांवों की मवेशियों के लिये दिया जाता है। अतः इस वीड़ को राजस्व विभाग को देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह 1700 बीघों की वीड़ है और बहुत उपजाऊ जमीन है, पास में ही बांध बनने की योजना चल रही है। अगर इसको ले लेते हैं तो खाखला बहुत ज्यादा होगा, बहुत खाखला बाहर भेज सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में फिर से मुलाहिजा करें और इस वीड़ को राजस्व में ले लें।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सम्भव है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह वन विभाग की वीड़ है और पशु पालन की दृष्टि से इस वीड़ को रखना अत्यन्त आवश्यक है, बल्कि जरूरत यह है कि ऐसा क्षेत्र और बढ़ाया जाये। इसलिये राजस्व विभाग नें इसको लेना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री केशरीसिंह हाड़ा।

बून्दी अलोद नैनवा सड़क पर पुलियाओं की मरम्मत

84. **श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौली)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी से अलोद सड़क जो नैनवा जाती है उस पर नदियों व नालों पर बूंदी राज्य के वक्त बनाई हुई पुलियायें कुल कितनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन पुलियाओं की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब कब की गई और उस पर क्या व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि अलोद के आगे की पुलिया पर दि. 22–2–1971 को एक सवारी बस नदी में गिर गई थी ? यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) 38 पुलियायें हैं। सूची प्रस्तुत है।

(2) केवल बूंदी से अलोद वाया गणेश घाटी पर 3 पुलियों की मरम्मत वर्ष 1968–69 व 1969–70 में की गई है। लगभग 12,000 रुपये की व्यय हुई है।

(3) इस विभाग की जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री केशरीसिंह हाडा: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि तीन पुलियायें कौन 2 सी हैं जिन पर आपने 12 हजार रुपयों का व्यय किया है ?

श्री माधोसिंह : मैंने सूची प्रस्तुत की है। एक तो अलोद घाटी में जो पुलिया है उसकी मरम्मत की गयी और दूसरी दो अलग अलग हैं। उनकी मरम्मत करायी गयी है।

श्री अध्यक्ष : कितना कितना फासला है एक एक पुलिया पर ?

श्री माधोसिंह: बूंदी को जो सड़क जाती और बीच में कच्चा डेरा गांव आता है उसके बीच में एक पुलिया है और बूंदी की तरफ कच्चा डेरा से आगे दो और पुलियायें हैं।

श्री केशरीसिंह हाडा: इस सड़क पर तीन मुख्य पुलियायें हैं, एक अलोद के पास, एक गनाना के पास और 1 रानीपुरा के पास स्टेट के वक्त ये बनी हुई थीं और पुख्ता थीं और आज तक हिली नहीं हैं। लेकिन उन पर दो दो फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। सरकार कहती है कि मरम्मत करायी। मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं करायी। बड़ी मुश्किल से गाड़ियां वाले पत्थर डाल कर वहां से अपनी गाड़ियां निकालते हैं। 22-2-71 को अलोद की पुलिया के नीचे बस गिर पड़ी। मंत्री महोदय कहते हैं कि हम को ज्ञान नहीं है। आखिर ज्ञान होने भी क्यों वाला है। जनता चाहे मरे आपको पता नहीं।

श्री माधोसिंह : मरम्मत कराई है...

श्री केशरीसिंह हाडा: आप सुनिये पहले। अध्यक्ष महोदय, उनको कोई चिन्ता नहीं

(श्री केशरीसिंह हाडा)

सड़क इतनी खराब है । मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा। दो दो फीट के गड्ढे हैं। गाड़ी, बस के उन गड्डों में पड़ते ही, ब्रेक फेल हो जाते हैं। एक बस इसी तरह से गड्ढे में पड़ी और उसके ब्रेक फेल हो गये उसको ड्राइवर ने पीछे खिसकाया । वह बस नदी में जा गिरी। सौभाग्य हुआ सवारियों का और उनके परिवार वालों का कि कोई मरा नहीं वरना सरकार ने तो इसकी पूरी योजना बना रखी है। सड़क पंचायत समितियों को दे दी हैं । एक एक मील के लिये सौ रुपया खर्च करना है उनको रुपया पंचायत समिति ले लेती है और उनका अभाव में चलने के कारण उनके द्वारा उन पर खर्च होता नहीं । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क बनाना तो दूर रहा कृपा कर पुलियाओं की मरम्मत ही करवा दीजिये। यदि पुलियायें टूट गयीं तो उनका बनाना तो आपके बस का है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: पुलियाओं की मरम्मत के लिये ही 10 हजार रुपया खर्च हुआ ?

श्री माधोसिंह : खर्च किया है। रिलीफ डिपार्टमेंट से मिला था। पंचायत समिति से मरम्मत कराई गयी। यह सड़क हमारी योजना में तो नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाडा: आप कहते हैं कि आपके पास पुलियायें नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके विभाग के अन्तर्गत पुलियायें आती हैं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : हमारे विभाग में नहीं आती हैं। पुलियायें नही हैं तो हम ले लेंगे पुलियाओं की मरम्मत और उनको अच्छी हालत में रखने की कोशिश करेंगे।

श्री केशरीसिंह हाडा: एक प्रश्न। रपट बनाने का प्रश्न आया था। बन नहीं सकी। सरकार मरम्मत ही नहीं कराना चाहती है । टूट जावेगी तो फिर कैसे करेंगे ? आप आश्वासन देंगे कि मरम्मत करायेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मरम्मत करायेंगे।

श्री केशरीसिंह हाडा:आश्वासन दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन चाहता हूं मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन दे दिया है।

प्रश्न संख्या 85

श्री हंसराज आर्य ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री लादूराम सुलानिया।

औद्योगिक शाखा के कर्मचारियों का स्थायीकरण

86. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान समाज कल्याण विभाग की औद्योगिक शाखा

(श्री लादूराम सुलानिया)
के कर्मचारियों को अस्थायी से स्थायी किया गया है ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या अब भी उपरोक्त शाखा में अस्थायी कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या उपरोक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में विभाग ने अब तक कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(4) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में उक्त शाखा के कर्मचारियों को स्थायी करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(5) क्या उपरोक्त शाखा में से किन्हीं कर्मचारियों को सन् 1954 से 1968 तक पदोन्नतियां दी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(6) क्या इस शाखा के अन्तर्गत चलने वाले विभिन्न प्रशिक्षण प्रवृत्तियों के इन्चार्ज होते हैं वे उस पद के योग्य हैं ?

(7) क्या यह भी सत्य है कि अशिक्षित प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रवृत्तियों में इन्चार्ज बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (1) जी हां, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के 14 अस्थायी प्रशिक्षकों तथा 12 अध्यापकों को स्थायी किया गया है।

(2) जी हां, अभी दो प्रशिक्षक तथा 4 अध्यापक अस्थायी हैं।

(3) जी हां, उक्त कर्मचारी नियुक्ति के समय ओवर एज थे अतः विभाग द्वारा इनको नियोजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ताकि इनका स्थायीकरण किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

(4) जी हां, ओवर एज के नियमित होने के बाद ही इनको स्थायी किया जा सकेगा।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां।

(7) जी नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : 'जी नहीं' का क्या मतलब है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जी नहीं का मतलब जी नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : आपने इसको पढ़ा भी है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बिल्कुल पढ़ा है।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या पढा ? जरा इसको पढ कर बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री लादूराम सुलानिया : प्रश्न 5 में यह है "क्या उपरोक्त शाखा में से किन्हीं कर्मचारियों को सन् 1954 से 1968 तक पदोन्नतियां दी गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?" आपने कहा "जी नहीं"। तो क्या एक की भी पदोन्नति नहीं की ? क्यों नहीं करना चाहते हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : दूसरा नेक्स्ट स्टेप यही हो सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जी हां, तो हो सकता है लेकिन, जो नहीं, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। जो नहीं कोई उत्तर है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बिलकुल यही उत्तर है माकूल।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : 'जी नहीं' 'जी नहीं' यह कोई उत्तर नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : 'जी नहीं' कोई उत्तर नहीं है। जोशी जी का उत्तर मान लें 12 साल में 12 शाला···

श्री अध्यक्ष : शाला नहीं है, शाखा है।

श्री लादूराम सुलानिया : सरकार की सर्विस में हैं।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : नेक्स्ट स्टेज नहीं है उस केटेगरी में। उस हालत में यह जवाब कैसे दे सकता था कि "जी हां"।

श्री लादूराम सुलानिया : अब तक आपका प्रमोशन कर दिया है अब तो हां कर दीजिये। भाग 6 में जो बात आपने बतायी वह भी गलत है। इसमें योग्यता और अयोग्यता की बात है। तो क्या अयोग्य को लाकर वहां बैठा देते हैं ? आपने विचार किया नहीं। आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर विचार करते हैं या नहीं ? क्या करना चाहते हैं आखिर ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपने कहा यह इससे परे है। व्यक्ति विशेष के लिये तो कहा नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : व्यक्ति विशेष के लिये तो कह नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : अब कह दीजिये। आप व्यक्ति विशेष का नाम ले लीजिये।

श्री दिग्विजयसिंह : आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दीजिये।

श्री लादूराम सुलानिया : जोशीजी ने उनका अयोग्य माना है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जिस काम को वे कर रहे हैं उसके योग्य हैं। प्रमोशन का नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया: अब बना दीजिये। आप सरकार में बैठे हैं क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हंसराज आर्य।

प्रश्न संख्या 87

श्री हंसराज आर्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लादूराम सुलानिया : जोशीजी, आश्वासन तो दें कि पदोन्नति के लिये विचार किया जायगा ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जरूर किया जायगा। नेक्स्ट स्टार्ट किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

टोंक जिले में सड़कों पर व्यय

88. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि धनाभाव के कारण राज्य में नई सड़कों का निर्माण

(श्री दिग्विजयसिंह)
व पुरानी सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि धनाभाव के कारण इस वर्ष जिला टौंक में सड़कों की कार्य नहीं कराया जा रहा है जब कि इस वर्ष 13 लाख रुपये जिले में खर्च हो चुके हैं ?

(3) टौंक जिले में कौन कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 1970–71 में हाथ में लिया गया है ? कृपया सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि निम्न सड़कों के लिये कुछ प्रावधान वर्ष 1970–71 के बजट में रखा था ?

(क) टौंक सवाई माधोपुर रोड एक लाख।

(ख) उनियारा इन्द्रगढ़ पचास हजार।

(5) क्या यह सही है कि इस प्रावधान को काट दिया गया है और किन्हीं अन्य सड़कों पर खर्च किया जा रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि जूनिया दूनी सड़क पर एक वर्ष 40,000 रु. का कार्य मंजूर किया है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष के बजट में इसका प्रावधान है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का ? यदि नहीं, तो कार्य कैसे चालू किया गया है ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त दोनों सड़कों का प्रावधान काट कर टौंक क्षेत्र की सड़कों पर डाइवर्ट कर दिया गया है ? जैसे

(क) टौंक से नासीर घाट

(ख) टौंक से गहलोत घाट

यदि हां, तो क्या यह वर्ष 1970-71 बजट में रखे गये थे ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया ?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) उपलब्ध धनराशि अनुसार सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य कराया जाता है।

(2) यह सही नहीं है, कार्य चल रहे हैं।

(3) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(4) जी हां।

(5) टौंक सवाईमाधोपुर पर 80 हजार तथा उनियारा इन्द्रगढ़ के लिए रिवाइज्ड बजट में प्रावधान नहीं रखा है किन्तु उक्त सड़कों की स्वीकृत धनराशि और कहीं नहीं लगाई गई है।

(6) दूनी सारोली रोड पर 40 हजार का मरम्मत हेतु प्रावधान है।

(7) यह सही नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : प्रश्न के भाग 2 में आपने फर्माया कि 'जी नहीं'। क्या यह सही है कि 12 लाख का प्रावधान टौंक में पी. डब्ल्यू. डी. विभाग ने रखा है ?

श्री माधोसिंह : आपने यह पूछा है कि ठीक नहीं कराया जा रहा है, इसका जवाब दिया कि यह सही है नहीं है।

Page No 19

श्री **दिग्विजयसिंह** : आपने 13 लाख के खर्चे करने की बात कही तो इसका ब्रेकअप क्या है ?

श्री **माधोसिंह** : यह ब्रेकअप तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री **दिग्विजयसिंह** : मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष : आप बतला दीजिए।

श्री **दिग्विजयसिंह** : 5.20 वेजेज एण्ड लेबर।

3.00 लाख रिपेयर में।

5.23 लाख रुपया ओरीजिनल वर्क्स के लिए।

श्री **अध्यक्ष** : आपने ये फीगर्स कहां से लिये ? मन्त्री महोदय से लिए ?

श्री **दिग्विजयसिंह** : आपके विभाग से।

श्री **अध्यक्ष** : क्या यह ठीक है ?

श्री माधोसिंह : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी करके बता दूंगा।

श्री **दिग्विजयसिंह** : क्या बता देंगे ? आप इन्कार कर दें कि यह गलत है।

श्री **माधोसिंह** : मैं जांच करा सकता हूं कि यह सही है या नहीं। आफ हैण्ड क्या कह सकता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : इधर पूछ कर के ताईद कर लीजिए न।

श्री **माधोसिंह** : इसकी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। जेब में लेकर थोड़े ही बैठा हूं।

श्री **दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह ब्रेकअप बताया है क्या यह सही है ?

श्री **माधोसिंह** : मैं नहीं बता सकता जब तक जानकारी हासिल न कर लूं।

श्री **दिग्विजयसिंह** : कह दीजिये फिर कि गलत है।

श्री **माधोसिंह** : यह भी बिना जानकारी हासिल किये कैसे कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : दायित्व दूसरी तरफ चला गया। प्रश्नकर्ता का दायित्व आपने ले लिया। आपका दायित्व इन्होंने ले लिया।

श्री **माधोसिंह** : इनकी बारी अभी नहीं आई है।

श्री **दिग्विजयसिंह** : क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग चार में यह कहा गया कि दो स्थानों का टोंक सवाई माधोपुर रोड़ का 1 लाख का और उनियारा इन्द्रगढ़ रोड़ का पचास हजार का प्रावधान रखा गया तो क्या 1970-71 के बजट में इनका इतना ही प्रावधान रखा गया यह सही है ?

श्री **माधोसिंह** : मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया कि टोंक सवाई माधोपुर के एक लाख को घटाकर 80 हजार किया गया और उणियारा इन्द्रगढ़ को रिवाइज्ड बजट में कोई पैसा नहीं दिया गया।

श्री **दिग्विजयसिंह** : रिवाइज्ड का प्रश्न नहीं है। मूल बजट में 50 हजार का प्रावधान था क्या यह सही नहीं हैं?

Page No 20

श्री अध्यक्ष : जब तक रिवाइज्ड न हो, मन्त्री बजट के प्रावधान थोड़े ही मानते हैं। मूल बजट में 50 हजार का प्रावधान था क्या यह सही है ?

श्री माधोसिंह : अगर कहीं और जगह ज्यादा जरूरत हुई तो वहां करते हैं। रिवाइज्ड कर सकते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : रिवाइज्ड का मतलब ? आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं इसका सीरियस नोट लेता हूं। जब इस सदन से कोई बजट पास कराया जाता है किसी भी विभाग का तो फिर उसको बिना सदन की अनुमति के कैसे रिवाइज्ड कर दिया ? बजट सरकार का हमने पास किया है, अकाउन्ट फोर करके वोट किया है फिर उसमें घटाने का, रिवाइज करने का सरकार को क्या अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष : उनको जानकारी नहीं है।

श्री माधोसिंह : रिवाइज करने का सरकार को अधिकार है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपके अधिकार सदन से आगे नहीं है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, बजट जो यहां से पास कराया गया उसमें जो रकम दी गई उसकी तादाद सरकार भले ही न बढ़ावे, पर घटा देने का यह कौनसा सरकार का तरीका है, कौनसा रिवाज है ? और अगर घटाया गया है तो स्पष्ट है पोलिटिकल रीजन्स से घटाया है और पोलिटिकल रीजन्स से घटाया जाना निन्दनीय है। मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब दें कि क्या इस तरह से घटाया जा सकता है ?

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके कई कारण हो सकते हैं। उस जगह कोई कठिनाई हो तो घटाया भी जा सकता है। अगर अधिक खर्चे की स्थिति बने तो अधिक भी खर्च कर सकते हैं या ट्रान्सफर भी कर सकते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं। खर्चा करना सम्भव नहीं यह भी कारण हो सकता है। वह रहाल यह सारी जानकारी करके ही बता सकता हूं।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे नहीं पूछना चाहता। मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं। क्या रिवाइज करने के नाम से घटा भी सकते हैं ? नवाब साहब जवाब दें।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : (श्री माधोसिंह से) आप बैठ जावें। मोटी अकल से बात करते हैं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : घटाया गया भी है कि नहीं, पहले तो इसकी जांच की जावेगी।

श्री दिग्विजयसिंह : फिर आपके उपमन्त्रीजी गलत कहते हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं नहीं कह रहा था कि आया घटाया गया कि नहीं। पर अभी तक को जो परम्परा रही है उसके अनुसार कन्स्ट्रक्शन की कभी जरूरत नहीं हुई तो रोक लिया जाता है, रिवीजन भी होता रहा है। तो इस स्थिति में क्या इसकी पोजीशन है, मैं जब तक इसकी जांच न कर लूं, तब तक कैसे क्या कह सकता हूं। पर अगर कोई ऐसी चीज है कि जो यहां सदन में पास हो गई और उसके कोई खिलाफ बात हुई हो तो यह गलत बात है। मैं इसे देखूंगा।

Page No 21

श्री मदनसिंह : अब उप मन्त्री ने स्वयं माना है कि एक लाख रुपया सैंक्शन हो चुका है, प्रावधान था बजट में फिर ज्यादा जानकारी क्या करेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हो सकता है कि वह प्रपोजल में हो और बाद में रिवीजन हुआ हो। इसलिये मैंने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि वाकई यह सब कैसे क्या हुआ। अगर बजट में था और बाद में घटा दिया गया तो घटाया नहीं जाना चाहिये था। जांच हो सकती है इसकी और वह करूंगा।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने फर्माया कि जांच होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लास्ट सेशन में भी मैंने यह सवाल किया था। तब भी यही कह कर पोस्टपोनमेण्ट मांगा गया था कि इसकी जानकारी में समय लगेगा और इस पर आसन की तरफ से इसे स्थगित किया गया था। पर बाद में सदन ही एडजोर्न हो गया था। तो मैं पूछता हूं आपने इस बारे में फिर क्या जानकारी की ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न रिलेवेण्ट है। क्या ये तथ्य ठीक हैं ?

श्री माधोसिंह : इसकी जानकारी नहीं है। यह प्रश्न दूसरे रूप में आया है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो मामला वैसा ही निकला जैसा कल सतीशचन्द्रजी के लिए कहा गया और उनके लिये ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : आप उप मन्त्रीजी को सुनें।

श्री माधोसिंह : यह गत सत्र में आया था। चूंकि सदन स्थगित हो गया था तो यह प्रश्न भी समाप्त हो गया। दुबारा मूल प्रश्न आया है और जो जानकारी मैंने की वह मैंने दे दी है। जो बजट एस्टीमेट था उसके फिगर मेरे पास नहीं थे। जो रिवाइज्ड के थे वे मैंने बता दिये। मैंने कह दिया कि वर्ड एस्टीमेट यानि अन्दाज और अन्दाज को रिवाइज भी किया जाता है। एस्टीमेट बजट में एस्टीमेट का मतलब अन्दाज होता है। अब अन्दाज को पास कराते हैं यह नहीं कराते हैं कि रुपये आने पाई इतना ही होगा।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मन्त्रीजी ने जो उत्तर दिया उस पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न पिछली बार आसन की ओर से स्थगित किया गया था और माननीय मन्त्री ने उत्तर में यह निवेदन किया था कि इसकी जानकारी नहीं हो पाई है इसलिये इसे स्थगित किया जाय। अब आप कहते हैं कि यह प्रश्न अपने आप लैप्स हो गया सेशन के साथ-साथ।

श्री अध्यक्ष : यह तो वे ठीक क रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : इस प्रश्न को जिस रूप में मैंने पहले पूछा था बिल्कुल वही है, एक शब्द भी नहीं बदला है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक स्वर्या रने का प्रश्न है उसे उप मन्त्री ने भी स्वीका र

(श्री अध्यक्ष)
किया है। लैप्स होने का जहां तक प्रश्न है चूंकि सदन स्थगित हो गया इसलिये वह भी ठीक है। अब यह प्रश्न पुनः आया। उप मन्त्री ने कहा कि जो भी जानकारी उन्हें मिली, उसको बतला दी गई तो यह भी ठीक है। अब जानकारी अपनी अपनी बुद्धि के स्तर पर ही तो हो सकती है। विलक्षण बुद्धि हो तो विलक्षण ही जानकारी हो सकती है।

श्री **मदनसिंह** : एक लाख की रकम बजट में सैंक्शन हुई थी उसको काट कर बीस हजार कैसे रिवाइज किया ?

श्री **माधोसिंह** : एस्टीमेटेड बजट था वह, रिवाइज्ड थोड़े ही था।

श्री **अध्यक्ष** : एस्टीमेट की व्याख्या की है। अन्दाज में कांट–छांट दोनों बतलाई गई हैं। अब बजट का प्रोवीजन फिर घटाया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। बजटरी प्रोवीजन के आधार पर यह है। इसका कोई रूल तो है नहीं। इसलिये मैं कुछ नहीं कह सकता इस सम्बन्ध में।

श्री **दिग्विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, ये इस एरिया की उपेक्षा करके चलते हैं यह तो है ही। पर आपसे यह जरूर आश्वासन चाहूंगा कि जब हमारे सम्मुख बजट प्रस्तुत करके पास करा लिया जाता है हर डिमाण्ड पर एक निश्चित रकम बता–बता कर पास कराया जाता है और उस एस्टीमेट की भी पूरी पूरी डिटेल होती है। फिर बाद में कमी कर देते हैं। यह क्या सदन को गुमराह करना और अपमानजनक नही है ?

श्री **अध्यक्ष** : इस सम्बन्ध में अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अपने आपको आश्वस्त करूंगा और फिर मन्त्री महोदय को भी आश्वस्त करूंगा। कहां बढ़ा सकते हैं और कहां घटा सकते हैं।

श्री **दिग्विजयसिंह** : क्या यह सही है कि इन प्रावधानों मे से टोंक जिले के फण्ड्स डाइवर्ट किये गये थे ?

श्री **माधोसिंह** : जी नहीं।

श्री **दिग्विजयसिंह** : नाथरिया से पिपलू रोड़ और टोरड़ी से जिलाना रोड़ क्या यह आपके रिवाइज्ड एस्टीमेट में शामिल हैं ?

श्री **माधोसिंह** : वापिस फिर कह दें।

एक माननीय सदस्य : समझे नहीं।

श्री **दिग्विजयसिंह** : नाथरिया से पिपलू रोड, टोडारायसिंह से जिलाना रोड और मालपुरा से देवली रोड–ये क्या आपके रिवाइज्ड एस्टीमेट में हैं ?

श्री **माधोसिंह** : जी हां, रिवाइज्ड एस्टीमेट में सैंक्शन है।

श्री **मदनसिंह** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। यह सारा बजट में होता है। यह सारी जितनी चीज हैं वह सब बजट में होती हैं और जनता को विश्वास दिया जाता है कि हम अमुक अमुक चीज पर इतना बजट रखते है, आप हाउस में वायदा करते हैं–क्या वह पूरा नहीं होता है ? क्या यही होता हैं और आफ्टर बजट सेशन एक मंत्री बजट पास हुये बाद में कहते है हमें घटाने और बढ़ाने का अधिकार है चाहे वह किसी भी रूप में हो, मैं इसको सीरियस लेता हूं। क्या अधिकार

(श्री मदनसिंह)

है क्या ? बजट पास हुये बाद, निश्चित रूप से बजट अलग अलग रूप से पास होता है क्या अधिकार है पालिटिकल ग्राउन्ड या अदर मीन्स से ? अध्यक्ष महोदय, आप इसके ऊपर फर्मायें।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे देता हूं। वैसे यह पाइन्ट आफ आर्डर तो नहीं है लेकिन स्पष्टीकरण का प्रश्न जरूर है। मैं वास्तविकता क्या है जानकारी करके बता दूंगा।

श्री लादूराम मुलानिया : मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा जानते हैं मैं तो कम ही कह रहा हूं। बाद में स्पष्टीकरण कर दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : रिवाइज्ड एस्टीमेट में कम कर सकते हैं। मुझे आप कारण बता देंगे, उनियारा की रोड को कम करने का क्या कारण है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जानकारी करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। श्री आर्य।

श्री दिग्विजयसिंह : पहले तो यह बात कही (विराम) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ज्यादती की बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री आर्य।

प्रश्न संख्या 89

श्री हंसराज आर्य।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात का समर्थन करते है कि उप मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह सही है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : एक मंत्री का प्रश्न दूसरे मंत्री महोदय से नहीं पूछा जाय। मंत्री महोदय से ही स्पष्टीकरण के रूप में कोई प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : उप मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है क्या यह सही है ?

एक माननीय सदस्य : यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तो इसलिये पैदा होता है, माननीय मंत्री ने कहा–मैं इसकी जानकारी करूंगा कि अमुक स्थिति की जानकारी क्या है। मैं यह जानना चाहता हूं, उप मंत्री महोदय ने जो जबाब दिया मंत्री महोदय क्या उसका समर्थन करते हैं कि जवाब सही है ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : यह·····आपका प्रश्न बड़ा प्रेगनेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उप मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह सरकार का उत्तर है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सरकार का उत्तर तो है ही। जो बजट में हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी और कर लूंगा। जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं है (विराम) वरना (विराम) उप मंत्री महोदय का जवाब सरकारी जवाब है।

श्री भैरोंसिंह : उप मंत्री जी ने यह कहा, उनियारा में इतनी रकम का प्रावधान रखा है और रिवाइज्ड एस्टीमेट में हटा दिया गया। क्वेश्चन इतना सा है उन्होंने स्वीकार कर लिया और मंत्री महोदय ने कहा मैं इसकी जानकारी कर लूंगा। क्या मंत्री महोदय इस बात को मानते हैं कि उनियारा की अमुक सड़क का जो बजट एस्टीमेट में सवाल है उसको रिवाइज्ड एस्टीमेट से हटा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह जानकारी में है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर जानकारी में होता तो मैं यह नहीं कहता।

श्री भैरोंसिंह : उप मंत्री महोदय ने जो कहा है वह उनकी जानकारी में नहीं है इसलिये ये इनका समर्थन नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लादूराम सुलानिया। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी।

(विराम)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उनको मालूम नहीं है। दोनों ही नहीं हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : दोनों मंत्री बैठे हैं। उप मंत्री और मंत्री बैठे हैं। जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह (उप मंत्री) : सार्वजनिक निर्माण नहीं है। नगर योजना है।

झोटवाडा क्षेत्र के परिगणित जाति के व्यक्तियों की आवास योजना

76. **श्री लादूराम सुलानिया (फागी) :** क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि झोटवाडा क्षेत्र में हजारों अनुसूचित जाति, जनजाति व विमुक्त जातियों के परिवार हैं ? क्या आज तक नगर परिषद् व न्यास द्वारा उनके आवास की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने इस क्षेत्र की परिगणित जाति के व्यक्तियों का सर्वे कराया है जिनके पास कदीमी कब्जा होने पर भी उनके स्थाई आवास की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिन परिगणित जाति के व्यक्तियों के पास जमीन के पट्टे होने के बावजूद भी नगर परिषद् व नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा उन्हें भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जाती है–जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में इन लोगों को उनके कब्जों के आधार पर उचित मूल्य पर भूमि अलाट कर उन्हें आवास सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, नगर विकास न्यास (श्री खेतसिंह) : (1) न्यास द्वारा हाल ही में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा योजना बनाई जा रही है।

(2) भूमि का सर्वेक्षण कराया गया है। अतः तालिका पेश करने का प्रश्न नहीं उठता।

(श्री खेतसिंह)

(3) झोटवाड़ा क्षेत्र केवल न्यास सीमा में है और योजनाबद्ध बसाये जाने हेतु योजना का मानचित्र मुख्य नगर नियोजक से अनुमोदित होने पर अनुमोदित सेट बेक्स अनुसार ही कार्यवाही सम्भव है।

(4) न्यास द्वारा अभी हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर योजना बनाई जा रही है अतः विधिवत योजना बन जाने पर ही आवंटन व आधिपत्य प्रदान करने की कार्यवाही सम्भव हो सकती है।

श्री लादूराम सुलानिया : प्रश्न एक में जो बताया है, सर्वे कराया है। तो सर्वे में कितनी भूमि है और कितने बसने वाले लोग हैं ? क्या दोनों आंकड़े आपके पास हैं ?

श्री खेतसिंह : बसने वाले लोगों की संख्या मेरे पास नहीं है। पंचायत के पास से यह क्षेत्र अभी 1965 में जब यह नगर परिषद् की सीमा में आ गया है तब से ली गई है।

श्री लादूराम सुलानिया : प्रश्न एक में यह जानकारी चाहिये और उसमें मैंने यह चाही है। आपने सर्वे के लिये कहा, सर्वे हो गया है, सर्वे का सीधा मतलब है कितने लोग बसे हुए हैं, कितने लोग बसेंगे और कितनी भूमि है ? ये आंकड़े आपके पास जरूर होने चाहिये ताकि अन्दाज लगा सकें कि इतने लोगों को बसा सकेंगे। ये दोनों ही बात नहीं हैं तो फिर सर्वे किस बात का कराया ?

श्री खेतसिंह : मैंने पहले ही निवेदन किया। यह पहले पंचायत के क्षेत्र में था और अब नगर परिषद् के पास आने पर नगर सुधार न्यास द्वारा सर्वे कराया गया है इसका पूरा सर्वे करा कर कहां से सड़कें निकलेंगी, कहां कहां बिजली लगेगी और किस किस प्रकार का इन्तजाम किया जायगा। इसका एक मानचित्र तैयार किया गया है और वह मानचित्र हमारे टाउन-प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो चीफ टाऊन प्लानर हैं, उनके पास है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, सीधा सा प्रश्न है। सर्वे के बारे में बात हो रही है। आपने सर्वे कराया है। पंचायतों की 65 के अन्दर नगरपालिकायें और नगर परिषदों के अन्दर भूमि मिल चुकी हैं और 6 साल के अन्दर सर्वे नहीं हुआ, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, लोगों को रोशनी नहीं मिलती है, सफाई की व्यवस्था नहीं है और न उनको बसाने के लिए प्लाट्स हैं। न्यास वाले उनके घरों को तोड़ देते हैं, नगरपालिका वाले उनके घरों को तोड़ देते हैं····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, क्या ठीक है मंत्री महोदय।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा उतना तो ठीक नहीं है·····

श्री लादूराम सुलानिया : यह बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह : नगर न्यास के आने के बाद कुछ इलाकों के अन्दर ट्यूब लाइट्स लगाई गई है, सड़कों की मरम्मत के लिए

Page No 26

(श्री खेतसिंह)
पैसा मन्जूर किया गया है और सड़कों की मरम्मत की जा रही है, पानी देने की व्यवस्था की है। यह बात सही है कि कुछ लोगों ने न्यास के आने के बाद अन-आथोराइज्ड कन्सट्रक्शन वहां पर करा लिये हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मदनसिंह : अभी कहा कि सर्वे कराया है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि बिजली वगैरह और नल आदि की व्यवस्था करने के लिए सरकार विचार कर रही है और कुछ काम किया, कुछ नहीं किया परन्तु मुख्यतः इस प्रश्न का मूल आधार आवास संबंधी सुविधायें प्रदान करने के संबंध में है— क्या मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ प्रकाश डाल सकेंगे कि आया आवास सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है, की जायेगी ? कब तक की जायेगी या क्या स्थिति है ?

श्री खेतसिंह : मैं. माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय को नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि, जैसा मैंने अपने जवाब में निवेदन किया है कि इसकी सारी स्कीम बनाकर टाउन प्लानर के पास भेज दी गई है और जिन व्यक्तियों के पास पंचायतों के पट्टे हैं उनके बसाने के लिए तो बिल्कुल नियमानुसार कार्यवाही चल रही है लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीन नगर विकास न्यास के पास आई है उसके बाद में अनआथोराइज्ड कन्सट्रक्शन्स किये हैं और उनके पास जमीन के पट्टे भी नहीं है। उनको हमने नोटिसेस इश्यू किये हैं। यदि उनके पास पुराने पट्टे उपलब्ध हुए तो गवाही लेने के बाद कार्यवाही की जायेगी। लेकिन जिन्होंने अन-आथोराइज्ड कन्सट्रक्शन्स किये हैं उनके खिलाफ जो नियमानुसार कार्यवाही होगी वही होगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : सर्वे के अन्दर....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो सरकार कदम उठा रही है वह तो ठीक दिशा में उठा रही है। कब्जेदारी के आधार पर आवास सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। 6 साल के अन्दर तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है, मंत्री महोदय।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि इसका उत्तर..

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। अभी नेता महोदय ने प्रश्न किया है। बीच में व्यवधान न डालें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद मानता हूं कि समय काफी गुजर गया है और कार्यवाही जल्दी होनी चाहिये थी। इस ओर तेजी से कार्यवाही करने के लिए राज्य

(श्री खेतसिंह)
सरकार की तरफ से नगर विकास न्यास को लिखा जायेगा कि जल्दी से जल्दी इसकी ओर कार्यवाही करके आवास के लिए प्रबन्ध किया जाये।

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री बालसिंह सोढा : अगला प्रश्न बहुत इम्पार्टेन्ट है। वैस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों के सम्बन्ध में है···

श्री अध्यक्ष : मैं इस समय नहीं ले सकता।

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी

78. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले दो वर्षों में पश्चिमी पाकिस्तान से राज्य के किन किन जिलों से होकर 31 दिसम्बर, 70 तक कुल कितने हिन्दू राजस्थान में आये हैं ?

(2) वे शरणार्थी इस समय कहां हैं ? उनके रहने-सहने की क्या व्यवस्था है ?

(3) क्या उन्हें कहीं पर मुस्तकिल तौर पर बसा दिया गया है ?

(4) यदि हां, तो कहां कहां पर और कितनी कितनी संख्या में बसाया गया है ?

(5) क्या उनमें कुछ हरिजन भी हैं ?

(6) यदि हां, तो कितनी संख्या में हैं ?

(7) क्या उनको कहीं काश्त की भूमि या व्यापारी होने की स्थिति में आजीविका के स्थाई साधन जुटाये गये हैं ?

(8) क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि यह शरणार्थी क्यों पाकिस्तान से भारत में आये हैं ?

(9) क्या पाकिस्तान में उन्हें सताया गया है ? यदि हां, तो किस तरह से सताया गया है ?

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों में पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं की जिलेवार संख्या निम्न प्रकार है:—

जिला	1969	1970
(1) बाड़मेर	76	237
(2) जैसलमेर	63	20
(3) बीकानेर	--	9
(4) गंगानगर	1'2	1315

(2) ये शरणार्थी उपरोक्त जिलों में भिन्न भिन्न स्थानों में रह रहे हैं तथा स्वयं ही अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। बाड़मेर में आये शरणार्थियों में से 2 सिरोही, 2 गुजरात, 1 पाली तथा 308 बाड़मेर खास में हैं। बीकानेर से आने वाले शरणार्थी इस समय बज्जू ग्राम में हैं। इसी प्रकार से जैसलमेर से आए हुये शरणार्थी रामगढ़, बीजराड़, का तला एवं सतों में हैं। गंगानगर

(गृह मंत्री)
में आने वाले शरणार्थी विजयनगर एवं बुद्धावाली क्षेत्रों में रह रहे हैं।

(3) अभी उनको मुस्तकिल तौर से नहीं बसाया गया है किन्तु उनको मुस्तकिल रूप से बसाने की योजना चल रही है जिसके शीघ्र क्रियान्वित होने की आशा है।

(4) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अभी मुस्तकिल तौर पर शरणार्थियों को नहीं बसाया गया है।

(5 व 6) पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू शरणार्थियों में से केवल 8 हरिजन हैं वो जैसलमेर जिले में रह रहे हैं।

(7) अभी कोई काश्त की भूमि नहीं दी गयी है तथा आजीविका के स्थाई साधन नहीं जुटाये गये हैं किन्तु ये राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(8 व 9) हिन्दू शरणार्थियों के कथनानुसार उनको भय, आतंक एवं धर्म परिवर्तन के डर से भारत आने के लिये बाध्य होना पड़ा है।

भादरा तहसील के खारे पानी वाले गांवों में मीठा पानी देने की योजना

85. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगानगर जिले की भादरा तहसील के खारे पानी वाले गांवों को मीठा पानी देने की योजना बनाई गई है?

(2) यदि हां, तो क्या योजना है, कितने समय में उसे पूरा किया जायेगा और उसकी लागत क्या होगी?

(3) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(2) लागत तो योजना बनाने पर ही पता लग सकेगी और समय अभी बताना सम्भव नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरपालिका नोहर के निलम्बित कर्मचारी

87. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नोहर नगरपालिका के साबिका ई. ओ. श्री दाधीच को मोअत्तिल कर दिया गया था?

(2) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाये गये हैं?

(3) क्या इनके साथ में पालिका के किसी दूसरे कर्मचारी को भी मोअत्तिल किया गया था?

(4) आरोपों की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आरोपों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) मद 2 में उत्तर दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

शहरों में पीने के पानी पर व्यय की गई राशि

89. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले दस सालों में सरकार ने शहरों में पीने के पानी पर कितनी धन-राशि खर्च की और गांवों पर कितनी?

(2) सन् 1961 की जनगणना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्रों की कुल कितनी जन संख्या है और गांवों की कितनी है?

(3) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गांवों को पीने का पानी देने के लिये कितनी धनराशि रखी है और नगरपालिका क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि रखी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखा जावे।

उत्तर

(1) पिछले दस सालों में तृतीय पंच-वर्षीय योजना से वर्ष 69–70 तक इस विभाग द्वारा पीने के पानी पर निम्न प्रकार धनराशि व्यय की:–

शहरों में	गांवों में
लाख रुपये	लाख रुपये
981–717	1017–17

(2) सन् 61 की जनगणना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्रों की जनसंख्या 32, 58, 239 व गांवों की 1,68, 74,124 है।

(3) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गांवों को पीने का पानी पहुंचाने के लिये 2000 लाख रुपये रखे गये हैं एवं नगरपालिका क्षेत्रों के लिये 1100 लाख रुपये रखे गये हैं। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चूरू कस्बे में बरामद गांजा

64. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माह दिस-म्बर सन् 70 के आखरी सप्ताह में राज-स्थान पुलिस के गुप्तचर अधिकारियों ने कस्बा चूरू में कुछ अवैध गांजा छापा मार कर पकड़ा था?

(2) यदि हां, तो यह गांजा किस व्यक्ति के यहां पर पकड़ा गया था और गांजा वजन में कितना था तथा कितनी कीमत का था? अब वह कहां पर है? उसका भविष्य में क्या उपयोग किया जावेगा?

(3) क्या इस गांजा पकड़ने के छापे में पुलिस ने कोई गिरफ्तारी भी की थी?

(4) यह गांजा कहां से, कौन से रास्ते से किस के द्वारा लाया गया था व किस वाहन से आया था?

(5) छापा मारने वाले पुलिस के कौन कौन अधिकारी थे?

(श्री हंसराज आर्य)

(6) छापा मारने वाले अधिकारियों को क्या इनाम दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) पुलिस ने 417 किलो ग्राम जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये मानी जाती है श्री गिरधारी लाल के गोदाम व जीप नं0 एच0आर0जी0 8849 में से बरामद किया था। गांजा अभी पुलिस के कब्जे में ही है जो मुकद्दमे का चालान प्रस्तुत करते समय अदालत में जमा कराया जायेगा बाद में निर्णय मुकद्दमा अदालत के आदेशानुसार इस गांजे का डिस्पोजल किया जायेगा।

(3) जी हां, श्री गिरधारी लाल नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

(4) मुकदमें की तफतीश अभी जारी है और पूरी छानबीन करने के बाद ही इस बात के बारे में कुछ कहा जा सकता है। जीप के द्वारा गांजा लाया जा रहा था।

(5) छापा मारने वाले पुलिस के अफसरों व मुलजिमान के नाम संलग्न सूची के कालम नं0 2 में दर्ज है।

(6) छापा मारने वाले अफसरों व मुलाजमान को दिया गया इनाम संलग्न सूची के कालम नं0 3 व 4 में दर्ज है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

कंजरों की गिरफ्तारी

65. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1969 में बूंदी पुलिस अधिकारी मय फोर्स के आवां, जिला टौंक में कुछ कन्जरों की गिरफ्तारी के लिये आवां आए थे ? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस फोर्स में आधे सिपाहियों ने पुलिस की वर्दी नहीं पहन रखी थी और इस फोर्स को लेकर नैनवा के सी. ओ. श्री बद्रीप्रसाद आए थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि वे शाम को आवां पहुंचे और उन्होंने सीधे कन्जरों पर हमला बोला जब कि उनको थाना आवां में रिपोर्ट दर्ज करा कर कार्यवाही करनी चाहिये थी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि इस फोर्स के साथ टौंक जिले के अतिरिक्त एस. पी. भी शामिल थे ?

(5) क्या यह सत्य है कि कंजरों ने पुलिस वालों का मुकाबला किया और उसमें पुलिस अधिकारियों को चोटें आई ? यदि हां, तो कितने अधिकारी घायल हुए ? क्या एक पुलिस कर्मचारी का हाथ भी टूट गया ?

(9) क्या यह सही है कि कन्जर पकड़े नहीं गए तब उन पर पुलिस ने गोलियां चलाई और जिससे कन्जरों को घायल अवस्था में पकड़ा गया ? यदि हां, तो यह गोली किस के आदेशों से चलाई गई ?

(7) क्या यह सही है कि 303 की गोली नहीं चलाई गई पर 12 बोर बन्दूक चलाई गई जिसके छर्रों से उन कन्जरों के चोटें आई ? यदि हां, तो यह 12 बोर

(श्री दिग्विजयसिंह)

बन्दूक किस के पास थी और क्या पुलिस द्वारा इसका प्रयोग ऐसे समय किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी हां। तां. 27-8-69 को बून्दी के डी. वाई. एस.पी., एक सी.आई., 5 उप निरीक्षक, 3 हैड कान्सटेबल्स की पुलिस पार्टी लेकर उनके मु0 नं0 231 69 धारा 457, 380 आई. पी. सी. थाना लाखेरी-में मुल्तवा कन्जरान की गिरफ्तारी हेतु आवां आये थे।

(2) जी नहीं, यह गलत है। सब सिपाहियों ने वर्दी पहन रखी थी और इस फोर्स के साथ नैनवा के सी.ओ. श्री बद्री-प्रसाद भी आये थे।

(3) जी नहीं। पहले वे थाने पर गये और वहां से एक हैड कान्सटेबल को साथ लेकर कन्जर कालोनी गये।

(4) जी नहीं यह गलत है।

(5) जी हां, यह सही है। सिपाही सर्व श्री दुर्गालाल, मूलसिंह, रामकरन, बैकुन्ठ नाथ को चोटें आई और सिपाही श्री ऊंधा का हाथ टूट गया।

(6) जी नहीं, यह गलत है। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। मुकाबले में पकड़ा धकड़ी के वक्त कन्जरों के भी साधारण चोटें आई थीं।

(7) जी नहीं, यह गलत है।

थानेदार की नियुक्ति

66. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि श्री दशोर जो इस समय ट्रैफिक पुलिस, उदयपुर में नियुक्त हैं, ने कोई थानेदार की परीक्षा पास नहीं की है ? यदि की है, तो कहां से पास की ? प्रमाण-पत्र सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या किसी भी व्यक्ति को बिना योग्यता के सरकार थानेदार के पद पर नियुक्त कर सकती है ?

(3) श्री दशोर की, जो कि अभी उदयपुर में थानेदार हैं, शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं ? इससे पूर्व वे कहां पर और किस पद पर नियुक्त थे ?

उत्तर

(1) इस समय श्री दशोर नाम के कोई उप निरीक्षक, ट्रैफिक पुलिस, उदयपुर में नहीं लगे हुए हैं।

(2) थानेदार की नियुक्ति तो नियमानुसार ही होती है जिसके लिए लिखित परीक्षा पास करनी होती है और गठित बोर्ड द्वारा उसकी योग्यता देखी जाती है।

Page No 32

(गृह मंत्री)

(3) उदयपुर में अभी श्री दशोर नाम के दो थानेदार हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	नाम	शैक्षणिक योग्यता	पूर्व पद स्थापन का स्थान	पदस्थापन की तिथि
1.	श्री मोहन लाल दशोर सोपो। एस. एच.ओ. रेलमगरा	मैट्रिक	थाना आमेट इसके पहिले जिला डूंगरपुर में थे।	23।4।69
2.	श्री नारायण शंकर दशोर ए0पी0	इण्टर	पुलिस लाइन	21।4।66

समाज सेवी संस्थाओं को अनुदान

67.श्री **लादूराम सुलानिया (फागी) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण सेवी संस्थाओं को अनुदान आदि की सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो उसके नियम व योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :-

(2) क्या अब तक राज्य सरकार द्वारा किन्हीं समाज सेवी संस्थाओं को अनुदान आदि की सहायता दी गई ? यदि हां, तो किस किस संस्था को कितनी कितनी ? वर्ष 1966-67 से फरवरी, 70 तक के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(3) सन् 1969-70 में समाजसेवी संस्थाओं को अनुदान आदि दिये जाने हेतु कितना प्रावधान रखा गया था तथा उसमें से किस किस संस्था को कितना कितना दिया गया और कितना शेष है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वयं सेवी संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के नियमों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रखदी गई है।

इन संस्थाओं द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं उनकी सूची क्रमश: 'क' भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सन् 1966-67 से 1969-70 तक पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जिन स्वयं सेवी संस्थाओं को जितना अनुदान दिया गया उसकी सूची 'क' और सामान्य स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान की सूची (क) में है जो सदन की मेज पर रखदी गई है। इन संस्थाओं द्वारा जो प्रवृतियां चलाई जाती हैं उनका विवरण सूची 'क' में अंकित है।

Page No 33

(समाज कल्याण मंत्री)

(3) सन् 1969-70 में समाज कल्याण का कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देने के लिए 6,96,000) रु. का प्रावधान रखा गया था। इन संस्थाओं की आवश्यकतानुसार अनुदान की राशि में वृद्धि करके 7,62,160)रु. का अनुदान दिया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

धारा 91 के अन्तर्गत मामले

68. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

धारा 91 के अन्तर्गत जिला पाली में कुल कितने मामले चल रहे हैं? इसका विवरण नियमानुसार सदन के पटल पर रखने की कृपा करें?

प्रति तहसीलदार मामलों की संख्या मालवार।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

बारानी क्षेत्र में भूमि का आवंटन

69. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर):— क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के बारानी क्षेत्र में वर्ष 1970 में भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो कसके द्वारा, कौनसी तारीखों में, कितने काश्तकारों को भूमि अलॉट की गई? उक्त आवंटन के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र खारिज किए गए व कितने पेंडिंग हैं? ग्राम वार तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि गांव श्रीरंगसर के काश्तकारों को भूमि अलॉट की गई? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को कितने बीघा भूमि अलॉट हुई व कितने प्रार्थना-पत्र खारिज हुए व खारिज होने के कारण सहित तालिका सदन की मेज पर करने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, तहसीलदार, नोहर द्वारा विभिन्न तारीखों में 175 व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है जिसकी सूची (क) संलग्न है। इसके अलावा 22 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र खारिज किए गए हैं जिनकी सूची (ख) संलग्न है।

(2) जी हां, ग्राम श्रीरंगसर के 2 हरिजन काश्तकारों को 62 बीघा भूमि आवंटित की गई है तथा उक्त ग्राम के किसी भी काश्तकार के प्रार्थना-पत्र अभी तक खारिज नहीं किये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाडमेर नगर में आबादी में परिवर्तित भूमि

70. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाडमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर में श्री चतुर्भुज पुत्र बन्शीधर अग्रवाल

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
(अर्जीनवीस) को सन् 67 में भूतपूर्व एस. डी. ओ. श्री जवानसिंह ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज सरकारी भूमि को कानून के विरुद्ध उनकी मान कर आबादी में परिवर्तित करदी ? कृपया सम्बन्धित कागजात जिसमें पटवारी की रिपोर्ट एवं एस. डी. ओ. द्वारा किये गये फैसले आदि की प्रति है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह मालिकाना हक मानना व भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के आदेश कथित एस. डी. ओ. ने अपने स्थानान्तरण आदेश पारित होने के पश्चात् जारी किये हैं ? यदि हां, तो किस तिथि को ? कृपया दोनों तिथियों को बतलाया जाये ?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि के कुछ भाग में चूने के भट्टे बने हुये हैं जिन्हें जिलाधीश ने सन् 67 से कई वर्ष पूर्व सरकारी भूमि मान कर लीज पर दे दिया था? यदि हां, तो किस तारीख को किन किन को लीज पर दी गई व कब कब का किराया वसूल हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पार्टी ने जिलाधीश, बाड़मेर व राज्य सरकार को सन् 67 से पूर्व भूमि उनकी मानने का नोटिस दिया था व जिलाधीश ने उसे मान कर हिदायत की थी कि वह अपना हक दीवानी अदालत से तय करावे ? उनके आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) यदि यह सही है, तो श्री जवान सिंह, एस. डी. ओ. ने कथित भू–खण्ड को जिसकी कीमत लाखों की मानी जाती है किस प्रकार उसी व्यक्ति, श्री चतुर्भुज की मान कर आबादी में परिवर्तित किया ?

(6) क्या यह सही है कि बाड़मेर कस्बे का सेटलमेंट सन् 1955–56 के पूर्व हो चुका था व उस समय क्या उक्त पार्टी ने कानून में निहित अवधि में भूमि उसकी होने या आबादी होने का ऐतराज किया था ? यदि हां, तो उनका निर्णय क्या रहा ? यदि एतराज नहीं किया, तो अब तक इतने वर्षों के पश्चात् विशेष कर जिलाधीश द्वारा जब उसका पहले ही क्लेम खारिज कर दिया था व उसने दीवानी दावा नहीं किया तो, एक अधीनस्थ एस. डी. ओ. श्री जवान सिंह ने किस प्रकार से आदेश पारित किये ?

(7) क्या यह सही है कि श्री जवान सिंह ने उक्त मालिकाना व आबादी में परिवर्तित करने के आदेश पारित करने के पश्चात् श्री चतुर्भुज की गोठ ली थी ? जांच करा कर सही तथ्य सदन के समक्ष रखने की कृपा करें ।

(8) जब यह भूमि राजस्व रेकार्ड की सरकारी गैर आबादी की दर्ज थी तो, क्या एस. डी. ओ. को यह अधिकार था कि वह इतना बड़ा क्षेत्र किसी प्राइवेट पार्टी को आबादी में बगैर राज्य सरकार की अनुमति किए परिवर्तित करे ?

(9) क्या उक्त अवैधानिक कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

(10) क्या इस अवैधानिक कार्यवाही की राज्य सरकार को पूरी जानकारी है ?

Page No 35

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
यदि हां, तो उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? पूरी जानकारी दें।

(स्थगित किया गया)

पुलियाओं की मरम्मत

71. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि छीपा बड़ोद से हरनावदा शाहजी तक जो कच्ची सड़क जाती है उस पर बनी हुई पुलियायें खजूरिया के पास की व कुम्बा खेड़ी की घाटी से हरनावदा शाहजी के बीच की टूटी हुई हैं जिसकी वजह से यातायात को भारी रुकावटें खड़ी हो गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन टूटी हुई पुलियाओं की वजह से इस सड़क का यातायात करीब बन्द सा हो गया है और इस एरिया के निवासियों को बहुत असुविधा उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्यों नहीं सरकार इन पुलियाओं को अविलम्ब ठीक कराती है ?

उत्तर

(1) उक्त मार्ग, इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

छीपा बड़ोद से बन्जारी–हरनावदा शाहजी व मनोहरथाना सड़क

72. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद से बन्जारी होती हुई हरनावदा सड़क मौजूद है ?

(2) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद से मनोहर थाना वाया बन्जारी हरनावदा शाहजी कुल 30 मील है ?

(3) क्या यह सही है कि अगर यह तीस मील की सड़क पक्की बन जावे तो बीनागंज (एम.पी.) तक आवागमन की पूरी सुविधा हो जायेगी जिससे राजस्थान व मध्य–प्रदेश के व्यापार को व आवागमन को भारी सुविधा होगी ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को क्यों नहीं पक्की बनवाने की योजना तैयार करती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सड़क इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(3) सड़क निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

कवाई–छबड़ा सड़क

73. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कवाई से छबड़ा सब–डिवीजन हैडक्वार्टर तक पहुँचने के लिये कोई भी पक्की सड़क नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि इस रास्ते में दो नदियां आती हैं जिन पर किसी

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
भी नदी पर आज तक पुल बना हुआ नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला हैडक्वार्टर से सब-डिविजन हैडक्वार्टर तक पक्की सड़क आवागमन के लिये होना जरूरी है ? यदि हां, तो अभी तक क्यों नहीं इस रास्ते पर पक्की सड़क बनाई गई ?

उत्तर

(1) कवाई से छबड़ा पक्की गिट्टी रोड क्रोस ड्रेनेज कार्य को छोड़कर बनी हुई है।

(2) जी हां।

(3) जिला हैडक्वार्टर कोटा से सब-डिविजन छबड़ा तक अन्धेरी नदी की एप्रोच रोड का 6 फर्लांग का भाग छोड़कर पक्की बनी हुई है। पुल निर्माण अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं हुआ है। पुल निर्माण के पश्चात् उक्त अपूर्ण टुकड़ा पूरा कराया जावेगा।

पुल की मरम्मत

74. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद तहसील के छीपा बड़ौद कस्बे से कवाई तक जो सड़क जाती है उस सड़क पर ग्राम मुवासा के यहां पर लासी नदी का जो-जो पुल बना हुआ है उसकी एक साइड टूटी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस साइड के बनवाने का पहले किसी को ठेका भी दिया गया था ? यदि हां, तो किस को या नहीं दिया गया तो अभी तक इस पुल की मरम्मत क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि इसकी वजह से ट्रैफिक को बड़ा खतरा रहता है तथा बरसात में बसों का नदी में गिर जाने का खतरा बना रहता है ?

उत्तर

(1) छीपा बड़ौद से सालपुरा जाने वाली रोड के मील 60 पर लासी नदी पर बने पुराने काजवे (पुल) की डाउन स्ट्रीम की दीवार गिरी हुई है

(2) जी नहीं।

(3) वर्षाकाल में ट्रैफिक को खतरा रहता है।

पलायथा सड़क की मरम्मत

75. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा से अन्ता तक जो पक्की सड़क बनी हुई है उस सड़क पर पलायथा के पास काली सिंध नदी के पुल व पलायथा ग्राम के बीच में जो सड़क है उस पर पानी भरा रहता है जिसकी वजह से यातायात को भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो सड़क की मरम्मत कब तक करवादी जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

झोटवाडा कस्बे में सार्वजनिक स्थान

76. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील जयपुर के झोटवाडा कस्बे में जो कि नगर परिषद् सीमा जयपुर का एक अंग है, कोई सार्वजनिक स्थान है? यदि हां, तो क्या उनका उपयोग सार्वजनिक हित के लिये ही हो रहा है? यदि हां, तो उन सार्वजनिक स्थानों के नाम, मौहल्ले का नाम, वर्तमान स्थिति पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस कस्बे के सार्वजनिक स्थानों के निर्माण एवं मरम्मत आदि के लिये सम्बन्धित पंचायत समिति, पंचायत द्वारा अनुदान व चन्दा दिया गया है? यदि हां, तो किस किस संस्था द्वारा कितना कितना व कब कब? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) वर्तमान में इन स्थानों पर किसका कब्जा है, तथा क्या इन कब्जों के हटवाने के सम्बन्ध में स्थानीय जनता की ओर से सम्बन्धित विभागों से कोई कार्यवाही चलाई गई है? यदि हां, तो क्या जनता की शिकायत पर अवैध कब्जे हटा दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में झोटवाड़ा कस्बे के सार्वजनिक स्थानों का ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सार्वजनिक स्थान में कुआं, धर्मशाला व स्कूल वगैरह भी शामिल हैं? यदि हां, तो क्या उन पर तहसील जयपुर द्वारा किसी व्यक्ति को कब्जा देने के आदेश दिये गये हैं, जिसका जनता द्वारा विरोध लिखित रूप में किया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया?

(6) क्या यह सही है कि इसके वहां निर्माण पर वहां के लोगों ने ऐतराज किए थे? यदि हां, तो उस पर विभाग ने ध्यान क्यों नहीं दिया?

(7) क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिंचाई विभाग के अधीन है?

(8) क्या यह सही है कि डाक बंगले के निर्माण पर करीब 50,000 रुपये खर्च हुए हैं?

(9) क्या यह सही है कि इसके निर्माण हेतु मुख्य मन्त्री ने विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान की थी?

(स्थगित किया गया)

खारे पानी वाले गावों में पीने के पानी की योजना

77. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किस किस जिले की किस किस तहसील में कितने कितने ऐसे गांव है जिनका पानी खारा है और मनुष्य तथा मवेशियों के पीने लायक नहीं हैं?

(श्री हंसराज आर्य)

(2) ऐसे खारे पानी वाले गांवों के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(3) इन खारे पानी वाले गांवों के लिए सरकार कब तक पीने के पानी की व्यवस्था कर देगी ?

(4) इस व्यवस्था पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

(5) क्या इस व्यवस्था पर खर्च होने वाली धनराशि को राजस्थान सरकार अपने सामर्थ्य से जुटा सकेगी ?

(6) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार से प्लान द्वारा धनराशि की मांग की गई है ?

(7) यदि हां, तो कितनी धनराशि की ?

(8) यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

उत्तर

(1) मास्टर प्लान के लिए की गई प्रारम्भिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के जिन जिलों में जिन जिन गांवों में पानी खारा है उसकी पंचायतवार सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, अलग से कोई योजना नहीं बनाई है लेकिन इन खारे पानी वाले गांवों को भी पंचायत समिति वाइज तैयार किये गये मास्टर प्लान में ले लिया गया है।

(3) यह मीठे और पर्याप्त मात्रा में पानी देने वाले स्रोत एवं धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(4) धनराशि खर्च होने का अनुमान अलग से विस्तृत योजना बनाये जाने पर ही लगाया जा सकता है। मास्टर प्लान के अनुसार लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(5) जी नहीं।

(6 व 7) भारत सरकार द्वारा मास्टर प्लान जिसकी अनुमानित लागत 70 करोड़ रु. है, के लिए आवश्यक धनराशि की मांग की गई थी।

(8) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सेवा-मुक्त कर्मचारी

78. श्री **लादूराम सुलानिया** (फागी): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्य यह सत्य है कि उद्योग विभाग द्वारा सन् 1960 से अब तक कई सरकारी कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया है ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

(2) क्या उद्योग विभाग द्वारा सेवा मुक्त किये गये कर्मचारियों में से किसी ने कोई अपील की है ? यदि हां, तो किन किन कर्मचारियों द्वारा व उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, 6 व्यक्तियों को जिनमें से 5 व्यक्तियों को गबन के कारण तथा एक को जान बूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा मुक्त किया गया।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हां। केवल दो कर्मचारी सर्व श्री धन्नालाल मेहता व इकरामुद्दीन ने अपील की थी, जो स्वीकृत की जाकर, उनको पुनः सेवा में ले लिया गया।

डाक बंगलों एवं रेस्ट हाउसों का निर्माण

79. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1969-70 में विभाग द्वारा कोई नये डाक बंगले या रेस्ट हाउस बनाए गये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(2) क्या यह सही है कि "कोट ग्राम के बांध" पर विभाग द्वारा कोई नया डाक बंगला बनाया गया है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई है ?

(3) क्या यह सही है कि इस भवन के निर्माण में किसी सेठ ने या किसी संस्था ने पैसे दिये हैं ? यदि हां, तो उसके द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई है और उसका क्या नाम है ?

(4) इस भवन के निर्माण कराने का क्या कारण है ? क्या यह राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है ?

(5) क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण करने से पूर्व दूसरी 'साइट' देखी गई थी और उस डूंगरी पर सड़क बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस कार्य पर कितना खर्च हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर इस भवन का निर्माण किया गया है वहां पर "एक शिवालय" पहिले से ही बना हुआ है ?

(7) क्या यह सही है कि इसके वहां निर्माण पर वहां के लोगों ने ऐतराज किये थे ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने ध्यान क्यों नहीं दिया ?

(8) क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिंचाई विभाग के अधीन है ?

(9) क्या यह सही है कि इस डाक बंगले के निर्माण पर करीब 50 हजार रुपये खर्च हुए हैं ?

(10) क्या यह सही है कि इसके निर्माण हेतु मुख्य मंत्री ने विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान की थी ?

(स्थगित किया गया)

<u>स्थगित प्रश्न</u>

(17-3-71)

ग्राम निमेडा से पारली वाया मेदवास सड़क का निर्माण कार्य

21. श्री लादूराम सलानिया (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर-मालपुरा-डिग्गी रोड पर ग्राम निमेडा से पारली वाया मेदवास रोड के निर्माण हेतु 1958 से कार्यवाही चालू है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितने कितने मील पर मिट्टी, डामर आदि का कार्य किया गया ?

(श्री लादूराम सुलानिया)

(2) क्या वह रोड निमेड़ा से पारली तक बन गयी है और माइलेज व किलो मीटर के मार्ग–दर्शक चिन्ह लग गये हैं और कितनी पुलियों का निर्माण किया गया है ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) निमेड़ा से पारली वाया मैदवास रोड का कार्य अकाल राहत कार्य 1966 में आरंभ कराया गया था। कार्य विवरण निम्न है:–

1966 में 8 मील में मिट्टी का कार्य कराया गया।

1967–68–4 मील में मिट्टी का कार्य कराया गया है।

1969–70–मिट्टी 2॥ मील तथा कंकर बिछवाई का कार्य 14 मील में हुआ है।

(2) जी हां, कंकर रोड बन गई है माईलज स्टोन ड्रमों में लगाये गये हैं। पुलिया का निर्माण नहीं हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री नन्दलाल, सदस्य विधान सभा ने कोटा जिले में शेरगढ़ बांध से सिंचाई विभाग द्वारा गेहूं की फसल के लिए काश्तकारों को पानी न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें दिनांक 23–3–71 को खाटू कांड के सम्बन्ध में खाटू के सरपंच एवं कुछ व्यक्तियों द्वारा डीडवाना डाक बंगले में वहां पर हुई चोरियों के बारे में नागौर की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना कहा गया है तथा उसका समर्थन वित्त मंत्री महोदय द्वारा किया जाना बतलाया गया है।

उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री चुन्नीलाल इन्दलिया सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें बीकानेर जिले के ग्राम मूंडसर में वन बावरियों द्वारा ग्रामीण किसानों पर हमला करने का उल्लेख किया गया है। यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है तथा इसको सम्बन्धित विभाग की मांग पर होने वाली बहस के दौरान कटौती प्रस्ताव के जरिये उठाया जा सकता है। अतः मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

Page No 41

(श्री अध्यक्ष)

दो पेन्डिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है। ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार से हैं:—

(1) बिक्री कर विभाग के कर्मचारियों द्वारा छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों से अग्रिम बिक्री कर की राशि इकट्ठी किये जाने से संबंधित श्री देवीदत्त गाडिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) जयपुर नगर में मोबाइल मजिस्ट्रेट द्वारा बर्ती जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध टेम्पो चालकों की हड़ताल से संबंधित श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए टेम्पो चालकों की हड़ताल के सम्बन्ध में यह चाहूंगा कि संबंधित मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देने की कृपा करें।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

एक और स्थगन प्रस्ताव माननीय श्री रामचन्द्र जी आर्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसकी जानकारी प्राप्त हो गई। प्रस्ताव में माननीय श्री आर्य ने इसका उल्लेख किया कि गंगानगर से सूरतगढ़ की तरफ माननीय श्री मनफूलसिंह जी की गाड़ी जा रही थी जिससे करीब 30 मील के फासले पर सूरतगढ़ कैनाल ब्रांच के पुल के पास एक बारात पार्टी खड़ी थी उसका एक बालक उसकी चपेट में आ गया और मर गया। इस संबंध में जानकारी से मालूम पड़ा है कि धारा 304-ए का अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। इसी दरमियान माननीय मंत्री श्री मनफूलसिंह जी के निजी सहायक ने इस वाकये की सूचना भारसाधक पदाधिकारी सूरतगढ़ को दी। मेडिकल आफिसर ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर पोस्टमार्टम किया बच्चे का आदि आदि यह जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी के आधार पर यह प्रश्न भी इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं प्रतीत होता। अतः मैं इसको सदन में रखने का आदेश नहीं देता हूं।

श्री चेनाराम, प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना के संबंध में श्री भैरोंसिंह, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री केदारनाथ, श्री बालसिंह, श्री विजयसिंह के स्थगन प्रस्ताव पर माननीय गृह मंत्री जी एक वक्तव्य देंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव बिक्री कर विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्थान के समस्त स्थानों पर छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के ऊपर एक तरह से जजिया कर वसूल किया जा रहा है···

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मानो राजस्थान में लोकतंत्रीय सरकार है ही नहीं, तानाशाही सरकार है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपने यह कहा कि जानकारी प्राप्त हो गई और आपने श्री रामचन्द्र जी आर्य के स्थगन प्रस्ताव के ऊपर निर्णय···

Page No 42

श्री अध्यक्ष: मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यही जानना चाहता हूँ कि वह क्या कारण है ? आपको जानकारी मिल गई और आपने अस्वीकार कर दिया, इसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह कारण "अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है"। इस पर चर्चा नहीं उठाई जा सकती, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के समस्त व्यापारी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : छोटे व्यापारी..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिनके ऊपर...

श्री अध्यक्ष : इस पर आप चर्चा नहीं उठा सकते हैं अस्वीकार किये गये प्रस्ताव पर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : कई बार यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि इस पर कोई चर्चा नहीं उठाई जायगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था है कि एक एक व्यापारी के घरों पर छापा डालकर हजार-हजार और दो-दो हजार रुपया निकाल रहे हैं और आपने कहा कि जानकारी प्राप्त कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा से 80 लाख रुपया और जयपुर से एक करोड रुपये से अधिक व्यापारियों से वसूल किया गया है...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित कुछ भी न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया, माननीय श्री गाड़िया ! अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कुछ भी अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ...

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया, स्थान ग्रहण करें। बहुत हो चुका है। इस प्रश्न पर आगे चर्चा नहीं होगी। स्थान ग्रहण करें।

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 43

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सम्पूर्ण राजस्थान में डाके डाले जा रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया, स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : व्यापारी दुकान नहीं खोल पाते हैं...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गाड़िया, स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर राजस्थान...

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि एडवान्स टैक्स की वसूली नहीं की जायगी। आप यह जानते हैं कि कानून में प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एड–वान्स टैक्स वसूल किया जा रहा है और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि जानकारी नहीं है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, मान–नीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सुखाड़ियाजी ने मौखिक कहा है, वित्त मंत्रीजी ने कहा है और उन्होने विभाग के अधिकारियों को बुलाकर कहा है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार का खजाना खाली है···

श्री अध्यक्ष : अंकित कुछ न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : +++

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई आदेश नहीं दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किस कारण से वसूल कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वसूल करने का होगा वह वसूल किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण कर दें। क्या सरकार की यह नीति है कि एडवान्स टैक्स के रूप में कोई रकम वसूल की जाय या सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या आदेश दिये गये हैं। वित मंत्रीजी ही उस पर कुछ कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने मौखिक आदेश दिया है वह ठीक नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक–दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक बात तो यह है कि श्री मनफूलसिंह की गाड़ी से एक्सी–डेन्ट हुआ उस वक्त गाड़ी रोकी गई या नहीं रोकी गई। इसके बाद थाने में रिपोर्ट

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामचन्द्र आर्य)
दर्ज कराई या नहीं। आपने कहा कि उनके पी. ए. ने रिपोर्ट की है यह बिलकुल गलत बात है। लड़के का पिता राष्ट्रीय झण्डा उठाकर ले गया और थानेदार को दिखाया पर उसकी सुनवायी नहीं हुई तो एस. पी. के सामने पेश हुआ और एस. पी. ने मौके पर जांच की है। इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी आपके पास में राज्य सरकार ने नहीं दी है। वह मामले को दबाना चाहते हैं। वह कौन सा कारण था कि एक्सीडेन्ट होने के बाद में कार को भगाया गया? मनफूलसिंहजी कार के अन्दर थे। इस बात को दबाने के एक रोज बाद में एस. पी. ने कार्यवाही की है उसके बाद में यह केस दर्ज हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी का स्टेटमेंट होना चाहिए, और राज्य मंत्री ने यह जानबूझ कर इस प्रकार की लापरवाही की है कि एक बच्चा वहां मर गया और मरे हुए बच्चे को छोड़कर कार भगा ले गये और उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं की। पी. ए. के नाम से कहते हैं कि रिपोर्ट की है यह झूठ है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार से एक राज्य का मंत्री अपनी कार से बच्चे को कुचल दें और थाने में रिपोर्ट न दे, यह कोई मामूली बात नहीं है। साधारण आदमी इस प्रकार की घटना कर देता तो उसको दंडित किया जाता।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो उस पर जुल्म ढा दिया जाता। राज्य का एक मंत्री...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : गाड़ी न रोके...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो चुका।

श्री रामचन्द्र आर्य : पर्याप्त नहीं हो चुका है...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी का वक्तव्य।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बातें पूछना चाहता हूं। यह मामला गम्भीर है और इसको टालने की चेष्टा नहीं करेंगे। जिस गाड़ी से एक्सीडेन्ट हुआ वह गाड़ी कहां गई? वह गाड़ी पुलिस कस्टडी में है और अगर पुलिस कस्टडी में नहीं है तो गाड़ी कहां है? दूसरा प्रश्न यह है कि जिस जगह पर एक्सीडेन्ट हुआ उस समय क्या राज्य मंत्री स्वयं उसमें थे और क्या स्वयं होने के उपरान्त उस जगह गाड़ी नहीं रोकी और उस गाड़ी का मेकेनिकल इन्सपेक्टर ने किस प्रकार से इन्सपेक्शन कर दिया?

एक जानकारी और करना चाहूंगा कि किस वक्त और किस तारीख को एक्सीडेन्ट हुआ और केस किस समय रजिस्टर्ड हुआ?

+++अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 45

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को जब यह देखते हैं कि किस की गलती से हुआ है तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उस जगह के मौके का नक्शा बहुत इम्पार्टेन्ट होता है, और जब भी मंत्री खुद अगर गाड़ी में मौजूद हों तो वहां पर गाड़ी न रोकने का एक आचरण का प्रश्न ही बहुत गम्भीर रूप से होता है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट का वक्तव्य सारी बातों का क्लेरिफिकेशन करते हुए आना चाहिये ताकि स्थिति साफ हो सके। जितनी भी बात आज हुई है उससे सारी स्थिति क्लियर नहीं हुई। मंत्रीजी के दृष्टिकोण से भी यह दुरुस्त होगा कि उसका क्लेरिफिकेशन हो और गवर्नमेंट के लिए भी दुरुस्त होगा और जनता से विश्वास प्राप्त होगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र है। मैं समझता हूं कि यह इन्सानियत का तकाजा है कि हमारे से अगर बकरी और कुत्ता भी मर जाये तो हम गाड़ी रोकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आ-हा।

श्री मदनसिंह : आ-हा क्या करते हो।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को ....

श्री मदनसिंह : मेरे हाथ से बकरी मर गई मैंने जाकर के माफी मांगी थी। मन्त्री की गाड़ी से आदमी मर जाये तो मन्त्री को सदन के सामने माफी मांगनी चाहिए। मोरेलिटी सबसे बड़ी चीज है। इन्सानियत से गिरी हुई और क्या बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मदनसिंह : ऐसे ड्राईवर को निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मेरे पास जो उत्तर है, वह संक्षेप में है। मैं इस उत्तर को पुनः विचारार्थ रखता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था दी गई है यह सन्तोष-जनक नहीं है। एक मन्त्री के द्वारा दुर्घटना ग्रस्त होने पर एक बच्चा मर जाये। मन्त्री महोदय थाने में इत्तिला नहीं दें। जिस गाड़ी में वह चल रहे थे, उस गाड़ी का पता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय नहीं चला रहे थे।

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : दूसरा व्यक्ति चल रहा था तो जिस मोटर के द्वारा एक बच्चा मर जाये, गाड़ी भी गायब हो जाये, यह एक गम्भीर बात है। सरकार को चाहिए कि सरकार चाहे जो कुछ भी उत्तर दे। अगर उत्तर नहीं देती है और, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार को बाध्य नहीं किया जाता है तो मुझे बहुत सन्तोष नहीं होगा। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि उत्तर दिलाया जाये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : मैंने निर्णय दे दिया है। मैं पुनः विचार करूंगा।

Page No 46

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इसमें . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

अगर वक्तव्य दिलाना है तो कल ही मैं माननीय गृह मन्त्री जी को कह दूंगा वह वक्तव्य देंगे।

श्री मदनसिंह : मैं माननीय गृह मन्त्री जी को कह सकता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

शासकीय वक्तव्य

(श्री चेनाराम, प्रधान पंचायत समिति डीडवाना के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का स्पष्टीकरण)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि कल छोटी खाटू जाकर मुख्य मन्त्री जी ने निरीक्षण किया है। जो कुछ उन्होंने स्वयं देखा है, उसका भी उल्लेख हो जाये। सारी स्थिति से लोग परिचित हो जायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री भी वहां थे, वह वक्तव्य दे दें।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य दे दें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी वहां मौजूद था।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थान ग्रहण कर लूंगा तो आप अकेले रह जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

यह स्टेटमेन्ट राइटिंग में दे रहे हैं। इस लिए पढ़ने के बाद जो कुछ बात रह जाय तो मुख्य मन्त्रीजी इन्टरवीन कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : केवल स्टेटमेन्ट पढ़ने का काम सौंपा गया है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ही पढ़ दें वह अनपढ़ तो हैं नहीं।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, साधारण तौर पर मुख्य मन्त्री जी वहां पर जायें, हैड आफ दी स्टेट वहां पर जाये, तो उन्हीं को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गृह विभाग तो उनका है।

श्री मदनसिंह : यह सही बात है कि वक्तव्य उनको देना चाहिए। हम इसीलिए जानना चाहते हैं कि उनकी इन्क्वायरी में और इनकी इन्क्वायरी में क्या भेद है? अगर मुख्य मन्त्री ने कह दिया तो वह पलटा नहीं जा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी क्या भावना है, वहां का क्या वातावरण था। अगर मुख्य मन्त्री जी कह देंगे तो वह उचित होगा। और भी माननीय सदस्य गये थे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : हम मुख्य मन्त्री जी के विचार जानना चाहते थे। फिर भेजा ही

(श्री मदन सिंह)
क्यों था। इसलिए पहले भी मैं ने कहा था। भेजा है तो क्या क्या ख्याल था। और जो माननीय सदस्य थे, वह अलग अलग बतायेंगे। होम मिनिस्टर डिटेल में बतायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के इतिहास में यह पहली घटना है। जब कि विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव आया है और सदन की व्याकुलता को देख कर राज्य के मुख्य मन्त्री स्वयं किसी मौके की घटना के निरीक्षण के लिए गये हों। मेरे ख्याल में यह पहला मौका है। 14 साल में तो हुआ है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए, मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वयं यह विचार किया होगा कि वह विरोधी दल के लोगों के साथ छोटी खाटू स्वयं जायेंगे।

जानकारी लेकर आये हैं तो औचित्य की दृष्टि से यह ज्यादा अच्छा होगा। एक छोटा सा वक्तव्य जो कुछ उन्होंने देखा है वहां जो टेंशन है, जो कुछ उनकी राय इस सम्बन्ध में बनी हो, वह कह दें। यह स्टेटमेण्ट पुलिस के सामने नहीं है और न अदालत में है। जो मसला यहां उठाया गया है तो उन्होंने उसकी गम्भीरता को देखते हुए जाना अच्छा समझा। यह नार्मल तौर हर एडजोर्नमेन्ट मोशन पर वक्तव्य नहीं है न कि किसी विभाग का ही हैं कि वही उत्तर दे। चीफ मिनिस्टर महोदय ने हाउस के सेण्टीमेण्ट को ध्यान में रखते हुए जाना स्वीकार किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तो वह सदन को कान्फीडेन्स में ले।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात का समर्थन करूंगा। चूंकि मुख्य मंत्री महोदय, उस मौके पर गये थे उसकी बुनियाद पर मैं भी इस बात का समर्थन करूंगा। बहरहाल जो गृह मन्त्रालय का स्टेटमेंट होगा और जो मुख्य मंत्री का इम्प्रेशन बना है वह दोनों मिलकर हों तो वह ठीक है। यही रास्ता निकल सकता है कि गृह मंत्री जी वक्तव्य पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे दें।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मुख्य मंत्री जी ही पढ़ दें। जो सप्लीमेण्टरी करना चाहें वे वह करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूं कि वहां जाने का मकसद भी, जैसा कि उस रोज भैरोंसिंह जी ने भी यहां पर सदन में कहा था कि यह तो सम्भव नहीं था कानूनी दृष्टि से और वैसे भी कि कोई हम वहां इन्वेस्टीगेशन करते सारे मसले की। लेकिन वहां पर क्या हुआ, उसके सम्बन्ध में जो बातें सामने आई थीं, उनको हम मौके पर जाकर देखें और लोगों में किसी प्रकार का भय न हो, और बात कहने की स्थिति में रहें–इस प्रकार की स्थिति पैदा करने का हम प्रयत्न करें। यह उसका मुख्य उद्देश्य था। और हम लोग जब कल वहां पर पहुंचे तो पांच छः मकान वहां पर टूटे हुए, छोटी खाटू के अन्दर हम लोगों ने देखे और उन मकानों के टूटने के बारे में–किस तारीख को टूटे, क्या हुआ, वह एक विस्तृत इन्वेस्टीगेशन का विषय है। तो मैं उस चर्चा के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अन्दर नहीं पड़ना चाहूंगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने भैंस की चोरी के बारे में, और चीजों के बारे में जिक्र किया, लेकिन वह भी एक इन्वेस्टीगेशन का मैटर है, जो उसके बाद में मालूम हो सकता है। लेकिन वहां पर दूसरी तरफ से, क्या हुआ, क्या नहीं—यह कहने के लिए मौजूद नहीं था। जो उस मारपीट के शिकार हुए हों—या उनसे सम्बन्धित व्यक्ति हों वह वहां पर हमारे सामने कम से कम कहने के लिए नहीं आये और उसकी जानकारी मुझे कुछ नहीं है। वहां पर दूसरे लोग काफी तादाद के अन्दर इकट्ठे हो गये थे। हमने उनसे यह कहा कि वह घटनायें किसी भी कारण से हुई हों—उचित नहीं कही जा सकती है, और कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और इस सम्बन्ध में जो भी जांच की जायगी, उस जांच में किसी को भयभीत करने का या और प्रकार का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। हमने इसके लिए सी. आई. डी. के दो आफिसर नियुक्त किये हैं कि जो इसकी पूरी जानकारी करके देंगे और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इतनी बात मुख्यतया वहां पर हुई थी। इस केस के सम्बन्ध में आगे क्या स्थिति है, वह लिखित वक्तव्य के रूप में राज्य मंत्री गृह आपके सामने रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री !

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी करना चाहूंगा ....

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि यह तो मुख्य मंत्री जी ने अपने लेवल पर कहा। आखिर और भी हमारे नेताओं को भेजा था। उनके और आपके देखने में, करने में क्या फर्क है, और क्या उचित समझते हैं—वह चीज कहने के लिए तैयार हों। भले ही वह वहां जाकर जांच कर आये हों लेकिन मैं कहता हूं कि जब वह बाहर माइक लगा कर हल्ला करते हैं तो उन्हें असेम्बली में कहने में क्यों शर्म आती है। जो चीज या जो फैक्ट वह सही मानते हैं वह यहां कहें राज्य मंत्री, गृह वक्तव्य दें, उसके पहले, हमारे नेता भी बोलें—यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था, मुख्य मंत्री जी ने कुछ कहा, वह सप्लीमेंट हो रहा है राज्य मंत्री के तथ्यों के बयान से। उसके बाद यह प्रश्न आ जाता है कि जो कुछ इल्लिसिट इन्फार्मेशन करने का है या माननीय सदस्यों के कहने का है, इसका उसके बाद अवसर आ जाता है। अभी दो हिस्सों में इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी जो कहें उसको अलग से नहीं लिया जा सकता और राज्य मंत्री जी कहे उसको भी अलग से नहीं लिया जा सकता। इन दोनों को शामिल करने के बाद ही माननीय सदस्य कुछ पूछना चाहें तो वे पूछ लें राज्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी ने यह बताया, उनके जाने का मकसद यह था कि पब्लिक में किसी प्रकार कान्फीडेंस रेस्टोर हो, किसी प्रकार आतंकपूर्ण स्थिति न रहे, और लोग सामने आकर सारी सही स्थिति उनको बता दें। मैं एक

Page No 49

(श्री भैरोंसिंह)

बात की जानकारी उनसे चाहूंगा कि क्या यह जो विजिट थी कान्फीडेंस रेस्टोर करने के सम्बन्ध में, क्या मुख्य मंत्री का यह मानना है कि खाटू के क्षेत्र में, उस गांव में इस प्रकार कान्फीडेंस लोगों में आ गया है कि वह स्पष्ट रूप से सारी बातें सामने रख दें ? एक बात और जिन महिलाओं के साथ में इस प्रकार की घटना हुई, वह महिलायें यदि खाटू वापिस चली जायं तो उनके साथ किसी प्रकार का टोर्चर नहीं होगा और वह वहां पीसफुली रह सकेंगी ?

श्री अध्यक्ष : वह वक्तव्य हो जाने के बाद।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय अध्यक्षजी, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा यह था, उनमें कान्फीडेंस रेस्टोर हो, और लोग बाग कान्फीडेंस रेस्टोर करें–यह अपेक्षा करके चलते हैं। इसके अलावा जो भी परिवार वहां भय की वजह से, किसी वजह से नहीं हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन दिया जायगा और कान्फीडेंस रेस्टोर नहीं होता है, तो उसको करने की पूरी व्यवस्था की जायगी।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्रीजी।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी): व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इस पर क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह): ग्राम छोटी खाटू, थाना खुनखुना, जिला नागौर में बावरियों के साथ जो घटनायें दिनांक 9-3-71 व 12-3-71 ···

श्री लादूराम सुलानिया : व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि···

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कह दें।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय परसों यह बात चल रही थी, यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, उसको पहले कैंसिल किया गया, उसके बाद इसे अस्वीकार करने पर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि कमरे में बैठ कर विचार-विमर्श करके मुख्य मंत्रीजी के मौके पर जाने की और सारी बातें हुई। मैं जानकारी चाहूंगा, आपकी यह व्यवस्था चाहूंगा कि क्या यह प्रस्ताव जो है, स्थगन प्रस्ताव, यह विधान सभा में लिया जा रहा है, या इस पर वक्तव्य देकर इसको समाप्त किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आरंभ रखें।

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्राम छोटी खाटू, थाना खुनखुना, जिला नागौर में बावरियों के साथ जो घटनायें दिनांक 9-3-71 व 12-3-71 को घटीं उनकी सूचना किसी ने पुलिस में नहीं दी जिसके कारण कार्यवाही तुरन्त चालू न हो सकी। तारीख 21-3-71 को एक पुलिस सिपाही के द्वारा सूचना मिलने पर एस. एच. ओ. खुनखुना ने एफ. आई. आर. नं. 6 धारा 147।148।149।427।452, 330 आई. पी. सी. दर्ज की गई जिसमें दिनांक 12-3-71 को रामकरण, लाला, रतना, नाथिया, पन्ना और भागिया बावरियों के मकानात तोड़ दिये जाने का विवरण दिया गया है

(श्री हीरालाल देवपुरा)
कोई मुलजिमान एफ. आई. आर. में नामजद नहीं हुए। स्थानीय पुलिस ने तत्काल ही तफतीश शुरू कर दी। 6 मकानात मौके पर तोड़े पाये गये।

तारीख 22-3-71 को इन मामलों की अनुसन्धान सी. आई. डी. क्राइम को सौंपी गई। अधीक्षक आरक्षी व उप-अधीक्षक आरक्षी सी. आई. डी. उसी दिन जयपुर में 5 बावरी महिलाओं से जांच करने के पश्चात् मौके पर पहुंचे।

मौके पर जानकारी प्राप्त कर दो मुकदमे तारीख 23-8-71 को और दर्ज किये। बावरियों के साथ तारीख 9-3-71 को मारपीट करना व जेवर ले जाने के बाबत धारा 395/440/158/159/323/379 आई.पी.सी. दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा लादू पुत्र भूरा जाट सा. बरावरा के भैंस चोरी जाना और उसे काट कर खा जाने बाबत धारा 379/429 आई. पी. सी व पी. सी. ए. एक्ट के अधीन पंजीबद्ध किया गया दोनों मुकदमें की अनुसन्धान जारी है।

अब तक जांच से यह प्रतीत हुआ है कि पन्ना बावरी की और प्राकृतिक कारणों से उसके बेटे रावता के घर में हुई। उसकी मृत्यु उस घर में नहीं हुई जिसे तोड-फोड करना बताया गया है। दाह संस्कार करने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पन्ना बावरी के कोई चोट आना नही पाया गया। किसी छोटी बच्ची का मौके पर इस घटना में मरना भी नहीं पाया गया न ही मारपीट की वजह से घटना के समय किसी महिला ने किसी बच्चे को प्रिमेच्योर जन्म दिया। किसी महिला को जीप के बांध कर घसीटना भी नहीं पाया गया।

श्री विजयसिंह : डूब कर मर जाओ, झूठ बोलने वालों।

श्री रोशन लाल शर्मा : गलत।

श्री रामनारायण चौधरी : गलत आरोप है।

श्री रोशन लाल शर्मा : असेम्बली में इस तरह की भाषा बोलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा हो, अब एडजोर्नमेंट मोशन को तो डिस्पोज आफ कर दिया है, मगर गृह मंत्री के वक्तव्य को सदन में विचारार्थ न लिया जाय।

कई माननीय सदस्य : लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थिति पर ही बोला जाय।

श्री भैरोंसिंह : जो वक्तव्य दिया, इस पर चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य है और स्थगन प्रस्ताव भी–इनके संदर्भ में।

श्री भैरोंसिंह : हां, इन्हीं के संदर्भ में, लेकिन इस पर चर्चा हो जाय। वक्तव्य तो आधार बन जाय, सदन में इस पर चर्चा की जाय।

श्री राम नन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्रीजी सप्लीमेंट करना चाहते हैं, स्टेटमेंट को ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई एडीशनल इन्फार्मेशन कल आपके दौरे के समय आई हो।

श्री शंकरलाल : जो भी साथ में थे, मैं भी था, वह स्वयं ही कह देंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या बताया है? आप बतायें कि थाने में इस प्रकार की चोरी का मामला दर्ज है और उस पर क्या जांच हुई है?

छोटी खाटू में बावरियों की पिटाई के बारे में चर्चा

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय राज्य मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य पर सदन के माननीय सदस्यों को और विशेषकर जिन माननीय सदस्यों ने स्थिति का स्वयं ने निरीक्षण किया, उनको विश्वास होना संभव नहीं है। मैं इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करना तो नहीं चाहता और इसलिए नहीं चाहता कि सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य प्रकार से सारी घटना की जानकारी कर ली होगी। ऐसी हालत में जिस प्रकार की घटना हुई उसमें सरकार ने एक बात को स्वीकार किया कि उनके 5 मकान या 6 मकान वक्तव्य में क्या कहा गया, मैं ध्यान से सुन नहीं पाया, 5-6 मकान टूटे हुए हैं। सरकार ने इस बात को भी स्वीकार किया कि महिलाओं के साथ मार पीट हुई है। सरकार ने इस बात को भी स्वीकार किया कि धारा 395 का केस रजिस्टर किया गया है और धारा 395 के अन्तर्गत केस रजिस्टर करने के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि जो आरम्भ में केस रजिस्टर किया गया था, उस समय धारा 395 का कोई उल्लेख नहीं था। उसके बाद एक अधिकारी विशेष नियुक्त किया गया। उन्होंने वहां जाकर अनुसंधान किया और उसके आधार पर यह नया केस रजिस्टर किया गया जिसमें धारा 395 लगाई। इसका अर्थ औरतों से जेवर छीनने का अपराध अनुसंधान योग्य माना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके पीछे कुछ तथ्य हैं। अब स्थिति स्पष्ट है। एक व्यक्ति का मरना, उन लोगों का कहना है कि जिस समय मकान तोड़ा गया उसके अन्दर वह आदमी था, जिस समय टिन तोड़ा गया, एक पत्थर उस पर पड़ा और दूसरे दिन डेड बोडी मिली। मुख्य मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिस समय मैं पहली बार गया था उस मकान पर टिन नहीं था। कल जब मुख्य मंत्री पहुँचे तो बाकायदा उस मकान पर टिन जमे हुए थे ज्यादा टिन काले थे। एक टिन उन्होंने और नया जोड़ा। स्पष्ट था कि वह बाद में लगाया है। मुख्य मंत्री स्वीकार करेंगे कि जिस समय उन्होंने स्वयं ने पूछा और मैंने कहा जिस समय मैं आया था वह टिन नहीं था और वहां एक पुलिस अधिकारी ने कहा अब आकर रिप्लेस किया गया है। वह स्थिति स्पष्ट है।

जहां तक चोरी का सम्बन्ध है इस चीज की वकालत नहीं करता। किसी आदमी ने चोरी की होगी, चोरी की है तो चोरी की सजा मिलेगी। भैंस काटी है तो सजा मिलेगी। लेकिन चोरी करने वालों को सजा देने का काम कोई अपने हाथ में ले ले तो सदन को गंभीरता के साथ विचार

(श्री भैरोंसिंह)

करना पड़ेगा कि क्या इस तरह कानून को अपने हाथ में लेने का जनता ने फैसला किया है, वह उचित है।

अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। मुख्यमंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कल उनकी उपस्थिति में डीडवाना के कुछ व्यक्तियों ने आकर इस घटना का जिक्र किया और कहा कि नागौर की पुलिस में उनका विश्वास नहीं है, रिपोर्ट करते हैं तो लिखी नहीं जाती है, लिखी जाती है तो रिकवरी नहीं होती है, रिकवरी होती है तो किसी को दण्ड नहीं मिलता। अतः पुलिस में किसी प्रकार की कार्यवाही हो, ऐसा जनता में विश्वास नहीं है। मुख्य मंत्री के सामने राजस्थान के वित्त मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो गई है कि पुलिस में रिपोर्ट कराना बेकार है। उन्होंने यह भी कहा कि माल की रिकवरी नहीं होती इसलिए ले देकर मामले को निपटाया जाए। इसका मतलब मुख्य मंत्री की उपस्थिति में उनके वरिष्ठ जो दूसरे मंत्री हैं, वह कह कर चलते हैं कि पुलिस में कोई कान्फीडेन्स नहीं है। इसका मतलब जो कानून की व्यवस्था है उसमें राज्य के वित्त मंत्री का कोई विश्वास नहीं है तो उस आधार पर वह किस व्यवस्था को उचित समझते हैं कि थाने में रिपोर्ट मत करो। चोरी हो जाए, भैंस की चोरी हो जाए, गाय चोरी हो जाए तो रिपोर्ट करना बेकार है। उसके बजाय बाहर बाहर ही जो कुछ मामला निपटाया जाए किसी रूप में वह ज्यादा उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों ने भैंस चोरी की और उसके बाद में उसको खा गए। थोड़ी देर के लिए इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि वह तथ्य है। इस तथ्य को भी छिपाने जैसी बात नहीं है हालांकि मुझे जानकारी नहीं है लेकिन लोग कहेंगे वह चोर था, चोरी की भैंस को खा गए, इसको थोड़ी देर के लिए स्वीकार करें, मगर चोरों के जाकर मकान तोड़ें, कोई माननीय सदस्य स्वीकार नहीं करेंगे। कोई सदस्य कह सकता है कि जिन लोगों ने चोरी की है उनको मारा जाए, महिलाओं को पकड़ कर पीटा जाए? पीटने के साथ भैंस की कीमत को औरतों के जेवर उतार कर वसूल की जाए? इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेंगे।

मुख्य मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे, सरपंच ने उनके सामने माना कि हमने एक हजार रुपए में इस भैंस के मामले को तय कर दिया है। एक हजार रुपये की वसूली नहीं हुई तो जेवर निकाले हैं। ऐसी हालत में तीन चीजें स्पष्ट हो गई-एक कि उन लोगों के मकान तोड़े गये, उनको मारा गया, उनके जेवर उतारे गये। अब मारने के सम्बन्ध में मैं विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहता। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य यदि देखना चाहें तो मेरे पास एक महिला आई उसकी 50 वर्ष उम्र है। मेडिकल रिपोर्ट है कि एक पसली टूटी है। इससे अंदाज लगायें कि किस निर्दयता के साथ महिलाओं को मारा है। उनके जेवर निकालना, उनसे पैसा लेना, महिलाओं की पिटाई करना, उनके मकान

(श्री भैरोंसिंह)
तोड़ना, मकान में पड़े हुए सामान को लूटना उसमें साथ में जो माल पड़ा है उसको नाश करके बिखेर देना, इस प्रकार का कोई अपराध आज तक राजस्थान में नहीं हुआ !

इसके दो पहलू हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी औरत का बच्चा मरा। मैं जानना चाहता हूं कि जिस औरत का बच्चा मरा है क्या आपने उस औरत का स्टेटमेंट लिया है ? जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि तेरा बच्चा नहीं मरा ? मैं समझता हूं कि कुछ भी सदन में कहने से पहले आपको इस पर मौन रहना ज्यादा उचित था बनिस्पत यह कहने कि कोई बच्चा नहीं मरा। मुख्यमन्त्री स्वीकार करेंगे कि खाटू में कल किस प्रकार की स्थिति थी। कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह कह दे कि इस प्रकार मेरे घर को तोड़ा गया, महिलाओं को पीटा गया, उनके जेवर उतारे गये, इस प्रकार का अत्याचार उनके साथ हो गया। कल की स्थिति देखने के बाद निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोई साधारण व्यक्ति इस बात का साहस नहीं कर सकता कि सारी घटना को जाकर सरकार के सामने पेश कर दे। ऐसी हालत में गृह मंत्री कह रहे थे कि बच्चा नहीं मरा, तत्काल औरत पर कोई असर नहीं हुआ। आपने मेडिकल एग्जामिनेशन कराया कि जो बच्चा है वह अधूरा नहीं है, क्या मेडिकल आधार पर जानकारी की कि वह पूरा पैदा हुआ, इस इस प्रकार की चोटों के कारण तत्काल पैदा नहीं हुआ। आपने जानकारी नहीं ली और लिए बिना यदि इस बात का सर्टिफिकेट लाते हैं तो मुझे वहम होता है, बरबादी करने की चेष्टा आरम्भ की गई है। आज तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। 12 तारीख की घटना है इतना सब कुछ होने के बाद भी 23 तारीख को जो माननीय सदस्य वहां गए हैं लोगों ने कहा है हम देख लेंगे मोहनलाल सुखाडिया क्या है। हमने इनको मारा है, हम इनको गांव में बसने नहीं देंगे। जब ऐसी स्थिति आ गई तो कोई आशा कर सकता है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई हों · · ·

श्री शंकरलाल (जैतारण) : हमारे सामने तो नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस और विरोधी पक्ष के · · ·

श्री शंकरलाल : कई माननीय सदस्य थे। हमारे सामने यह बात नहीं आई।

श्री गोरधन सोनी : शंकरलालजी, आप बाद में पधारे। प्रोफेसर केदार और भैरोंसिंह जी साथ में थे।

श्री शंकर लाल : आप कह रहे हैं कि उनके सामने हुआ है।

श्री मदनसिंह : आप अपनी इन्क्वायरी के लिए पधारिये, आप जाएं।

श्री शंकरलाल : मैं जाकर आया हूं।

श्री देवीदत्त गाडिया : रामनारायणजी और शंकरलाल जी मेरे साथ · · ·

श्री भैरोंसिंह : मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि रामानन्दजी और प्रोफेसर केदार थे। मुख्य मन्त्रीजी मैं एक

(श्री भैरोंसिंह)

बात निश्चित रूप से कहूंगा कि खाटू में जाकर गाड़ी ठहरी तो इस प्रकार लोगों में डर था। वह कहने लगे कि किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार से बावरियों को बसाया जावेगा। शंकर लालजी, मुख्य मंत्रीजी, कह देंगे आपको क्या दिक्कत है ?

तनावपूर्ण स्थिति थी। राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि वहां थे, दोनों ने जो रिपोर्टिंग दी है उनको तो आप इन्डिपेन्डेन्ट मान कर चलते हैं, मैं यह मान कर चलता हूँ कि उन्होंने इन्डिपेन्डेन्ट ओपिनियन दी है। राष्ट्रदूत ने लिखा है मुख्य मंत्रीजी का जो परपज था वह पूरा नहीं हुआ। उसने कारण दिये हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत थी वह वहां पर इस प्रकार से चल रहा था कि जैसे मुख्य मन्त्रीजी ने उसको वहां पर बुलाया हो, उनके स्वागत का जिम्मा उसके जिम्मे हो और जो वहां वातावरण बन रहा था उसको कोई नहीं समझता था कि यह सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। वे महिलायें तीन चार दिन से यहीं पर है। उनको वहां भेज दिया जाय, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जावेगा। हमेशा पुलिस प्रोटेक्शन में तो नहीं रखेंगे। मुख्य मन्त्रीजी यह समझते हैं कि चार आदमी पुलिस के लगा दिये जायं वे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हमेशा तो यह होने वाला नहीं है। आखिर तो उनको वहीं पर रखना पड़ेगा। खेतों में बाली जला दी, कोठी पानी की थी उसको तोड़ दिया। पक्के मकानोंकी छतें उडवा दीं और कच्चे मकानों को तोड़-फोड दिया। कल यहां जो कार्यवाही की गयी थी जिसकी जानकारी हमें परसों ही मिल गयी थी कि जयपुर से यह ट्रंक काल किया जा रहा था कि जाकर पंचायत के द्वारा यह काम किया बताया जाय कि पंचायत ने मकान तुड़वाए हैं, इस मामले को इस रूप में परिवर्तित किया जाय। बीसियों सालों से बावरी वहां पर रह रहे हैं उनके मकान आज पक्के नहीं बने, वर्षों से बने हैं। यह बता दिया जाय कि पंचायत ने तोड़ दिये हैं। अब इस बात का अन्दाजा स्वयं सदन लगा सकता है कि किस प्रकार की हरकतें उनके साथ की जा रही हैं। मुख्य मन्त्रीजी इसको राजनैतिक दृष्टि से छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं जो कह रहा हूं उसके एक शब्द भी असत्य नहीं कह सकते हैं जिस व्यक्ति ने जाकर अनुभव करके इसको देख लिया है। मेरे एडजोर्नमेन्ट मोशन और टिप्पणी में बात आई और मैं जो बातें रख रहा हूं उनमें कोई अन्तर नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि चोरी कर रहे हैं इसलिये कर रहे हैं। चोर तो बहुत हैं। चोरों को आप मार रहे हैं उस हालत में जनता को भी अधिकार है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के स्थान स्थान पर जो स्तम्भ खड़े कर रखे हैं, भ्रष्टाचार करके लाखों की बिल्डिंग खड़ी कर रखी हैं इन भ्रष्टाचार के किलों को ढहा दे। चोरी की बात को लेकर जो जनता के साथ इस प्रकार के जुल्म ज्यादतियां होने दे उसी जनता को यह अधिकार है कि इन भ्रष्टाचार के महलों को ढहा दे। किस प्रकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को अपने हाथ में ले लिया।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मसला बड़ा गम्भीर है। जिस व्यक्ति के खिलाफ पीनल कोड की धाराओं के अन्तर्गत अपराध के मुकदमें दायर हों, पुलिस और पंचायतों में पेंडिंग हैं, जिसने बी. डी. ओ. को पीटने और सरकारी गाड़ी को जलाने की कार्यवाही की हो, जिसके विरुद्ध महिलाओं को मारने और पीटने के केसेज चलें, मैं उसको साधारण आदमी नहीं मानता, जो आराम से घूमता रहे, किन्तु उसको राजनैतिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है और वह राजनैतिक प्रोटेक्शन और किसी का नहीं हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री श्री मथुरादासजी माथुर का है। किसी प्रकार की वह स्थिति में चले उसको दण्ड नहीं मिल सकता। उनके द्वारा हर प्रकार का पोलिटिकल प्रोटेक्शन देकर उसको इस प्रकार का अपराध करने की स्थिति में लाकर खड़ा किया है।

इन सारी परिस्थितियों में मैंने उस समय भी चैम्बर में निवेदन किया था कि वहां के लोगों को नागौर की पुलिस में विश्वास नहीं, हमें विश्वास नहीं, राजस्थान के वित्त मंत्री उनको प्रोटेक्शन देकर चल रहे है। राजस्थान को पुलिस में विश्वास नहीं, राजस्थान सरकार उनके साथ न्याय करके चल सकेगी, अपराधियों को दण्ड दिला सकेगी ऐसी स्थिति नहीं है और इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस मसले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्टेलीजेन्स की जांच के लिये सुपुर्द कर दे, उसकी जांच के सामने जो चाहेंगे वे लोग बयान देंगे और सारी स्थिति स्पष्ट होगी, न मेरा कहना चलेगा और न ही दूसरों का।

कुछ बावरियों को लाकर पेश किया। वे कहते हैं कि हमने इनको जाति से बहिष्कृत कर दिया। कई बावरी आये मुख्य मंत्री से मिलना चाहते थे। गांवों में घेर लिया। मुख्य मंत्रीजी से मिल लिये तो स्थिति होगी खाटू से बाहर। कुचामन आदि में उनको इकट्ठा करके उनको आतंकित करने की कोशिश की गई। मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें राजनीति को नहीं लावें, किन्तु वे इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें कि ऐसा अपराध किस स्थिति में किया गया और किया जाता है। चोर को थाने में रखा जाता है। पुलिस यदि उसकी पिटाई करे तो वह पुलिस के थानेदार के प्रोसीक्यूशन की मांग करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जनता कानून को अपने हाथ में ले ले ऐसी स्थिति पैदा न करें। आज वे लोग इसके शिकार हुए हैं तो कल दूसरे लोग इसके शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार की कानून की स्थिति को आपने स्वीकार किया तो हम भी कानून की स्थिति को हाथ में लेने में पीछे नहीं हटेंगे। चोरी के मामले के खिलाफ जो कानून आपने हाथ में लिया तो जनता भी यह देखेगी और भ्रष्टाचार करके जो आपने किले बनाये हैं उनको तोड़ने को अपना कर्तव्य समझेगी।

अपराध की प्रवृत्ति पैदा न हो इसकी हमने चेष्टा भी की है लेकिन सरकार राजनैतिक दृष्टिकोण से अपराधियों को बचाने के लिए कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगी तो हम भी सैल्फ डिफेन्स में यह करने की स्थिति में होंगे। हमें अपने सुरक्षा दल बनाने पड़ेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस आधार पर मैं सदन के माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्यों को नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक दृष्टिकोण को अलग रख कर मानवीय आधार पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, उसमें परिवर्तन न आये, कितना ही जरूरी हो, उसमें हस्तक्षेप न हो इस प्रशासन को इस प्रकार से चलायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

इस सम्बन्ध में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पांच महिलायें यहां बैठी हैं या तो वे आपके या गृह मंत्रीजी के बंगले में जाकर बैठें, वे किस प्रकार गांव में पहुंच सकती हैं और वहां रह सकती हैं इसकी व्यवस्था करें। वे महिलायें भूखी प्यासी हैं, जिनके पति का पता नहीं, जिनके पति मरे हैं या जिन्दा हैं, जिनको अपने बच्चों का पता नहीं, जिनको छोड़ कर वे आई हैं। उनको प्राकृतिक रूप से तो दंड मिला है लेकिन वे मानव हैं, इन्सान हैं, उस स्थिति में भी उनको पालने की चेष्टा करें।

यदि गृह मंत्रीजी और मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार अपने लोगों को राजनैतिक दृष्टिकोण रख कर खुली छूट दी और कोई एक्शन नहीं लिया और इस प्रकार की स्थिति को काबू में नहीं लाया गया, आज चाहे कांग्रेस का एक कार्यकर्त्ता पकड़ा जाय, चाहे चार पकड़े जायं, तो भयंकर स्थिति पैदा होगी और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। मैं कहता हूं कि यदि गृह मंत्री जी ने आज जैसा वक्तव्य दिया वैसा नहीं दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। इस सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा है इसको मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखते हुए उसको सदन उसी रूप में लेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है, मौके पर जाकर देखने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस वक्तव्य में कुछ बातें तथ्य है जो निर्विवाद रूप से एस्टेब्लिस्ड थी, उन बातों को राज्य मन्त्रीजी को कहना चाहिये था और कुछ तथ्य ऐसे है जिनके बारे में दोनों तरफ से कहा जा सकता है। हमारे मौके पर जाने से कुछ के बारे में इधर या उधर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब एवीडेन्सेज उनके पास हों जिनके आधार पर कहा जाय कुछ, यह अलग बात है, पर हमारे जाने से कोई नई चीज एस्टेब्लिश हुई हो ऐसी बात नहीं है।

एक बात जो एस्टेब्लिश हुई है और जो वैसे भी लोग भीड़ में कह रहे थे और जो मुख्य मंत्रीजी के सामने डेपूटेशन मिलने आया था जिसमें राज्य गृह मन्त्रीजी भी मौजूद थे, मैं भी था, केदारजी भी थे, भैरोंसिंहजी भी थे, माथुर साहब भी थे कि भैंस की चोरी सात तारीख को हुई। यह उन लोगों ने भी कही और मारपीट की घटना 9 तारीख को हुई। बावरियों को धमकाया गया और मारापीटा भी गया। पर 12 तारीख को मकान बगैरह तोड़ा की घटना नहीं हुई और 9 तारीख को श्री चैनाराम खुद वहां पर मौजूद था। इस बात को सरपंच साहब और डेपूटेशन में आये लोगों ने भी स्वीकार किया कि 9 तारीख को चैनाराम मौजूद था। 12 तारीख को जो एलीगेशन लगाया जाता है मकान तोड़ने वगैरह में उसके शामिल होने का इस बारे में उनका ऐसा कहना था कि 12 तारीख को चैनाराम मौजूद नहीं था।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो इस तरह यह बात भी उन्होंने मन्जूर की। भैंस की चोरी की पूछने पर उन्होंने कहा कि पुलिस में इसकी रिपोर्ट नहीं कराई और इसका कारण वे यह कह रहे थे कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से कुछ नतीजा नहीं निकलता है और इस पर माथुर साहब ने वित्त मन्त्रीजी ने इस बात को इस रूप में भी कह दिया कि यहां पूरा रिवाज ही ऐसा बन गया है कि भैंस की, ऊंट की या किसी जानवर की चोरी हो जावे तो पुलिस में रिपोर्ट न करके अपनी तरफ से पंचायत करते हैं और उसमें इनको तय कर लेते हैं।

तो बहरहाल यह बात एस्टेब्लिश हुई कि भैंस की चोरी की वजह से लोग नाराज हुए और यह चोरी सात तारीख को हुई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और पंचायत करके उसे सजा देने की कार्यवाही की गई।

मुख्य मन्त्रीजी के सामने भी यही बात आई। मुख्य मन्त्रीजी ने इतना भी कहा कि रिपोर्ट तो पुलिस में करनी चाहिये थी। कानून तो हाथ में नहीं लेना चाहिये। इस तरह से इन्टरवीन भी किया कि पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की और अपनी तरफ से कार्यवाही की।

हम लोग पहले पहुंच गये थे। हमारी गाड़ी पहले पहुंच गई थी। वहां काफी भीड़ मौजूद थी। उनमें लोग चिल्ला चिल्लाकर भी कह रहे थे कि बावरी चोर हैं, चोरी की है उन्होंने। यह बात भी सही है कि इनको मारा पीटा गया है। वे यह भी कह रहे थे कि इनको हम यहां बसने नहीं देंगे। आप लोग चोरों की हिमायत न करें। राज में बैठकर चोरी रोकें या चोरों की हिमायत करने आये हो। हमने कहा कि हम किसी की हिमायत करने नहीं आये। हम तो तथ्य जानने आये हैं कि गांव की हालत क्या है। हम लोग पहले पहुँच गये थे, सुखाड़ियाजी की गाड़ी पांच मिनिट बाद में पहुंची। उनमें जो जोरों से बोल रहा था उसका हमने नाम पूछा। युगलकिशोर नाम बताया। वह जोश से कह रहा था कि पीटा भी है, निकाला भी है, बसने भी नहीं देंगे। चोरों को बसने नहीं देंगे। इस तरह की वहां की हालत है। इस बात को बताया।

जो मुख्य मन्त्रीजी के सामने डेपूटेशन आया था उसमें बावरी भी शामिल थे और उनसे कहलवाया गया। उन्होंने यह कहा कि उनके घर करीब दस बारह हैं उनमें दो घर ऐसे हैं जो इस प्रकार की चोरियां वगैरह करते हैं और जो हमारी जाति में बदनाम हैं। उनके खिलाफ हमने भी एक्शन लेकर बिरादरी से निकाल दिया है। और लोग ऐसे नहीं हैं। और जो मकानात देखे थे टूट हुए उनमें पहले ही पहल मकान जो देखा वह रतना बावरी का था और इसके लिये स्पेसिफिकली पूछा था कि क्या रतना के खिलाफ कोई कार्यवाही बिरादरी में की गई है क्या? उन्होंने कहा, नहीं।

तो सरपंच ने यह बताया कि हां, रतना के खिलाफ चोरी का इल्जाम तो नहीं है पर इससे अनआथोराइज्ड तरीके से मकान बनाया इस वजह से उसका मकान तोड़ा गया है। तो ये जो मकानात तोड़ गये हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उसके बारे में उन्होंने डेपूटेशन में यह कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही पहले से चल रही थी। एक कोई कार्यवाही भी बताई। नोटिस दिया हुआ था। कइयों को गांवों में उन्होंने रेगुलेराइज भी कर दिया था। जिनमें एतराज ज्यादा बताये थे उनका रेगुलेराइज नहीं किया और रतना का भी नहीं किया। जिसका तोड़ा गया मकान उसने एतराज भी नहीं किया और 12 तारीख को मीटिंग करके तोड़ने का फैसला लिया है। तो मेरा इम्प्रेशन यह बनता है कि ये मकान तोड़ने का ताल्लुक सीधा चोरी का और उसकी वारदात है उससे सीधा सम्बन्धित है और यह पंचायती कार्यवाही से तोड़ने की बात कान्केक्टेड स्टोरी लगती है। फेक्ट्स जो थे, रक्खे हैं।

पन्ना बावरी को पत्थर से मरना बताया जाता है। उस छप्पर को हमने अवश्य देखा। उसमें टिनें रखी हुई थीं। भैंरोंसिहजी ने बताया था कि उस दिन टिनें नहीं थीं और ये टीनें अब बाद में रखी गई हैं। चारपाई पड़ी हुई थी और यह बताया गया था कि इस चारपाई पर पड़ा हुआ आदमी मरा है। दूसरे लोग डिनाई कर रहे थे। इसलिये मैं कह नहीं सकता कि वह पत्थर से मरा या नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के लिये पूछा गया तो कहा कि वैसे ही जला दिया गया था। इसलिये हमारे सामने कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि आइदर वे में कुछ कह सकें कि आया वह किस तरह से मरा। पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया हो या कोई ऐसा बताया हो तो कह नहीं सकता। जानने की भी कोशिश की पुलिस वालों से भी। हमें तो ऐसा बताया नहीं गया कि वास्तव में यह स्टोरी गलत है या सही है।

लड़के के मरने की बात के बारे में भी लोगों को बुलाकर जानने की कोशिश की। पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। हमें ऐसा लगता था कि लोगों को मालूम तो है पर कहना नहीं चाहते। दहशत का वातावरण अवश्य था। और हमको वहां सारे ऐसे ही लोग मिले जो कि सब यही कह रहे थे कि ये चोर हैं इन्होंने चोरियां की हैं भैंस की चोरी की है और इस तरह से एक ही पक्ष नजर आता था। दूसरा पक्ष भी होगा, पर चुप खड़ा होगा। हमें कोई भी व्यक्ति कहने वाला उनमें से मिला नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : थोड़ा बीच में इन्टरप्ट करता हूं और चोरियों की किसी की भी शिकायत की क्या कभी किसी ने कि मेरी आज गाय चोरी गई या भैंस या ऊंट आदि चोरी गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो बावरियों के खिलाफ और भी शिकायतें हैं, रिपोर्ट हैं, यह डेपूटेशन का कहना था। पर भैंस की तरह और भी कोई शिकायत थी उस वक्त तो नहीं थी ऐसी बात। पर यह कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी चोरी करते रहते हैं ये लोग। उन लोगों का कहना था। कोई रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं पुलिस में, पुलिस ऑफिसर जो लोकल थे उनके बारे में जिससे पूछते वे यही कहते कि इससे क्या लाभ। कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन बहरहाल दो बावरियों के घर थे और

Page No 59

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

6 परिवार थे जिनके मकान तोड़ गये। मैं शहर में तो नहीं गया काफी भीड़ थी, वहां जाना भी सम्भव नहीं हो पाया लेकिन जो पुलिस आफिसर थे वे कहते थे 6 मकान तोड़े गये हैं। ये 6 नहीं, मकानों की तादाद ज्यादा है। इसके अलावा यह बात भी एस्टेब्लिश हुई कि चोरी का इल्जाम उन मर्दों पर था और महिलाओं को बुलाकर कार्यवाही की गई। यह 9 तारीख की घटना है, इससे साफ है, अध्यक्ष महोदय, भैंस की चोरी के सिलसिले में यह कार्यवाही हुई और मैं समझता हूं इलेक्शन से इसका सम्बन्ध डाइरेक्ट नहीं है। इलेक्शन से प्रिलिमिनरी ताल्लुक है। इनडायरेक्टली इलेक्शन से ताल्लुक हो सकता है। इलेक्शन बैकग्राउण्ड में था लेकिन प्रिलिमिनरी चोरी की घटना से था और लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर कार्यवाही की। उस कानून को हाथ में लेने की पहल कदमी श्री चैनाराम ने नहीं की तो कम से कम उनकी मौजूदगी में हुई—पहल कदमी हुई है और उनकी मौजूदगी में हुई है।

अध्यक्ष महोदय, यह मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब रेस्ट हाउस में हम पहुंचे तो हमारे खाने के इन्तजाम में सबसे बड़े होस्ट श्री चैना राम थे। मैं जानता भी नहीं था।

एक ठाकुर साहब थे। मैंने सोचा, होंगे कोई राजपूत। धोती और पगड़ी वैसे ही बन्धी हुई थी। मैंने पूछा, यह साहब कौन हैं? भैरोंसिंहजी ने बताया है, यही चैना-राम हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं समझता हूं वहां इस प्रकार के नियम रखने चाहिये, लोगों में यह आतंक नहीं रहे। कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही कर सकती है। लोग निर्भय हो जाय लेकिन अगर जिसके बारे में यहां भी चर्चा हुई और जो सबसे बड़ा दोषी हो और वह आथोरिटीज के बहुत नजदीक मेजवानी करने वाला हो तो उसका औचित्य और अनौचित्य तो अपने अपने विचारों पर है लेकिन फेक्चुअली जनता पर यह असर नहीं पड़ सकता है–इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्यवाही हो सकती है। इस प्रकार के इल्जाम किसी नजदीक के व्यक्ति मुख्य मन्त्री जी की मेजवानी करें या और किसी की करें और घुलमिलकर करें सिवाय श्री चैनाराम के कोई नहीं था। इसके औचित्य और अनौचित्य के बारे में अपने अपने विचार हो सकते हैं लेकिन मेरा अपना विचार है, इस प्रकार की जिम्मेदारी न लेनी चाहिये और न देनी चाहिये। सामान्य मौके पर भी जब अदालत जाती है तो उन पार्टियों पर खाना नहीं जाती है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं यह स्पष्ट कर दूं, उनकी तरफ से खाने का इन्तजाम नहीं था। माथुर साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से इन्तजाम कराया हुआ है।

श्री देवीदत्त गाडिया : माथुर साहब और चेना राम तो एक ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं माथुर साहब को भी और मुख्य मंत्री जी को भी यह शिष्टाचार जरूर रखना चाहिये कि कम से कम इस मौके पर श्री चेन राम मुख्य अतिथि न बने। मुख्य अतिथि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस रूप कि एक होस्ट के रूप में जिससे जनता के अन्दर यह इम्प्रेशन रहे कि श्री चैना राम शासन और शासकों के बिलकुल निकट है। उनके बारे में जो भी एन्क्वायरी है कोई भी अपोजिशन ग्रुप ले तो उस पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। यह मेरा मापदन्ड है। इसके बारे में दूसरे दूसरी राय रख सकते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांव में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है और उसका बहुत कुछ कारण इलेक्शन अभी हुआ है इस वजह से हो सकती है क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है और दूसरी वजह से भी हो सकती है। सोमानी की तरफ से आरोप लगाया गया कि एक मिलिट्री के आदमी ने रिप्रेजेन्ट किया था, उसको मारा है, एक मैनेजर है वह घर पर गया था कोई इस घटना से ताल्लुक नहीं है। यह इलेक्शन से सम्बन्धित मामला हो यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता–दूसरी तरह से भी हो सकता है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, गांव में अभी भी कोई सुरक्षा की स्थिति नहीं है, यह बात स्पष्ट है। 9 तारीख को घटना हुई है। कानून को हाथ में लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से वक्तव्य दिया जाय। 9 तारीख को श्री चैना राम उपस्थित थे, बिना रिपोर्ट हैं यह भी उनके सामने एस्टेब्लिश हुई है। इस बात को कहा जा सकता है और अब मुख्य मंत्री जी उससे क्या नतीजा निकालते हैं ये जो वक्तव्य देंगे वे खुद ही कह सकेंगे इसलिए मैं समझता हूं तारीख की एडमिट घटना जिसमें मार पिटाई और आतंक उक्त रिपोर्ट से कोलोबोरेट होती है। उसके बाद मार पिटाई हुई नहीं। यह सारी घटना 9 तारीख को हुई है और उस मीटिंग में हुई जिसमें चैना राम मौजूद थे तो मैं समझता हूं प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी के जरिये और यह प्रिलिमिनरी फैक्ट्स कुछ एस्टेब्लिश हुए हैं जिस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना जरूरी था और जरूरी होना चाहिए और जितना वक्तव्य राज्य मंत्री जी ने दिया है वह मैं समझता हूं काफी नहीं है और प्रिलिमिनरी कदम उठाने के लिए वह पर्याप्त होना चाहिए था जिसके बारे में भी गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोग कानून अपने हाथ में लें–इस प्रकार की बात मैं समझता हूं गवर्नमेंट मानकर नहीं चलती और न इस प्रकार का प्रोत्साहन देती है और न ही प्रोत्साहन देना चाहिए। राज्य सरकार पर्टीक्युलर वर्ग के बारे में कुछ भी कहने से इन्कार करे तब लोग कानून को हाथ में लेते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। अभी माननीय भैरोंसिंह ने कहा अगर इस प्रकार की चोरी के बारे में राज्य सरकार छूट देती है तो क्या राज्य सरकार भ्रष्टाचार के बारे में भी कुछ छूट देगी और इसमें मैं एड कर दूं, क्या राज्य सरकार उन शासन कर्ताओं को भी छूट देगी जो कानून को अमल में नहीं लाने देते है। यह सारी कड़ी जुड़ी हुई है और यही बात है कि सरकार मानती है पब्लिक को कुछ न कुछ करना पड़ता है। माननीय भैरोंसिंह जी ने भी कहा कि कुछ न कुछ करना पड़ता है। उनको यह महसूस होगा जब लॉ एन्ड आर्डर ब्रेक हो जाय, सरकार किसी विशेष वर्ग के हाथ में चली जाय और दूसरे वर्ग की प्रोटेक्शन देने से इन्कार कर दे तो उस वर्ग को सिवाय इसके कि वह संगठित हो और उस वर्ग से लड़े सरकार से लड़े और यही

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आज मजदूर वर्ग को करना पड़ता है। आज एक घटना भारतीय जनसंघ के नेता गये हैं यह घटना उनके साथ घटी तो दूसरे दिन इस सरकार में बैठने वाले सभी के साथ हो सकती है। कई बार कानून को हाथ में लेना पड़ता है। हमने भूमि छीनो आन्दोलन छेड़ा था और उसमें कानून को हाथ में लिया था और इसलिए कानून हाथ में लिया था कि जो कानून की व्यवस्था करने वाले हैं वे स्वयं कानून को तोड़ रहे हैं। कानून बनाकर उस पर अमल नहीं करते हैं इसलिए जनता के सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता है। कानून बनाने वाले जब अमल करना छोड़ दें तो जनता की शक्ति को इकट्ठा करके खुद अमल कराये जो गलत है उसको तोड़ कर बदलने की कोशिश करें। अगर भारतीय जनसंघ के नेता और दूसरे इस सदन के माननीय सदस्य इस घटना से यह सबक ले लें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए और हमारी जनता के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो माननीय सदस्य वहां मौजूद थे उन्होंने बातें बताई। क्योंकि मैं भी वहां मौके पर मौजूद था और यह बात तो सही है कि वहां पर करीब करीब एक ही पक्ष हमारे सामने आया। गांव में करीब 300 आदमी या उससे कुछ ज्यादा या कम इतमें इकट्ठे थे लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं था।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरों को श्यामता आई थी जो सामने आ जाते?

श्री शंकरलाल : ....जो यह कह सकता कि कहीं बावरियों के साथ अन्याय हुआ है। यह कहा जाये कि टेरर था और उसकी वजह से नहीं आये–अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि घटना से पहले जनसंघ के माननीय नेता वहां पर गये थे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्रीजी का वहां का प्रोग्राम बनाया, पुलिस का बाकायदा वहां पर इन्तजाम था और यहां से विधायक भी गये। पुलिस का अच्छा खासा इन्तजाम था और उसमें गांव का एक भी आदमी यह कहने के लिए तैयार नहीं था कि इनके साथ अन्याय हुआ है। मैं समझता हूं कि माननीय जनसंघ के नेता....

श्री रामचन्द्र आर्य : वहां चैनाराम की मेहरबानी से हुआ है और वह वहां मौजूद था। उसने तीन हजार आदमी इकट्ठे किये।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि 'चैनाराम' वहां पर मेजबानी में था और उसकी वजह से कुछ प्रभाव पड़ा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मुख्य मंत्रीजी के कोई नजदीक था तो भारतीय जनसंघ के नेता श्री भैरोंसिंह जी थे, जो कि एक ही गाड़ी में दोनों वहां पर गये, साथ साथ उनके रहे और साथ साथ ही वहां से वापिस आये और यह कहना कि चैनाराम मौजूद था मुख्यमंत्रीजी ने कोई बात उससे की हो यह बिलकुल गलत है।

दूसरी बात जो श्री रामानन्द जी ने कही कि जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा। अध्यक्ष महोदय जो घटना हुई थी वह

(श्री शंकरलाल)

डाकबंगले में हुई थी और आने वाले सरपंच या कुछ डेपुटेशन के लोग थे वह भी घूम रहे थे तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वहां पर घूमने से जनता आतंकित थी और वहां पर प्रभाव पड़ गया। तो यह मानना पड़ेगा कि ऐसा वहां पर कहते हैं कि वहां कोई आदमी नहीं है–आश्चर्य की बात थी। वहां पर कोई व्यक्ति जाये तो निश्चित रूप से मालूम होगा कि यह घटना जिस प्रकार से माननीय जनसंघ के नेता महोदय ने कही वह भी किसी से कहलवाते तो बात थी लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यदि हम घटना को देखें तो कहा जाता है कि 9 तारीख को वाकया हुआ और उसकी रिपोर्ट 21 तारीख को हो और वह भी जनसंघ के नेता महोदय जायें और वहां पर जाये और उसके बाद में इतनी बड़ी घटना की जो 9 तारीख को हुई और 21 तारीख तक कोई व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं करे। तो यह जो बात हुई है इसकी भूमिका के रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सामने जो बात आई–जो वहां के सरपंच हैं डालमचन्द भण्डारी जो कि छोटी खाटू के हैं वह और दूसरे लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने जो बताया वह यह बताया कि 7 तारीख को एक वडारा गांव के अन्दर लछमन पुत्र भालूराम के यहां एक दुधारू भेंस की चोरी हुई और जो वहां पर बावरी रहने वाले थे वह उसको काटकर खा गये और उसकी खाल भी बाद में बरामद हुई। तो दुधारू भेंस को जो काटकर खा गये उसका पता 9 तारीख को लगा और 9 तारीख को कुछ लोग गये और बावरी तो वहां से लापता हो गये थे जिनके ऊपर कि चोरी का मामला था। उनके रिश्तेदार पूसाराम, माधोराम ने यह कहा कि हमसे गलती हो गई और हम इसका भरणा भरने के लिए तैयार हैं। यह भी कहा जाता है कि इस प्रकार की चोरियों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं होती अध्यक्ष महोदय, मैं नागौर जिले के अन्दर नहीं बल्कि पाली जिले में और राजस्थान के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि जहां मवेशियों की चोरियां होती हैं उसकी रिपोर्ट बहुत कम स्थानों में होती है और वह इसलिए नहीं होती है कि थाने में रिपोर्ट होने के बाद अगर उसका पता नहीं होता है तो जो मुस्तगीस है उसको ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं लगा लेकिन चोरों के अन्दर जो एजेन्ट होता है जिसको पूछी कहते हैं, वह पूछा देकर उसकी भेंस बरामद करा लेता है। अगर पुलिस में पकड़ा भी जाय तो कई मुश्किलें पड़ती हैं। भेंस को वहां ले जाना पड़ता है, उसकी शनाख्तगी करानी पड़ती है और गवाहियां देनी पड़ती है तो इन सब बातों में गांवों के लोग नहीं पड़ना चाहते हैं। हां, यह दूसरी बात है कि इस प्रोसीजर में कहां तक सुधार हो लेकिन यह भी वास्तविकता है कि चोरी की रिपोर्ट थाने में नहीं होती और आपस के अन्दर यह तय हुआ और एक हजार रुपया भरने के दे दिये गये।

अब एक हजार रुपया देने के बाद वहां के सरपंच और वहां के लोगों का कहना है कि घटना वहां पर समाप्त हो गई। उसके बाद घर से निकालने की जो घटना आती है अध्यक्ष महोदय, उस समय यह और बताया जाता है कि आज से नहीं बल्कि 1½–2 साल से ग्राम पंचायत के अन्दर बावरियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज था और वह यह था कि इन्होंने आबादी भूमि

(श्री शंकरलाल)

नाजायज कब्जे कर रखी थी और इस मुकदमें का फैसला 7 फरवरी, 71 को हुआ। मतलब यह है कि इस घटना से एक महीने पहले और जब उसका फैसला हुआ तो फैसले के बाद में उसकी तामील के अन्दर ग्राम पंचायत का सरपंच कहता है और वहां के गांव वाले कहते हैं कि उसकी तामील के अन्दर उन लोगों को बेदखल किया गया इसलिए यह जो घटना बताई जाती है कि घरों से निकालने की और उनको बेदखल करने की।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : यह जो मकान तुड़वाये यह किस की इजाजत से तुड़वाये ? कौन तुड़वाता है, यह बताइये आप ? पंचायत की तामील कौन करता है।

श्री भवनारायण सालोदिया : यह हरिजनों के मकान ही तोड़े जाते हैं और उन्हीं को बेदखल किया जाता है आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसका क्या है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : यह सारा षड्यंत्र माथुर साहब और चेनाराम का किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, इस घटना में कितनी सत्यता है...

(1.28 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री लादूराम मुलानिया : प्रश्न यह है कि शंकर लाल जी कुछ भी कहें उसके लिए आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि वहां पर क्या हुआ वह तो माननीय सदस्य बताते हैं। जो वस्तुस्थिति है उसको तो बताना नहीं चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री लादूराम मुलानिया : जिस बात का सम्बन्ध नहीं वह यहां क्यों कही जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं यही तो निवेद करता रहता हूं और आप भी यही गलत कर रहे हैं। (श्री लादूराम मुलानिया के पुनः बोलने पर) आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य ध्यान रखेंगे।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि जो माननीय सदस्य वहां नहीं थे, न जनसंघ के नेता महोदय थे जिस समय यह घटना हुई उस समय, और मौके के बाद दूसरे सज्जन गये और मैं भी गया तो उनको तो पता है और हमको पता नहीं। आप सुनिये तो सही पहले...

श्री लादूराम मुलानिया : गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर हरिजनों को ग्राम पंचायतों से कितनी भूमि दी गयी और कितने पट्टे दिये, इसकी बात थी। चिकनी चुपड़ी बातें करके सारे मुद्दे पर मिट्टी डालना चाहते है आप ?

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गरीबों और पिछड़ी जाति के लोगो को पट्टा देने का सवाल है...

श्री उपाध्यक्ष : अन्य विषय न छेड़े

श्री शंकरलाल : उससे मैं इन्कार नहीं करता। मैं कहता हूं कि देना चाहिए। यह कानूनी मसला जो उठाया है कि पंचायत ऐसा कर सकती है कि नहीं उसका अध्ययन मैंने किया है। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि पंचायत एक्ट की धारा जो 24 है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : यह इससे सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : यह उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री शंकरलाल : यह उत्तर के रूप में नहीं है। पंचायत ने बेदखल किया है तो पंचायत का जुरिस्डिक्शन था या नहीं उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार का इसी गांव छोटी खाटू में एक मामले पर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है:

"In Bansi Lal Vs Gram Panchayat, Chhoti Khatu it was held by Their Lordships of the Rajasthan High Court that Gram Panchayat has power to direct the removal of encroachments on a public place or a public way and the jurisdiction of the Panchayat shall not be taken away by mere assertion of tide by the person who is alleged to have made the encroachment."

यानि उसी जगह का फैसला हुआ है कि ग्राम पंचायत को इस प्रकार का अधिकार है। तो वह एक कानूनी मसला है।

श्री मदनसिंह : उसके आगे और भी जोड़ दें कि औरतों को पीटा, मकान तोड़ते हुए।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से भैंस की चोरी और उसको लाने का मसला है और उसके बाद में पंचायत ने उनको बेदखल किया है उसका से मसला है। अब यह कहा जाता है कि पंचायत ने बेदखल नहीं किया और माना कि चेनाराम और उसके साथियों ने बेदखल किया और उसके साथियों ने ज्यादती की है तो जहां तक हमारे वहां वहां जाने का प्रश्न है तो न तो हमारे सामने कोई एक गांव का आदमी आया और न कोई जनसंघ का नेता या कार्यकर्ता ने आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा पंचायत भी ओ-वर्शन दिया है वह हमारे पास में है जांच करने से पता चलेगा कि कौन सा वर्शन कहां तक सही है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बताई गई है कि यह बात जरूर है कि उस गांव के अन्दर इन बावरियों को घरों से बेदखल किया है इसके बारे में सभी गांव वालों में बहु बड़ा रोष था। वहां के गांव के सरपंच और गांव वालों ने एक लिस्ट दी है ...

श्री मदनसिंह : मैं माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूं कि गांव वाले मौजूद थे ...

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : तुम कहां चले गये थे ...

श्री शंकरलाल : उन्होंने 32 चोरियों का हवाला देकर एक रिपोर्ट पेश की है कि 32 चोरियां हुई हैं जिनके अन्दर एक गांव वाले ने कहा कि बकरी को चुराकर खा गये, किसी ने कहा कि हमारी गाय चुराकर ले गये, तो एक ने कहा कि हमारी भैंस को ले गये। इस तरह से उन्होंने 32 घटनाओं का विवरण दिया है। उनका जिक्र करके सदन का समय नहीं लूंगा। अगर आप कहेंगे तो पेश कर दूंगा। 32 घटनाओं का विवरण गांव वालों ने किया है कि इन बावरियों ने चोरियां की हैं...

श्री मदनसिंह : उनके पक्ष में जिन्होंने स्थगन–प्रस्ताव रखा और यहां के एम. एल. एज. वहां गये तो उनके खिलाफ भी वह हो गये।

श्री लादूराम सुलानिया : 32 में से...

श्री डूंगाराम राजोरिया : बावरियों ने तो चोरियां की लेकिन रेगरों ने क्या किया था कि उनको मारा पीटा।

श्री शंकरलाल : मैं यह नहीं कहता कि क्या हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेगरों के पास में खाल बरामद हुई है और उन्होंने खाल मोल ली है यह मुझे पता नहीं है। यह सारा इन्वेस्टीगेशन का मसला है।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : एक तरफ तो आप कहते हैं कि खाल गड़ी हुई मिली और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि उनके पास मिली है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : चोरियों का कहा गया है और 32 चोरियों का हवाला माननीय सदस्य ने दिया है तो माननीय सदस्य ने उसको देखा है...

श्री शंकरलाल : गांव वालों ने लाकर दी है।

श्री श्रवणलाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनके बारे में पुलिस में कितनी रिपोर्ट दर्ज हैं। क्या आपने इस बात की भी जानकारी की है?

श्री मदनसिंह : यह तो मुख्य मंत्रीजी को देनी थी और आपको ही मुख्य मंत्री समझकर दी है।

श्री शंकरलाल : वे आप लोगों को भी दे सकते हैं और मुझको भी दे सकते हैं।

श्री श्रवणलाल : वह भी (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)..

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप यह भी बता दें कि चेनाराम ने आपको क्या फीस दी है।

श्री गोरधन सोनी : किन किन ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं, यह भी बता दें।

श्री शंकरलाल : इसके ऊपर हस्ताक्षर हैं, दुर्गाराम बेनिवाल, जग्गाराम माली, कस्तूरा राम जाट, चुन्नीलाल सांखला, गणेशराम, बाबूलाल, बद्रीदास इस प्रकार से कई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और.....

श्री श्रवणलाल : माननीय सदस्य महोदय बतायें कि यह किस के लिए दी गई है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, जरा बता दें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि वहां पर बावरी जाति के जो लोग इकट्ठे थे उन लोगों ने स्वयं ने इस बात को कहा है हमारे में से दो-तीन घर ऐसे हैं जिन्होंने चोरी करने का ही धन्धा कर रखा है और उनको हमने समाज से बहिष्कृत किया है। उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि लिखकर दिया है और रामलाल बावरी ने दस्तखत करके दिया है।

श्री गोरधन सोनी : इन्दिराजी के समाजवाद में भी समाज से बहिष्कृत कर सकते हैं क्या ?

श्री शंकरलाल : आप गांवों में जो जातियों के रिवाज है उन्हें समझेंगे तब पता चलेगा।

श्री मदनसिंह : जब नीम के थाने में होता है और अन्य गांवों के मीणों के साथ यह होता है तो उनके पक्ष में ये होते हैं।

श्री विजयसिंह : आटा मांगते थे तब मालूम हुआ क्या ?

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष·····

श्री रोशनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के एक माननीय सदस्य के प्रति इस प्रकार के शब्द कहें वे उचित नहीं हैं इनको निकाल देना चाहिये।

श्री शंकरलाल : जो शब्द जिनके पास होते हैं वैसे ही निकाल देते हैं। मैं चाहूं जैसा कह दूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चोरी और डकैती करने से आटा मांगना बुरा नहीं है।

श्री विजयसिंह : मैंढकी को भी जुकाम होने लगा है ?

श्री शंकरलाल : मेरे समझ में यह नहीं आता कि जो चीज जाकर मौके पर देखी है उसके अतिरिक्त भी कई चीजें कहीं जायं तो इस सम्बन्ध में माननीय इसके बारे में इस प्रकार की उग्रता जाहिर करें जो कि स्वयं मौके पर नहीं थे या किसी प्रकार थे। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं इसके साथ–साथ कि इतने साल के बाद भी वहां के लोग बावरी जाति के लोग थे। किसी आदमी ने बावरियों के बारे में हम से कोई बात नहीं कही है। पुलिस के बारे में जरूर वहां के लोगों में असन्तोष था। माननीय रामानन्द जी ने कहा मिलेट्री के लोग आये थे। वास्तव में मुख्य मंत्रीजी के सामने मिलेट्री के आदमी पेश हुए थे। इधर से भी कहा जाता है कि पुलिस कार्यवाही नहीं करती है और उधर से भी कहा जाता है कि पुलिस कार्यवाही नहीं करती है। पुलिस वहां कण्ट्रोल नहीं रख पाती है। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पन्नाराम बावरी की मृत्यु हुई। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसका स्वयं का लड़का आया। उसने कहा कि उस रोज उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। दूसरे रोज हुई थी तो वह व्यक्ति अपने बाप के बारे में कहता है कि उसकी उससे मृत्यु नहीं हुई है।

श्री मदनसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी...

श्री श्रवणलाल : मुख्य मंत्रीजी थे, उनके सामने हुई थी।

श्री विजयसिंह : आप एक घन्टा मेरे साथ रहो तो जो कहीं नहीं था

(श्री विजयसिंह)
से कहला दूं। अगर नहीं कहला दूं तो सदन में आना छोड़ दूं।

श्री शंकरलाल : मैं यह भी निवेदन कर दूं कि····

श्री भैरोंसिंह : एक बात सुनिये। पन्नाराम के कोई लड़का है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : उसके तीन लड़के हैं। एक छोटा लड़का है दो उससे बड़े लड़के हैं।

श्री शंकरलाल : यह सारी बातें हैं। यह तो पुलिस द्वारा डिटेल्स में इन्क्वायरी होगी। उससे मालूम होगा। लेकिन जो स्टोरी सामने आयी है।

श्री लादूराम बुलानिया : आप एक भी बता दीजिये।

श्री शंकरलाल : बच्चों को कहा गया है कि वह मर गये हैं। गांव वालों ने बताया है कि वह बच्चे जिन्दा हैं। एक अजीतसिंह जी हैं, उनके घर पर हैं।

श्री भैरोंसिंह : हस्तक्षेप के लिए माफ करें। वह अजीतसिंह जी के यहां नहीं हैं। वहां जयपुर में हैं। आरोप लड़के का नही लड़की का है।

श्री शंकरलाल : यह स्टोरी आप को मालूम है। जो माननीय जनसंघ के नेता ने कहा है। जो घटना और टिप्पणी बताई है। और जो हमने गांव में देखी है वह विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, या रामानन्द जी ने कहा है, वह है।

श्री शंकरलाल : इसके अलावा मुख्य मंत्रीजी क्या कहते ? वहां के गांव वाले तो भैरोंसिंह जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह आपने कहा है, श्री चेनाराम ने इकट्ठे किये। लाठी उनके हाथों में थी।

श्री शंकरलाल : गांव के सभी लोग थे। बच्चे थे, बूढ़े थे उसमें। मुख्य मन्त्रीजी ने और वित्त मन्त्रीजी ने उनको प्रोटेक्शन दिया। उनको अपने साथ में रखा।

श्री मदनसिंह : आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर।

सदन की ओर से माननीय विधायक को भेजा जाये। शंकरलाल जी ने जो कहा है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वहां उनको प्रोटेक्शन देकर लाये। इससे साबित होता है कि टेंशन कितना हो सकता है।

श्री शंकरलाल : यहां तक कि बावरियों के खिलाफ भैरोंसिंह जी स्वयं इस घटना को जानते हैं कि एक भैंस चुरा ली गई है। इस प्रकार से जो घटना हमने वहां पर देखी इसके लिए तो यह इन्वेस्टीगेशन का मसला है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। पीछे का इतिहास नहीं कहा जा सकता है। कहा जा रहा है कि चेनाराम की जीप द्वारा घटना हुई। घटना की जांच पुलिस इन्क्वायरी कर रही है। तभी सही कहा जा सकता है। अभी नहीं कहा जा सकता है कि कौन जिम्मेदार है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, जब कल में वहां पर गया तो आस पास के काश्तकार लोग सैकड़ों वहां पर थे। सबसे पहले दो व्यक्ति मिले। पता चला कि लोगों को यह कहा गया कि वह उनको मारेंगे जो उनको मदद करेंगे। उसको देख लेंगे। मैं और रामानन्द जी वहां पर ठहर गये। किसी की हिम्मत नहीं हुई खुलकर उनके सामने बात कर सकें। कहीं नारा लगता जनसंघ मुर्दाबाद। ऐसे तनाव की स्थिति में हम वहां पर असलियत को मालूम कर लें यह बहुत मुश्किल है। करीब आधा घन्टे पौन घन्टे हम वहां ठहरे। 9 तारीख को जिन दो बावरियों के परिवारों ने चोरी की थी उनकी औरतों की सामूहिक पिटाई करना, दण्ड के रूप में जबरन वसूली करना यह स्थिति वहां पर पाई। मैंने वह भी स्थिति देखी है जब कि मास में यह वसूली हुआ करती थी। मगर चोरी के मामले को लेकर औरतों की पिटाई करना, जबरन वसूली करना दण्ड के रूप में, मकानों को गिराना यह नहीं हो सकता है। गांव में जब तक औरतों को प्रोटेक्शन के रूप में कुछ नहीं है तो यह मान लिया जाये कि पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं है।

उसके बाद हम लोग वापिस गये। 30-40 बावरी हैं। बावरी कम्युनिटी सारी की सारी चोरी नहीं करती है। दो चार परिवार चोरी करते हैं। उनको सामूहिक रूप से पिटाई का दण्ड दे दें। यह उचित नहीं है। इस वातावरण में यह कहा गया कि उनकी वह जगह पंचायत की थी। उनको बेदखल किया है। उन्होंने चोरी की है, इसलिए उनको पीटा गया है मैं आपकी मारफत कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग हैं गांवों में जिनके दिमाग में यह चीज बनती जा रही है कि गरीब तबके के जो लोग हैं कि जो कांग्रेस के खिलाफ वोट दे दें तो मैं नहीं समझता हूं कि एक भी कौम के लोग हैं जो खिलाफ वोट दें। वह भैंस की चोरी की बात भी कह दें। हो सकता है कि रंजिश निकालने के लिए किया हो। इसीलिए उन्होंने यह किया हो।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं, जो खेतों पर मजदूरी का काम करने वाले हरिजन हैं उनके साथ यहीं नहीं बल्कि बहुत से गांवों में खराब स्थिति पैदा हुई है। आज जो यहां है, वह यहीं हर गांव में यह फैक्टर है। तो जो सीर के झगड़े हैं, चोरी के झगड़े हैं, मजदूरी के झगड़े हैं, इनके कारण किसी गरीब आदमी की इज्जत सेफ नहीं है। मैं इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह केवल एक घटना नहीं है। यह ठीक है कि यह प्रश्न कुछ माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव के रूप में पेश हुआ और इस पर यह एटीट्यूड लिया गया और इसके सम्बन्ध में अपना फर्ज अदा किया गया, मुख्य मंत्रीजी वहां बतौर हैड आफ गवर्नमेंट वहां गये और उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। अच्छा किया, मौके पर गये, इससे मकसद जो हल हो सकता है कि चेनाराम पार्टी के खिलाफ ऐसी चीज बनती है कि जिसके लिए उन्हें दण्ड मिले, उनके खिलाफ कानून वाला रास्ता लिया जाय, वह केस अदालत में जाय और अदालत में उनका केस पेश हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। यह एक ऐसा केस हो सकता है कि कोई एवीडेंस न आवें, कोई

(श्री केदारनाथ)

विटनेस पैदा नहीं हों, कोई ताकत के साथ में बोले नहीं, तो यह नहीं कह सकते हैं कि कोट उनकी मदद कर देगी, उनकी मदद कानून कर देगा। इसलिए यह सोचने वाली बात है कि क्या इसको केवल कोर्ट के ऊपर छोड़ दें, या इसके अलावा और कोई हल निकालें। चेनाराम और चेनाराम पार्टी मारपीट में शामिल है। खुद चेनाराम उसमें शामिल होते हुए डिनाई करता है तो उनके आदमियों ने यह किया है। क्योंकि मीटिंग की है और सामूहिक रूप में जबरन लोगों से वसूली की है और उनके साथ में मारपीट की है। इसलिए यह कोई मामूली घटना नहीं है, इसके कान्सीक्यूएन्सेज जरूर होंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों नहीं वहां पर ऐसी हालत पैदा हो जिससे वह लोग वहां इज्जत से रह सकें। इसका हल केवल इस केस की ट्रायल करने से नहीं होगा। वहां पर जो गरीब तबके के लोग हैं, बावरी हैं, रैगर हैं, मेघवाल हैं, दूसरी जगह भी दूसरे गांवों में, चाहे वहां जागीरदार ज्यादा हों, चाहे ब्राह्मण ज्यादा हों, चाहे बनिये ज्यादा हों— वहां इन लोगों की यही हालत हो सकती है। अन्त में मैं ज्यादा न कहते हुए, और बातों को न कहते हुए, वहां जिस प्रकार से मकानों को तोड़ने की कार्यवाही हुई है, वहां जिन सरकम्सटान्सेज में लोगों को पीटा है, लोगों के मकान तोड़े हैं—यह सब हालात यह शो करते हैं कि कुछ लोगों ने रंजिश के तौर पर इस प्रकार के हालात पैदा किये, और लोगों को एसाल्ट करके उनको दण्ड देना चाहा है, उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको दण्ड दिया जाय, ताकि गरीब आदमियों को वहां बसाया जा सके। जो चोरी करने वाले हैं वह केवल चार आदमी हैं, उनका इन्तजाम और तरह से कर लिजिये, आपके कानून में सौ प्राविजन हैं। लेकिन उनकी बिना पर सारी कम्यूनिटी को आप दण्डित करें, उनके साथ में मार पिटाई करें उनमें दहशत फैला दें ताकि कोई लोग सामने न आ सकें तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। डीडवाना के पास जिन कॉलेज के स्टूडेन्ट्स से मिला, जिन टीचर्स से मैं मिला उनका कहना है कि चेनाराम का दबदबा है, वह रोबीला है और उसका उस इलाके में असर है। उसकी फोलोईंग है। अब फोलोइंग कैसे बनी, कैसे नहीं बनी—यह विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन उससे लोग भयभीत हैं, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज तक उसको प्राटेक्शन मिलता रहा है। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई विटनेस के रूप में पेश हो जाय। किसी में हिम्मत नहीं है कि जो आपके पास आकर कहे। यह ऐसा व्यक्ति है जिसने सत्ता का सहारा लेकर हुकूमत कायम करली है, लॉ एण्ड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया है और उस क्षेत्र में टेंशन पैदा कर दिया है. इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई बोल जाय। इसलिए सरकार का फर्ज है कि ऐसे आदमी के खिलाफ कार्यवाही करे। और गरीब लोगों को प्राटेक्शन दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, परसों जब स्पीकर साहब के यहां पर हम लोग मिले थे और मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध किया था कि वह मौके पर तशरीफ ले लायें तो उन्होंने मान

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लिया था। सब यह उम्मीद करते थे कि मुख्य मन्त्री जी जब मौके पर पधार गये हैं तो इससे इस समस्या का हल हो जायगा, लेकिन जो पुलिस के मंत्री महोदय ने जो रिपोर्ट पढी उससे मालूम हुआ कि इस समस्या का हल होने के बजाय, यह समस्या ही समाप्त हो गई है। हम यह उम्मीद करते थे कि जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करके उनको गिरफ्तार करेगी। मैं ऐसे मसले जानता हूं जिसमें राजस्थान में जब पुलिस ने, जब किसी एक आदमी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो सारे गांव के गांव को बन्द कर दिया और उनका चालान कर दिया और अब भी ऐसे मामलात अदालत में चल रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस को वोट दिलाने वाले हैं, जो कांग्रेस के नुमाइन्दे हैं, वह जुर्म करते हैं तो इसका मतलब है कि राज्य जुर्म करता है। इस चेनाराम के खिलाफ शिकायतें आती रही हैं लेकिन इसके खिलाफ गवर्नमेंट आज तक कार्यवाही नहीं कर सकी है और अब भी यहां बैठे हैं, माननीय सदस्य, यह उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मुझे दुःख हो रहा है इस बात का कानून को अपने हाथ में चेनाराम ने लिया, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ कार्यवाही की? आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं है। उसको जेल के सीकचों में बन्द होना चाहिये था, वह वहां पर मुख्य मंत्री जी की महमानदारी कर रहा था। यह दुःख की बात है। वहां पर एवीडेंस देने वाला कोई मिला नहीं–यह कहा जाता है। आपके स्टेटमेंट के अनुसार उस जगह जो हो, उसकी पुलिस में रिपोर्ट करना या न करना एक आम रिवाज बन गया है, जो भी जुर्म करता है उसके बारे में गांव वाले मिल कर तय कर लेते है। इसका मतलब वहां पर राजस्थान सरकार का राज्य नहीं है। क्हां पर पीपुल्स गवर्नमेंट है चीन की तरह...

श्री मदनसिंह : It is decentralisation of power.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : जैसे पीपुल्स गवर्नमेन्ट चीन में है वैसी है। अभी कांग्रेस के एक मित्र कलकत्ता गये थे, जब वहां पर सी.पी.एम. की गवर्नमेंट थी। उस समय वह कह रहे थे, वहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। जो भी जुर्म करता है या जो गड़बड़ करता है, उसको बुला लेते हैं और उस पर जुर्माना करके छोड़ देते हैं। वह कांग्रेस के एम. एल. ए. थे, अब वह एम. पी. बन गये हैं, वह जब वहां से आये थे तो उन्होंने सारी हालत मुझे बतायी थी। वही हालत आज यहां पर हो रही है। वहां पर राज्य मोहन लाल सुखाड़िया का नहीं है, वहां जो कांग्रेस के नेता हैं, वह चाहें तो कानून को अपने हाथ में लें, लॉ एण्ड ऑर्डर को अपने हाथ में ले। ऐसी मिसाल मैं बहुत जानता हूं जहां पर लोगों ने कानून को, लॉ एण्ड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर इस प्रकार की कार्यवाही की लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी। पुलिस का तो ज्यादती और जुर्म करने का एक तरीका रह गया है, इसलिए वह मनमानी करती है। इसके अलावा पुलिस राजस्थान की कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान की पुलिस तो कांग्रेस के आदमी की तरफ देख कर, उसके हुक्म से कार्यवाही करती है। यह मामला तो सामने आ गया भैरोंसिंह जी ने उठाया, इसलिए किसी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तरह मुख्य मंत्री जी मौके पर पधारे थे, लेकिन आज बहुत से लोगों के साथ जगह जगह ज्यादती हो रही है, उसको देखने-सुनने वाला कोई नहीं है। आज न लॉ एण्ड ऑर्डर है, और न कानून है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। यह जो गरीब की बात है, यह तो केवल वोट लेने का एक तरीका रह गया है। इससे मालूम पड़ता है कि कांग्रेस के लोग इन गरीबों को समाप्त करने जा रहे हैं। गरीबी समाप्त कर देंगे–यह चुनाव में कांग्रेस ने वायदा किया था, वह इस प्रकार पूरा कर देंगे कि गरीब नहीं रहेंगे। इस तरह गरीबी को समाप्त कर दिया जायगा। इससे यह मालूम हो जाता है। मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान की प्राइम मिनिस्टर ने वायदा किया था कि गरीबी को मिटा दिया जायगा। यह खुशी की बात है। कौन चाहता है कि गरीबी रहे। लेकिन यह बात इस भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी से निकली है, यह ऐसी बात है जो चलने वाली नहीं है। वैसे हम भी मौजूद हैं, दुनिया में रहे तो हम भी देखेंगे कि पांच साल में इसका क्या नतीजा होता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बावरियों के साथ में जिन लोगों ने ज्यादती की है वह उन लोगों में से जिन्हों के हाथ में सत्ता आई है। इस प्रकार की कार्यवाही पहले भी कांग्रेस के आदमी करते आये हैं। यह अफसोस की बात है। मुख्य मंत्रीजी वहां तशरीफ ले गये थे, लेकिन जो जुर्म करने वाले हैं उनके खिलाफ आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं उम्मीद तो यह करता था कि इस सदन के सामने यह रिपोर्ट आयेगी कि यह लोग जेल के सींकचों में बन्द हैं। लेकिन क्या कार्यवाही की गई? कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि मथुरादास माथुर के आदमी हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि कहीं पर भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि पंचायत इस तरह से किसी के मकान गिरा दे। यह केवल बहाना मात्र है। पंचायत को कोई अधिकार नहीं है कि मौके पर जाकर किसी का मकान तुड़वा दे· · ·

श्री रामनारायण चौधरी : आपका बनाया हुआ कानून है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा बनाया हुआ कानून नहीं है। आपने कानून पढ़ा नहीं है। कानून में प्राविजन है, उसके अनुसार मकान तोड़ने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। फिर आपके पास अधिकार कहां से आ गया। आप केवल बहाना बनाते हैं। यह बड़े दुःख की बात है। यह अफसोस की बात है कि अभी थोड़े दिन पहले गरीबी मिटाने के नारे को लगा कर आपने वोट लिये हैं, अब इस प्रकार कह रहे हैं जैसे कोई हमदर्दी नहीं है गरीबों से। आपको कानून का पता नहीं है, और आप यह कहते हैं· · ·

श्री रामनारायण चौधरी : आप चोर का साथ देते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चोर है तो चोर के साथ चोर जैसा व्यवहार कीजिये। कांग्रेस में कितने ही चोर बैठे हैं, जो इस प्रकार का अन्याय करते हैं उन लोगों के खिलाफ आप आवाज बुलन्द कीजिये· · ·

श्री विजयसिंह : कांग्रेस में चोर ही चोर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं नहीं कहता कि चोर के खिलाफ कार्यवाही न करें, लेकिन चोर के खिलाफ···

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री मदनसिंह : मैं इसको ओपन करता हूं कि ऐसे कितने ही विधायक हैं जिन्होंने लोगों का न मालूम कितना माल चुराया है।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई नहीं है।

श्री मदनसिंह : अगर यह एक्शन लेते तो रैनवाल में मीणों के साथ जो व्यवहार किया उस पर लेते, मीणों को मारा उनके खिलाफ एक्शन लेते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेकिन चोरी करने वालों को सजा देने का अधिकार अदालत का है गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को है और अदालत में पेश करने का अधिकार भी पुलिस को ही है। आपको कहां अधिकार है कि आप लाकर जुर्माना करदें। यह ला एण्ड आर्डर नहीं है और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट भी नहीं है यह अन-डेमोक्रेटिक है जो इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि माननीय सदस्य कानून समझते नहीं है और लॉ एण्ड ऑर्डर की भाषा को जानते नहीं और बिना जाने बार बार इण्टरप्ट करते हैं। कहां लिखा है कानून में कि आप जुर्माना करदें, और कोई जुर्माना नहीं दे तो उसका मकान तोड़दें औरतों को मारा जाय और उनके साथ जोर जबर्दस्ती की जाय यह कहां लिखा हुआ है। अफसोस इस बात का है कि आप भी माननीय सदस्य पर डिपेन्ड करते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि कानून जानने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री (रामनारायण चौधरी के बोलने पर) माननीय रामनारायण, ऑर्डर, आर्डर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं माननीय सदस्य की बड़ी इज्जत करता हूं। माननीय सदस्य मौके पर गये हैं फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय रामनारायण, कैसी बात कर रहे हैं। वह तो गुण्डों का बादशाह।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह न समझें कि आप गवर्नमेन्ट में हमेशा बैठने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अभी बैठे हैं आगे भी बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनता की दी हुई ताकत है और जनता अपनी ताकत के आधार पर इस बात को समझ लेगी। हो सकता है कि आज आप गरीब के साथ अन्याय करते हैं और कर सकते हैं लेकिन भगवान के यहां पर, ईश्वर के यहां, आपको जरूर जवाब देना होगा। मैं इस बात का विश्वास करके चलता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय, मौके पर गये नहीं थे। बिना फैक्ट की जानकारी किये, कह रहे हैं। जिनको मालूम है और फैक्ट जानते हैं उनको कहना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये सब इस बात पर बोलते हैं क्योंकि इनके पीछे सरकार की शक्ति है यह सरकार की शक्ति पर बोलते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इसलिये मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ये कौरवों की सभा है। द्रोपदी का चीर उतर रहा था तब कौरव भी इसी तरह से हंस रहे थे।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय मुख्य मंत्री मौके पर पधारे थे और माननीय जनसंघ के नेता मौके पर गये थे तो मैं भी उनके साथ गया था।

श्री रामकिशन : मन से साथ थे या शरीर से :

श्री रामनारायण चौधरी : मन से और शरीर से साथ था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ? आपस में बात नहीं।

श्री रामचन्द आर्य : इनको कोई काम तो होता नहीं है गवर्नमेंट होस्टल में खाने को दिलवा नहीं सकते। उसका क्या इन्त-जाम करेंगे आप ?

एक माननीय सदस्य : आपने शिकायत कब की ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो स्थिति माननीय सदस्य जनसंघ के नेता ने अपने प्रस्ताव के द्वारा सदन के सामने रखी मैंने भी उस स्थिति का पूरा पता लगाने की कोशिश की विस्तार से, माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जैतारण ने कहा कि मैं इस बात की चेष्टा करूंगा कि फैक्ट्स को रिपीट नहीं करूंगा। चूरू गांव में एक भैंस की चोरी हुई, भैंस को बावरी चोरी करके ले गये, बावरियों ने भैंस को काटा, उसे काट कर उसका गोश्त खा गये और उसकी खाल को बेच दिया। यह बात साबित हो चुकी है। 9 तारीख को गांव वालों ने बैठ कर फैसला किया और यह तय किया कि 100 रुपये उनसे वसूल कर लिये जायं। यह मामला यहीं समाप्त हो गया था और जो मकान गिराने की बात है वह ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच के द्वारा पंचायत के निर्णय से हुआ ग्राम पंचायत ने बाकायदा इसकी कार्यवाही की है। और उस डिसीजन को इम्प्लीमेन्ट ग्राम पंचायत ने करवाया। एक मामला 31-8-69 को ग्राम पंचायत की बैठक में कार्यवाही शुरू हुई। पेपली पत्नी रतना बावरी की पेशी 31-8-69, 17-9-69 2-11-69, 18-3-70, 10-1-70 और 7-2-71 को फैसला हुआ।

श्री रामचन्द्र आर्य : दुबारा छप्पर किसने उठवाया। छप्पर गिरने के बाद दुबारा छप्पर किसने उठवाया।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जो मामला था यह 31-8-69 को चालू हुआ पेपली पत्नी रतना बावरी पेशी उसकी 31-8-69, 17-9-69, 2-11-69, 18-3-70, 10-3-70, और 7-2-1971 को फैसला हुआ। दूसरा जो मामला था घीसा पुत्र जैठारा बावरी छोटी खाटू के खिलाफ में ग्राम पंचायत में कार्यवाही शुरू हुई इसकी भी कई तारीखें पडी एक तारीख 10-1-71, दूसरी पेशी 7-2-71 तथा 7-3-1971 को फैसला हुआ। 12-3-71 को हटाया श्री घीसाराम को नोटिस तामील हुआ है

(श्री रामनारायण चौधरी)

लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ फैसला होने के बाद हाजिर हुआ सात दिन की मोहलत मांगी है अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि ग्राम पंचायत ने मेनीपुलेशन किया है। क्या ग्राम पंचायत ने मुकदमा सुना उसने सब गलत कार्यवाही की। जिस मामले की आखिरी तारीख 10-10-70 को पड़ी है उसका बाकायदा सम्मन जारी हुआ और ग्राम पंचायत ने डिसीजन लिया है उसके एग्जीक्यूशन के लिये कार्यवाही हुई है उसको गलत बताया है वह बड़े अफसोस की बात है । दूसरे मैं अर्ज करूं कि इसके मामले की पहली तारीख 10-1-71 को हुई और 7-3-71 को इसका फैसला हुआ वह भी ग्राम पंचायत ने किया। अब यह जानकारी की कि दो के तो ग्राम पंचायत ने मकानों को तुड़वाने की कार्यवाही की लेकिन तीन चार आदमी रह गये उनके मकान किसने तोड़े ? तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है उस गांव में बावरी और भी जरूर हैं, वह कोई काम करते हैं खेती करते हैं मजदूरी का काम करते हैं दो घर ऐसे हैं जो जरायम पेशा हैं, उनका पूरे ग्राम में आतंक है वो बराबर चोरी करते आ रहे हैं और महिलाओं को पीटने की जो बात कही गई है वह महिला नाम से महिला है और वचन से मर्द के बराबर है। बावरी चोरी करके घर में चोरी का माल घर पर रखता हैं और वह भाग जाते है और अपनी महिलाओं से यह कह जाते है कि हमारा पता मत बताना। उनका व्यवहार ऐसा है कि जिसकी वजह से गांव के सब लोग बहुत दुःखी है। जन संघ के माननीय नेता जब मौके पर पहुंचे थे तो उन्हें मालूम है उस गांव के करीब तीन चार हजार आदमी मौके पर थे, आस पास के भी आदमी थे। वहां कई छोटे छोटे बच्चों से जानकारी की एक ने भी यह नहीं कहा कि बावरियों के साथ ज्यादती हुई है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): यह क्या अच्छी बात है?

श्री रामचन्द्र आर्य: कोई कहने वाला सामने नहीं आया।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: 3-4 हजार आदमी थे वह आस पास के गांवों से आगये।

श्री रामनारायण चौधरी: उस गांव में पांच हजार की आबादी है।

श्री रामचन्द्र आर्य: 3-4 हजार आदमी इकट्ठे थे, यह बात आपने कही है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: इकट्ठा करवाया गया था। चार हजार आदमी सारे के सारे गांव में है तो सारे के सारे अपना घर छोड़कर आये थे।

श्री रामनारायण चौधरी: जनसंघ के माननीय नेता महोदय ने अपने प्रस्ताव में दो केज्यूल्टी होने की बात की है उसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो पत्रा बावरी के बारे में और दूसरे जडावली की 5 दिन की बच्ची के बारे में कहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप बता रहे थे मकान किसने तोड़े।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बता रहा हूं कि पन्ना बावरी जिसके मरने की बात कही गई है उसके लड़के से मैं मिला हूं, सावताराम उससे मैंने जानकारी की है उसने बताया कि "मैं सावताराम पुत्र पन्नाराम बावरी निवासी छोटी खाटू नागौर का हूं। मेरी उम्र 30 वर्ष है। मेरे दो बच्चे हैं। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। पन्ना बावरी मेरा बाप था जिसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई और मृत्यु के समय उनकी उम्र 75 वर्ष के करीब थी। गत 2–3 साल से उनको स्यास (दम) की बीमारी थी। उनकी मृत्यु दिनांक 13-3-71 को मध्यरात्रि को हुई।" यह पूर्णतः सत्य बात है उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी, किसी दुर्घटना में नहीं हुई। यह सावताराम पन्ना राम का लड़का है छोटा, दो और लड़के हैं। उसने यह बताया

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बयान अकेले में आपने लिये हैं, जब कि श्री भैरोंसिंह, श्री रामानन्द अग्रवाल वहां गये थे। आपने अकेले बयान कैसे लिये औरों के सामने क्यों नहीं लिए ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने जानकारी की, उस वक्त मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्राम पंचायत के सरपंच थे श्री भण्डारी। दूसरे सरपंच थे जो मेरे साथ थे। इससे साफ जाहिर है कि पन्नालाल की मृत्यु इस घटना में नहीं हुई। प्रस्ताव में कहा गया है– वह पूर्णतया गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बयान मुख्य मंत्री के सामने क्यों नहीं करवाये ?

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप क्या अकेले देखने गये थे जो अकेले जाकर बयान लिये है ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनिये, बैठो, दूसरी बात है जड़ावली पत्नी नाथू बावरी से भी मैं मिला जो कि रामकरण और लालू निवासी छोटी खाटू की भाणजी है। वह वहां आई हुई थी और 6 दिन की लड़की वाली बात गलत है। जिस समय आई थी 7–8 तारीख को उस समय लड़की 15–20 दिन के आसपास की थी। वह मजदूरी करने बाहर जाती थी और यह कहना कि लड़की मार दी गई है, वह गलत है। मैंने जानकारी की कि वह जड़ावली खामियाद व्याही है तथा परवतसर तहसील में खेड़ी ग्राम के पास किसी गांव में इसका पीहर है। यह बात बिल्कुल असत्य है कि उसकी 6 दिन की लड़की इस घटना में मर गई। आज यह लड़की करीब 1 माह की है जो जिन्दा है और जड़ावली के पास मौजूद है।

मांगीलाल जो उसके मामा है उसने बताया और दूसरा सावताराम का लड़का है उसने बताया। यह मैंने दो सरपंचों के सामने जानकारी प्राप्त की है। सारी जो घटना है गलत है। बाकी मकान गिराने की बात है। इस बात को मानना पड़ेगा कि प्रधान जिसके बारे में कहा गया था कि उस क्षेत्र के अन्दर चाहे दलबंदी के आधार पर, राजनैतिक विद्वेष के आधार पर विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा लेकिन मैं कह सकता हूं कि यह निर्विवाद बात है कि चैनाराम अपने क्षेत्र में लोकप्रिय कार्यकर्त्ता हैं जो कुछ वहां पर असर है वह उनकी राजनैनिक · ·

श्री जयनारायण सालोदिया : आप उसके एजेन्ट हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : राजनैतिक षडयंत्र है उसके अन्दर जनसंघ कार्यकर्त्ता हों, मैं ऐसा नहीं मानता। श्री चैनाराम के खिलाफ वही किशनाराम भी है। वहां पुलिस के थानेदार सिपाही बराबर इस बात की पुष्टि कर रहे थे। मुख्यमंत्री का नाम सुनते ही लोग इकट्ठे हो गए और भाग भाग कर लोग आ रहे थे। पुलिस वाले कह रहे थे कि चैनाराम एक बार गड़बड़ी कराएगा। मैंने कहा कैसे करायेंगे तो कहा कि वह बदमाश है। पुलिस वालों की ऐसी राय बनी हुई है कि वहां के एस. पी. ने षड़यंत्र करवाया है। वह हैं सरदार अजीत सिंह। उसका काम है उन बावरियों से सस्ती कीमत पर लेना, उसके षड़यंत्र से मकान गिरवाए हैं। जनसंघ के नेता भैरोंसिहजी को वहां ले जाकर कहानी घड़ी गई, सारा षड़यंत्र चैनाराम के खिलाफ रचा गया और इस प्रकार की हवा बनाई गई जिसमें कोई तथ्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा इतना ऊंचा फोरम है उसका हम ग्राम पंचायतों के प्रधानों या सरपंचों के खिलाफ उपयोग करें तो यह स्वस्थ परम्परा नहीं है, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जैसे कि प्रधान हमारी नजर में कुछ ही नहीं है। प्रधान इस सदन का क्रिएटर है। उनके खिलाफ यहां बैठकर इस प्रकार का प्रस्ताव माननीय सदस्य लायें, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की भावनाओं के विरुद्ध है।

श्री भैरोंसिह : क्या आप सारी जांच कर आये हैं कि मकान किस समय तोड़े गए थे ? रात को या दिन को ?

श्री रामनारायण चौधरी : ग्राम पंचायत का दिन में गिरा है, बाकी मकान बावरियों और सरदार अजीतसिंह ने मिल कर गिराए हैं और चेनाराम····

श्री उपाध्यक्ष : एडीशनल एस. पी. ने रात को गिराए या दिन को ? एडीशनल एस. पी. ने कब गिराए ?

श्री रामनारायण चौधरी : एडीशनल का मैंने कोई जिक्र नहीं किया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं रामनारायण जी से एक बात जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बयान लिए हैं और पार्टीज के सदस्य भी हैं, सी. पी. आई. के सदस्य भी थे और मुख्य मंत्री भी गए थे तो उनके सामने इनके बयान क्यों नहीं कराए ? फर्जी और बनावटी कार्यवाही की है आपने।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने जो जानकारी की है उसके आधार पर कहा है मैं कह नहीं सकता···

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता व श्री रामनारायण चौधरी साथ साथ बोलने लगे)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रामनारायण जी, आपने कहा नागौर पुलिस और वहां के लोग एस. पी. और चेनाराम को बदमाश समझते हैं, यह बात किसने कही ?

श्री रामनारायण चौधरी : तमाम कार्यकर्ता वहां की जनता सब कहने लगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कि वहां का एस. पी. बदमाश है ?

श्री रामनारायण चौधरी : वहां का एस. पी. सदन में उपस्थित नहीं है। किसी के खिलाफ मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता लेकिन मेरी जानकारी में वह आदमी अच्छा नहीं है और जो एण्टी-सोशल एलीमेंट्स हैं बराबर उनसे कान्टेक्ट हैं और यदि सरकार बात को चाहे तो प्रमाण देने को तैयार हूँ। वह मेरे जिले में था, वहां उसने क्या क्या किया, गृह मंत्री को मैंने बताया है, उनकी जानकारी में है, चाहे...

श्री विजयसिंह : बावरियों और मीणों के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि वह एस. पी. मीणा जाति के हैं। मैं भी इस मौके पर मौजूद था।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन इस बात का फोरम नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं उन पर निर्णय करे, न तो यह न्यायालय है न पुलिस इन्वेस्टीगेशन के लिए····

श्री उपाध्यक्ष : वोट नहीं करवायेंगे इस पर।

श्री यशवंतसिंह नाहर : अगर निर्णय देने का अधिकार नहीं है तो ढाई घंटे खण्डनात्मक स्टेटमेंट्स से क्या फायदा ? आप यह निर्णय लेकर बैठे हैं कि बावरी सही थे, चैनाराम गलत था। चैनाराम के संबंध में बात कही जाती है तो आप प्रोवोक होते हैं। पुलिस इन्वेस्टीगेट करेगी तो तथ्य सामने आएगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज तक हुआ है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सत्य का स्थापन करने का अधिकार नहीं है तो फिर ढाई घन्टे इस तरह····

श्री मदनसिंह : ऐसा नहीं था, परसों लोगों ने पर्चे फेंके थे····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जब पर्चे फेंकने का प्रश्न आया तो विरोधी दल के सदस्यों ने कहा कि इसमें लिखा है कि रेजगी नहीं मिलती और बड़े बड़े आदमी चोरी करते हैं तो पर्चे फेंकने का अधिकार है। आज इसके विपरीत अर्थ लगाया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि किसी बात को लेकर सदन में मर्यादा कायम रखना चाहते हैं, अगर कायम रखना चाहते हैं तो सदन का समय बरबाद मत करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : जांच करवाइए।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पर्चे इन्होंने फेंके थे कि सरकार इन्तजाम नहीं कर पाती है इसलिए अधिकार है मर्यादा है पर्चे फेंकने की और आज जब कहा गया कि बावरी अगर चोरी करते हैं उनकी मारपीट की जाती है तो उनके खिलाफ भी डाका डालेंगे ? आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आप लोग न्याय नहीं करते जनता क्या करेगी ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बहुत कुछ हो चुका। हमने बहुत कुछ सुन लिया। ढाई घंटे में सदन में शायद हितकर काम होगा। आप इसको बंद करें और आगे की कार्यवाही करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा को शीघ्र समाप्त करें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैं मौके पर मौजूद था और मुख्य मंत्री पधारे उससे कम से कम डेढ़ घण्टा पहले पहुँच गया था। मेरे साथ दो पत्रकार बन्धु भी थे जो हिन्दुस्तान और राजस्थान में माने हुए पत्रकार हैं और उन्होंने जो कुछ पूछताछ की उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूं। यहां सत्य मेव जयते लिखा हुआ है परन्तु मुझे दुःख है कि कांग्रेस के सदस्य ने इसके विरुद्ध एक बात कही। वे विधान सभा में बैठने लायक नहीं हैं। मैं कांग्रेस विधायक नहीं हूं कि झूठ छिपाने के लिए न जाने किस प्रकार सांठ गांठ करके यहां पेर झूंठ बोलने के लिए विधान सभा में लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बात कही।

श्री उपाध्यक्ष : झूंठ शब्द का प्रयोग न करें।

श्री विजयसिंह : जब तय हुआ कि मुख्यमंत्री पधारेंगे और विरोधी दलों के एक एक सदस्य जायेंगे तो कांग्रेस के माननीय सदस्य किस प्रकार पधारे, इसमें एक राज है, ये माननीय सदस्य क्यों पधारे जब नागौर जिले के माननीय सदस्य हाजी उस्मान और श्रीमती गोरी पूनिया मौजूद हैं तो उनको ले जा सकते थे। वे तो गांव के लोगों को भी जानते हैं। उनको इसलिए ले गये कि तीन हजार आदमियों को बताये कि ये गांव के लोग हैं। उसी गांव के लोग है। हमारे मकराना बैंक के मैनेजर आशारामजी चौधरी वहां मौजूद थे। उनको छोटी खाटू लेकर आये। जुगलकिशोर जी अग्रवाल जो एम. पी. के लिये खड़े हुए थे वे थे। चैनारामजी थे। और सरपंच भी थे। प्रत्यक्ष उनको देखा और हू हू किया और वापिस वे मोटर में बैठ कर चले गये। कुछ रिमार्क पास किये वे ही लोग थे। क्या यह गांव का वातावरण था? डूंगाराम जी, वे भी वहां थे यही क्या गांव का वातावरण था। इस तरह की जो कार्यवाही हुई उसके लिए हमारे माननीय मथुरादास जी माथुर को में धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी तो यह आदत सी पड़ गई है। किसी प्रकार गुन्डागर्दी को पनपाया जाय। यही कारण है कि नागौर में गुण्डागर्दी चरम सीमा पर पहुँची। पुलिस कुछ कर नहीं सकी। एक छोटी बच्ची थी उसको हमने पूछा। पत्रकार भी साथ थे। पूछा कि इस मकान में कौन रहता है? उसने मारवाड़ी में कहा मैनेठा नहीं। मैंने कहा कि पड़ोस में तू रहती है। मालूम तो होना चाहिये। चुपके से उसने कहा। यह मकान खाली पड़ा है। छोटी बच्ची भी इस तरह से आतंकित थी तो सारा गांव ही इस प्रकार से आतंकित था। सारे गांव में हम फिरे हैं। गांव में जाकर पूछा है। वह बताते नहीं। किसी को पूछा, वह कुछ बताता नहीं। एक माली जाति की औरत मिली। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहने लगी कि यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं नहीं कुछ कह सकती। एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने कहा कि कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। एक व्यक्ति ने कहा कि जब तक घर न पंहुच जायं हमें तसल्ली नही होती है कि वह पहुँच गया है या नहीं इस तरह का आतंक छाया हुआ है। स्थान स्थान पर लोगों को इकट्ठा करना और दूसरे गांवों के हजारों व्यक्ति जाकर लोगों पर जुल्म ढहाना यह कहां तक सही बात है

(श्री विजयसिंह)
किसी ने चोरी की है तो उसको उसका दण्ड मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे उदाहरण है कि श्री चैनाराम जी के खिलाफ थाने में कोई रिपोर्ट लेकर जाय तो थाने में उसको लेने के लिये तैयार नहीं बल्कि क्योंकि उसके साथ बाद में जाकर मारपीट की जाती है। पुलिस में भी इस प्रकार का भय छाया हुआ है। मुख्य मंत्री जी सारे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं झूंठ नहीं बोलेंगे, छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। खुद अपने बयान में कहेंगे कि कितना आतंक हैं। किस प्रकार का व्यवहार था। किस प्रकार की गुण्डागर्दी और नारेबाजे हो रही थी और डीडवाना में वो का वो। चीन का अटैक हुआ हमारे बहादुर जवान चीन के द्वारा पकड़े गये। चीन क्या प्रचार करता था उनके द्वारा। उनसे पूछता, तुम्हारा गांव, फलां फलां जगह के रहने वाले हो, परिवार के ये ये लोग हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : किस प्रकार गिरोह में रख कर किया जाता है। क्या वे बहादुर उनकी फौज में थे? नहीं। भगवान न करे ऐसा कि किसी के गिरोह में पडकर ऐसा कहें, जब वे आये यहां तो बता रहे थे। मथुरादासजी को जोधपुर में घेर लिया तो कहा कि राजमाता को वोट दो। भय खाकर के ऐसी बात कहनी ही पडती है। वे सरपंच चैनारामजी की पार्टी के व्यक्ति हैं और उनके कहने के अनुसार हमारे वित्त मंत्रीजी मथुरादासजी माथुर डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली इन्वोल्व्ड हैं। ऐसे लोगों को ये संरक्षण देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तरफदारी करना चाहते हैं इसलिये वे यहां से गये कि कहीं ऐसा न हो कि मुख्य मंत्रीजी आश्वासन देकर आ जायं। मथुरादासजी वहां गये। खाने का प्रबन्ध भी उनकी ओर से था। सारा ओर्गेनाइजेशन किसने किया—यह हमारे रामानन्दजी ने बताया।

श्री उपाध्यक्ष : आपने वहां खाना खाया या नहीं?

श्री विजयसिंह : मैं ऐसा हराम का खाना खाना उचित नहीं समझता। मैंने खाना नहीं खाया और मैं तो वहां से भूखा ही आ गया।

श्री शंकरलाल : इसका मतलब यह है कि भैरोंसिहजी ने वहां खाना खाया वह हराम का खाया?

श्री विजयसिंह : आप तो जैतारण के हो। आपको पता नहीं था। नागौर के रहने वाले होते तो पता लगता।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको पता नहीं है कि हराम का खाना कौन खाता है?

श्री विजयसिंह : वह खाते हैं जो पहले गुनाह करे।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। इस पर चर्चा समाप्त हो गयी है और कर दी गई है।

श्री लादूराम मुलानिया : पांच मिनिट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकतर माननीय सदस्य ने बात कह दी है। चैनाराम के विषय में अब अधिक कहना अधिक अच्छा नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति के बारे में सदन अपना

(श्री उपाध्यक्ष)

समय इस प्रकार न बिताये कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनती हो या उसकी प्रतिष्ठा खराब होती हो-सदन के लिए अच्छा नहीं है कि व्यक्ति विशेष के लिए इतना समय व्यतीत किया जाय ।

श्री गोरधन सोनी : व्यवस्था का प्रश्न है । व्यक्ति का महत्व नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : जो बातें सामने आई हैं उन्हीं को दोहराना है तो कोई बात नहीं । जुर्म हुआ है और जिसने भी किया है तो कानूनी कार्यवाही होगी । नये सुझाव हों तो आप कहें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उस क्षेत्र के रहने वाले हैं इसको समय दिया जाय ।

श्री मदनसिंह : जो डिस्कशन हुआ है· · ·

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जन संघ के नेता ने कहा कि सी. बी. आई. से जांच कराई जाय उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय तैयार हैं क्या ?

श्री मदनसिंह : सदस्य गये और अपने ढंग से गये । दो तीन माननीय सदस्यों ने वक्तव्य दिये । जैसे रामनारायणजी ने देखकर वक्तव्य दियाउसमें और मुख्य मंत्रीजी ने दिया उसमें और भैरोंसिंहजी ने दिया वक्तव्य देखकर के उसमें डिफरेन्स और ओपिनियन हैं । भैरोंसिंहजी और मुख्य मंत्रीजी तो साथ थे इसलिये उनका वर्णन इतना जरूर सदन के लोगों को मालूम हुआ है कि जो मुख्य मंत्री जी ने फरमाया भैरोंसिंह जी, सतीश जी और प्रोफेसर केदार साहब ने फरमाया उनके वक्तव्य और भावों से उनके भाव विपरीत हैं ।

इससे यह मालूम होता है कि दो वर्णन हैं । पर एक मामला यह साफ मालूम होता है कि वहां पुलिस ठीक नहीं है । इस बारे में सभी करीब करीब एक विचार के हैं ।

इसलिये वहां की पुलिस से अगर इस सारे मामले की जांच कराई जावेगी तो लाभ नहीं होगा, असलियत सामने नहीं आ पावेगी । इसलिये सी.बी. आई. वालों से इसकी जांच कराई जानी चाहिये । सी. बी. आई वालों पर बोझा तो बहुत पड़ रहा है । हर कार्यवाही सी.बी. आई. से हो रही है, ऐसा न हो जावे, मांग हो रही है···

एक माननीय सदस्य : कहां हो रही है?

श्री मदनसिंह : इसलिये मैं समझता हूं कि एक चीज साफ है कि पुलिस वहां के अपराधियों से या तो मिली हुई है, या फिर उसकी उनके खिलाफ बोलने की या कुछ करने की हिम्मत नहीं है । मुख्य मंत्रीजी एक बार इस बात का आश्वासन दें कि आपके और उनके दोनों के वक्तव्यों में जो डिफरेन्स है उसको देखते हुए सी.बी. आई. को यह मामला सौंप दिया जावेगा ।

दो मुद्दे इसमें साफ हैं । एक तो बावरियों को पीटा गया और उनके घर जलाये गये । दूसरा······

श्री उपाध्यक्ष : आपने शुरू से ही कहना प्रारम्भ कर दिया । मैं तो सोनीजी को टाइम दे रहा था ।

श्री मदनसिंह : सोनीजी उस क्षेत्र के हैं और अगर उनके ही पक्ष की बात कही जावे तो उनको क्यों ऐतराज होगा। (सोनीजी के बोलने के लिये खड़े होने पर) सोनीजी आप विराज जावें। आपकी ही बात मैं कह रहा हूँ जो शायद आप नहीं कह पावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पुनरावृत्ति नहीं।

श्री मदनसिंह : तो एक तरफ सरकार एक्शन नहीं ले रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग कानून हाथ में लेकर एक्शन ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन दोषी है यह पता नहीं लग सकता। एक बात निश्चित है कि गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। अब आप यह कहते है कि एक आदमी के कारण वहां "आतंक फैला हुआ है और लोग सही बात कहने से डरते हैं"। आपके पास डिफेन्स एक्ट मौजूद है। आपकी पुलिस अगर यह कहती है कि चेनाराम जाट को हम कैसे पकड़ सकते हैं, हमारे पास सबूत नहीं हैं कैसे उसे पकड़े तो आप उसे डिटेन्शन एक्ट में ले सकते हैं। वह फिर कानून कहां काम आवेगा। चेनाराम जी अगर डिटेन्शन एक्ट में आते हैं तो यह उनकी शान की बात होगी। बड़े बड़े आदमी आते हैं इसमें। आप उनको सभी तरह से वहां आराम से रक्खें। अच्छा खाना खिलावें, अच्छा पिलावें। फिर एन्क्वायरी करें यह कहना ठीक नहीं है कि बावरी चोरी करते हैं, मीणा चोरी करते हैं इसलिये गांव साथ नहीं देता। पर कानून हाथ में लेना और आंतकित करना ठीक नहीं है। इसी तरह से मीणों को दौसा में पीटा गया। पुलिस ने वहां भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो दो–चार ऐसे आदमियों को डिटेन्शन में आप लेकर एन्क्वायरी करें। सरकार को डरना नहीं चाहिये। ला और आर्डर को कायम रखना है और कानून को समाज विरोधी तत्वों के हाथ में जाने से रोकना है तो सरकार को तख्ती से काम करना होगा। यह तो यहां का मामला भी दबा हुआ ही था। वह तो भैरोंसिंह जो वहां गये और उन्होंने सारे विवरण का संकलन किया और सदन के सामने मामला आया। नहीं तो यह भी दौसा के मीणों के मामले की तरह दबा पड़ा रहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी।

श्री गोरधन सोनी (मेडता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन को अब अच्छी तरह विदित हो गया होगा कि नागौर के इलाके में इन समाजद्रोही तत्वों का कितना आतंक है और वहां बदनाम प्रधान चेनाराम से लोग कितने भयभीत हैं। एक भैरोंसिहजी वहां गये और उनके कारण से इस आतंक की एक नई कहानी सदन के सामने आई।

इसके बाद एक कमेटी अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में हुई मुख्य मन्त्रीजी और विरोधी दल के नेताओं के बीच जिसमें यह निर्णय लिया गया कि तथ्यों से अवगत हुआ जाय।

जिस उद्देश्य को लेकर बात कही गई उसमें वे अपराधी तो रह गये। जिस वक्त हम खाटू पहुंचे। काफी आदमियों का मजमा लगा हुआ था। बड़ा आतंक सा फैला हुआ था। जब उतरे तो एक जिम्मेदार आदमी हमें मिला। रामानन्दजी ने उसका नाम भी लिया। एम. पी. का जिसने चुनाव भी लड़ा था। उससे मालूम

(श्री गोरधन सोनी)
हुआ कि एक भैंस चोरी हुई इसलिये यह सब घटना हुई।

सुनकर दुःख हुआ। यह भी कहा गया कि आप लोग आये हैं और अगर उन चोरों की तरफदारी करेंगे भैंस चुराने वाले की तरफदारी करेंगे तो हम सुखाड़ियाजी को और आपको भी देख लेंगे। मुख्यमन्त्री आये हैं तो उनको भी देख लेंगे। इतना साहस एक आदमी कर सकता है यह जानकर हमें दुःख हुआ।

हमारे जाने के दस मिनिट बाद मुख्यमन्त्रीजी आये। वित्त मन्त्रीजी भी साथ थे। उनके इशारे पर भीड़ जो वहां खड़ी थी चली गई। इसके बाद मौका देखा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कहा गया मकान पंचायत ने तुड़वा दिये तो खैर इसकी भी जांच हो जावेगी। पर जब यह कहा गया कि औरतों को जिनको पीटा गया वे औरतें अच्छी नहीं थीं। इस देश में औरतों की हम इज्जत करते हैं। इसलिये इस तरह की बातें करना हमारे देश की परम्परा नहीं है। तो औरतों पर आदमी हाथ लावे और इसका समर्थन सदन के सदस्य करें कि औरतें वे अच्छी नहीं थी यह कह कर करें यह समझ में आने वाली बात नहीं है। औरतों के पीटने जैसे जघन्य अपराध का समर्थन विधायक करें इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, खाटू के डाक बंगले पर आये। मुख्य मन्त्रीजी थे, हम सभी थे। चैनारामजी भी थे। वहां की रंगत तो ऐसी थी कि मानो हम सब चैनारामजी के महमान हों और वे हमारे मेजमान हों। वहां सभी लोग जो अगुआ थे उनके ही आदमी थे। खाना पीना हुआ। इसके बाद मुख्यमन्त्री बैठे भैंरोंसिहजी थे अन्य सदस्य भी थे और मैं भी था। वहां जो बातें हुई उनको सुनकर ऐसा लगता था कि इस नागौर के क्षेत्र में और किसी का राज नहीं है केवल चैनारामजी का राज है। पहले तो कमजोर कर दिया मुख्यमन्त्रीजी को यह कह कर कि आपको हमने वोट दिये पर फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा होता हम भैरोंसिहजी को वोट देते। सुनवाई तो होती। फिर एक और नई बात पैदा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि भैंरोंसिहजी को हम यहां से अनकन्टेस्टेड हरावेंगे। अनकन्टेस्टेड जीतने की बात तो सुनी है, दुनिया जानती है, पर यह अनकन्टेस्टेड हराना कहां की बात है।

विपक्ष के लोगों को मुख्यमन्त्री ने बुलाया। तो उन्होंने यह कहा यहां और लोग हैं ही नहीं। सब वहीं हैं। पूछा गया उनको तो कहने लगे कि हमारे तो ऐसा चलता है कि जो चोरी आदि के इस तरह के कैस होते हैं तो हम स्वयं ही इस तरह से निर्णय करते हैं। पुलिस में इसकी दर्खास्त नहीं करते। वित्त मन्त्रीजी ने भी तपाक् से उनका समर्थन करते हुए कहा कि यहां तो ऐसा ही चलता है और बस किस लिये ? इसका कारण दिया कि पुलिस निष्क्रिय है। एक्शन नहीं लेती। इसलिये उनको कोई दर्खास्त नहीं दी जाती। तो यह एक अजीब बात थी कि उनकी बात का समर्थन वित्त मन्त्री ने किया। पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते, और कानून अपने हाथ

(श्री गोरधन सोनी)

में लेते हैं और ऐसे आदमियों को प्रोत्साहन मिलता है वित्तमन्त्री सरीखे जिम्मेदार व्यक्ति से। इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। पर इस बात पर भी मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ नहीं कहा।

इस पर उपाध्यक्षजी वहां की क्या परिस्थिति है यह स्वयं सभी समझ जावेंगे। ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी लड़ाई दंगा झगड़ा चोरी आदि होती है तो कोई भी चूंदड़ी का साफा बांध कर कर लेता है और नाम चैनारामजी का ले लेते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं जिस दंगे का नागौर जिले में आतंक है वैसा आतंक अन्यत्र नहीं है। एक पक्ष के लोग इकट्ठे हुये तो दूसरे पक्ष के लोगों को आने नहीं दिया—ऐसी व्यवस्था वहां थी। पहले से सूचना दे दी मुख्यमन्त्री जी आ रहे हैं तो उपाध्यक्ष महोदय हम लोगों का समय तो वैसे ही नष्ट हो गया। अगर वहां दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया जाता तो हम समझते वास्तविक क्या स्थिति है, कौन अपराधी है, कौन नहीं है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बिल्कुल निश्चित है यह मामला सही है और इसको दबाने के लिये वहां हजूम इकट्ठा कर लिया गया और इतना आंतक फैलाया गया कि कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी के वहां मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। केवल माननीय मुख्य मंत्री जी रहे या चेनाराम मेजबान रहे। किसकी ताकत है कि चैनाराम के खिलाफ कुछ कहे। उपाध्यक्ष महोदय जैसा आपने कहा, मैं अधिक समय नहीं लूंगा—इतना अत्याचार नागौर जिले में हो रहा है। कुछ सजगता आई माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि मैं खुद जाकर देखूंगा और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां इतना आतंक फैलाया गया कि दूसरे पक्ष के लोग वहां जा नहीं सके। एक तरफ की बात सुनकर आये अब मुख्य मंत्री जी बतायेंगे हमारे समय का क्या सदुपयोग हुआ। नागौर में पुलिस में रिपोर्ट नहीं होती है। वहां तो चैना राम के यहां ही रिपोर्ट दर्ज होती है। नागौर में वही न्याय और अन्याय करता है औरतों को पीटा गया। मकानों को गिरा दिया गया—जला दिये गये इससे बड़ा दुख होता है उपाध्यक्ष महोदय। मैं आशा करता हूं सरकार इसे पूरी समझदारी से और पूरी जिम्मेदारी से लेगी और सही ढंग से जो अपराधी है उनको दण्ड देगी—इस बात का मुझे विश्वास है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा जहां चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है........

श्री उपाध्यक्ष आप कह चुके हैं।

श्री गोरधन सोनी : इसलिये मैं कहना चाहूंगा वहां सी. बी. आई. द्वारा जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री डूंगाराम राजोरिया)
) उपाध्यक्ष
श्री लादूराम सुलानिया) महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : पांच पांच मिनिट दोनों को।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : जो समय बता दीजिये उतना ही...

श्री उपाध्यक्ष : केवल पांच मिनिट।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय जो स्थगन प्रस्ताव परसों से सदन में लेने की चर्चा चल रही है और यह कहा गया कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में न लेकर किसी और रूप में ले किन्तु विरोधी सदस्यों की ओर से बहुत कहने के बावजूद यह प्रस्ताव लिया गया है। आज इस पर चर्चा चल रही है। मुझे बड़ा दुःख है इस बात का कि इस तरह की घटना होने के बाद भी ऐसे स्थगन प्रस्तावों को सदन में · ·

श्री उपाध्यक्ष : यह स्वीकार कर लिया गया है। इसी में दो घन्टे लग जायेंगे आपको कहने में · ·

श्री डूंगाराम राजोरिया जल्दी समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय ऐसे गरीब तबके के साथ अन्याय हो जाय। एक नहीं अनेक तरह से उन पर अत्याचार हो जाय और सदन में हमारी बात सुनने का अधिकार नहीं मिले तो मैं समझता हूं यह उनके हित में भी नहीं है। शासन को भी इस बात में ध्यान देना चाहिए अन्यथा गरीब जो पिछड़ा हुआ है उसके साथ न्याय नहीं होगा। उधर से राज्य मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया और इधर से जो भी माननीय सदस्य घटना देखकर आये हैं और जो उन्होंने बताया है इन दोनों घटनाओं में बड़ा अन्तर है। राज्य सरकार अभी से यह सोच रही है और कोशिश कर रही है केस अदालत में जाने से पहले ही लीपापोती हो जाय। यह राज्य मंत्री के वक्तव्य से साफ मालूम होता है। जो कांग्रेस के माननीय सदस्य बोले हैं वह सिवाय वकालत करने के और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कहा है। कोई तथ्य नहीं रखे है···

श्री उपाध्यक्ष : झूंठ शब्द को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : झूंठ बोलने का इन्होंने ठेका लिया है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय झूंठ और असत्य में क्या फर्क है ?

श्री उपाध्यक्ष : झूंठ शब्द का प्रयोग अन-पार्लियामेंटरी है और असत्य शब्द कम पार्लियामेंटरी है इसलिये कम पार्लियामेंटरी शब्द का प्रयोग कर लेना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : बड़ा फर्क है बोली का।

श्री डूंगाराम राजोरिया : तो मैं यह कहना चाहता था दोनों पक्षों की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जो बातें कही गई हैं उन दोनों में बड़ा असत्य है जो जैतारण से वकील साहब आये है उन्होने सारी बातें कही वह मन गढ़न्त हैं। जैसे अदालत में पैरवी करने जाते हैं इसी प्रकार इन्होंने पैरवी की बातें कही है। मैं शंकर लाल जी से यह निवेदन करना चाहता हूं जिस गांव में पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय किया उस गांव के केवल दो आदमियों पर ही चोरी का इल्जाम लगाया गया था वह भी झूंठा। परन्तु सारे हरिजन तबके के साथ अन्याय किया गया जो हरिजनों में अलग अलग जाति के लोग हैं।

श्री शंकरलाल : चोरी का महत्व····

(दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

आपको कुछ कहना है इसलिये कहना है, यह दूसरी बात है · · · ·

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं यह कहता हूं चोरों को दण्ड अवश्य मिलना चाहिये लेकिन उसका तरीका है, कानून है। कानून को शायद आप भूल रहे हैं चोरी कराना भुलाना चाहते है, किसी तरह चोरी करना छुड़ाना चाहते हैं तो यह नहीं कि हम उसको मार दें, सफाया कर दें। सरकार की यह नीति नहीं है कि उसको जान से मार दिया जाय। यह आपके कानून में कहीं नहीं लिखा है। चोरी करने वाले को अच्छा सबक सिखाना चाहिये और उसकी चोरी की आदत छुड़ानी चाहिये। मैं तो स्वयं इस पक्ष में हूं कि चोर को दण्ड मिलना चाहिए यह तो आपने कही है इसलिए मैंने आपको बताया है एक बात यह भी कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री ने जो बात कही, वह सही कही। इन्होंने भी दो तीन बातें कही हैं मकान टूटे पड़े हैं, कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। यह साफ बात है उन लोगों ने लगातार अत्याचार किया है जिस व्यक्ति ने भी इस तरह का अत्याचार किया है वह बहुत ही गलत किया है। दूसरी बात आपने कही दो व्यक्तियों ने चोरी की है। दो व्यक्ति ऐसे हैं जो गांव में चोरी करते हैं फिर आपने चार औरतों को, 6 औरतों की पिटाई की, उनको मारा पीटा गया है। मैं पूछना चाहता हूं जब दो व्यक्तियों ने चोरी की तो 6 पर यह काण्ड क्यों किया गया, 6 के मकान क्यों गिराये गये इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो भी काम किया गया है कोई ईर्ष्या की वजह से किया गया है या उन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिये। दूसरी बात इस प्रस्ताव में है कि रेगरों की पिटाई की गई और उनसे 1600 रुपये वसूल किये गये जबकि चोरी बावरियों ने की और रुपये वसूल किये गये रेगरों से एक व्यक्ति को जलाने की कोशिश की, औरतों के जेवर छीन लिए गए एक काम ही नहीं किया उनको बुरी तरह से मारा। मकान तोड़ दिए गए यह डकैती से भी बड़ा बुरा काण्ड है। सारा जो भी काम किया है यह सब मानवता के बाहर काम किया है। ऐसी बातें सरकार के होते होने लगीं तो बावरियों और रेगरों का रहना मुश्किल हो जायगा। तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इस काण्ड की लीपापोती न करें। जब कि आज आपकी 23-24 साल से सरकार चल रही हैं और आज भी हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य काफी हो गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय मैं दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट आपको दिये गये थे। अब दो दो मिनिट करके आप ...

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय वित्त मंत्री जी ने कहा पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है। स्थानीय पुलिस ठीक नहीं है लेकिन पहले, पुलिस को तो वे भी चलाते थे। पुलिस डिपार्टमेंट का महकमा काफी दिनों तक उनके पास था।

राजस्थान के अन्दर बड़ी अराजकता है कि चोरी एक व्यक्ति करे और दण्ड पूरी हरिजन जाति को मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था कि सरकार की ओर से अव्यवस्था है और दूसरी तरफ जनता का जो कि पिछड़ा हुआ तबका है

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

उसको पीटना और आतंक फैलाना उचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं की और उनको बुलाकर पीटने का मतलब यही था कि हो सकता है कि उन्होंने वोट दूसरी तरफ डाल दिये हों और उनको डराने के लिए सारे राजस्थान में इस तरह का आतंक फैलाया हो तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये। जनतंत्र में यह बातें बिल्कुल मानवता के बाहर की बातें हैं। इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि इस केस को अदालत में देने से कोई लाभ नहीं होगा और इसको सेन्टर को ही सुपुर्द किया जाये तभी कुछ हो सकता है। अभी आपकी अदालतें तो लीपा-पोती के सिवाय और दूसरी बात नहीं कर सकती हैं और जैसा कि हमारे राज्य मंत्री का वक्तव्य है उसमें कोई दम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानिया 5 मिनिट।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : मैं ध्यान रखूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में काफी विचार सुनने के बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा···

श्री उपाध्यक्ष : यह कौन से गांव की घटना है यह तो मालूम है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह छोटी खाटू की घटना है मेरे पास प्रस्ताव है आप चाहें तो पढ़ दूं। मैं समाचार पत्र भी पढ़ता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : आप अब भाषण शुरू कर दीजिए।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई यह सुनकर कि और कोई जिन्दी भैंस को बेचे तो उसकी कीमत एक हजार या आठ सौ रुपये होगी और काट-कर कोई खा जाये उससे वसूली की गयी तो वह 2600 रुपये की की गयी। 1000 रुपया तो बावरियों से लिया गया और 1600 रुपये रैगरों से। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मरी हुई भैंस 2600 रुपये में बिकी और अभी वह और भी बिकेगी। मैं यह कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि जितने लोगों की पिटाई हुई, मकान तोड़े गये और उनके साथ में और भी तरह का अन्याय हुआ, जुल्म हुआ इसका हमें दुःख नहीं है। इसका दुःख है तो सरकार को है। हम तो केवल इत्तला देने वाले हैं, हम तो केवल बताना चाहते हैं कि यह अन्याय हो रहा है उसको आप रोको। रोकना हमारा काम नहीं। रुकवाने के लिए प्रार्थना करना हमारा काम है। केवल सरकार को मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है इसको रोकें। अब नहीं रोको तो मत रोको। हम तो उसको रोक नहीं सकते। पुलिस को हम हुक्म दे नहीं सकते क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है। हुक्म देने वाली तो सरकार है और हम केवल सरकार को अर्ज कर सकते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह अर्ज हम आज 23-24 वर्ष से करते आ रहे हैं और पिछड़े हुए लोग, हरिजन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग जो गरीब थे जो कि देशी रियासतों

(श्री लादूराम सुलानिया)

के जमाने से जुल्म सहते आये हैं लेकिन हमें आशा नहीं थी कि देश स्वतन्त्र होने के बाद और चुने हुए लोगों का राज्य आने के बाद और यह कोई दो-चार वर्ष की बात नहीं है यह तो 23-24 वर्ष के अन्दर भी अगर हम यह इन्तजाम नहीं कर पाये तो फिर हम क्या कर पायेंगे ? मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इन बावरियों के साथ ही इस प्रकार की घटना नहीं होती है बल्कि हमारे यहां राजस्थान में ऐसे मसले बीसियों जगह हो सकते हैं जहां कत्ल होते हैं, पट्टियों के नीचे दबाकर लोगों को मारा गया है तलवारों और फर्सों से मारा गया है–मुख्य मन्त्री जी ने क्या किया उनके बारे में ? मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछड़े हुए लोगों के लिए राजस्थान में किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता है। उनके ऊपर रात दिन अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं। उनके ऊपर अत्याचार तो होते ही हैं लेकिन उन अत्याचारों की जांच भी नहीं होती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आज भी इसी मसले को लेकर मुख्य मन्त्रीजी वहां गये थे, मैं तो नहीं गया लेकिन मैं यहां पर बैठा बैठा कह सकता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी वहां पर मुख्य मंत्री बन कर नहीं जाते। वह तो रात को जाते भेष बदल कर और फिर जांच करते कि क्या घटना हुई। तब तो आप उनकी रक्षा कर सकते थे और किसी तरह की जांच करते हैं जैसे पहले समय में राजा महाराजा किसी बात की जांच करने के लिए भेष बदल कर जाते थे। यदि आप इस तरह से जाते तो आपकी प्रिय जनता के ऊपर क्या अत्याचार हुए आपको मालूम हो जाता · · ·

श्री मदनसिंह : यह सुझाव पहले देते। रात में पिटाई होती। अच्छा हुआ जो मुख्य मंत्रीजी चौड़े में गये।

श्री लादूराम सुलानिया : तब उनको पता होता कि असलियत क्या है और इन लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ है। अभी हमारे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उनकी पैरवी की। बहुत खुशी की बात है पैरवी करें उसमें क्या दिक्कत है। जांच भी नहीं करें हम आपकी खुशामद नहीं करते। हम आपको जांच के लिए कहेंगे आप करें या नहीं करें लेकिन यह कलंक का टीका है तो किस के ललाट पर है। हमारे ललाट पर तो नहीं है। आज राजस्थान की दो करोड़ जनता आपके ऊपर आंख लगाये बैठी है। हमारे यहां राजस्थान में 50-60 लाख लोग पिछड़े हुए हैं जो आपके ऊपर नजर लगाये हुए हैं और आपके ऊपर आशा रखते हैं कि आप उनको संरक्षण देंगे लेकिन आप अत्याचार करवाते हैं। करता कोई नहीं, करवाते हैं। अभी लोग कह रहे थे कि पुलिस निकम्मी है, पुलिस अत्याचार करती है, पुलिस जुल्म करती है और उसको हटाया जाये। क्यों हटाया जाये ? पुलिस क्या आतंक करती है ? पुलिस के सिपाही को सौ रुपट्टी मिलती है उससे आप चाहें तो गोलियां चलवा लो, चला देंगे। थानेदार को आप क्या देते हैं 200 रुपये देते हैं : आप तो उसको रिवाल्वर लेकर भेजते हैं। और आप उसको कहेंगे गोली चला दो तो वह चला देगा। आप कहें तो मैं थानेदार से कहलवा दूं और आप कहें तो मैं डी. एस. पी. से कहलवा दूं वह कह देगा कि हम तो नौकर हैं। वह क्या करें बेचारे ? वह तो नौकर हैं जो कि राज्य के खजाने से पैसा लेते हैं।

Page No 88

(श्री लादूराम मुलानिया)

हम केवल इतने से लोग इन्डिपेन्डेन्ट हैं और मैं निवेदन करूं कि हम यहां स्वतन्त्रता से बोल लेते हैं लेकिन बाहर जायें तो हमें डर लगता है। बाहर कोई भी थानेदार नाराज हो जाय तो वह किसी भी चीज में हमें उलझा सकता है। हम भी डरते हैं। यह झूठ बात नहीं है, सच है। आप इधर आ जाइये फिर आप देखें। आप पर भी दसियों मुकदमे लग जायेंगे। देखिये आप इधर आकर।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं आपके आदेश को मान लूंगा।...

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम क्या करें? हम केवल अर्ज ही कर सकते हैं। मुख्य मन्त्रीजी के ऊपर तो कोई है ही नहीं जिसको कहें दिल्ली जायं? दिल्ली जाने आने में टेम पूरा हो जाय और वे कहें तो इनको कहें। मैं एक-दो उदाहरण बताता हूं। कोई हरिजन दिल्ली जाता है तो प्रधान मन्त्रीजी मुख्य मन्त्री जी के नाम लिखते हैं कि इनको जमीन तुरन्त दी जाय। "मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मन्त्री, राजस्थान, इन प्रार्थियों को जमीन तुरन्त दी जाय, और आज तक जमीन नहीं दी गई। आप कहें तो पत्र पेश करूं। हरिजनों के साथ अन्याय होता है तो कहां जाकर कहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब संजीवैया के पास भेज दें।

श्री लादूराम मुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप टेम दे दें तो सदन में कह दें और वह प्रोसीडिंग में आ जाय। इधर 40 मंत्रियों की फौज बढ़ाकर काम करते हैं लेकिन प्रश्नोत्तरकाल में प्रश्न पूछते हैं तो पता नहीं, और बजट में क्या था तो उसका पता नहीं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि स्थगन-प्रस्ताव की जो घटनाएं है उसकी जांच होना चाहिये, लोकल पुलिस से करायें चाहे सी. बी. आई. से करायें लेकिन जांच जरूर करायें कि मुलजिम कौनसा है उसको सजा दें। मुल्जिम कोई भी नहीं हो यह तो नहीं है। मुल्जिम है तो सही कोई न कोई भूकम्प तो आया नहीं कि पट्टियां टूटकर गिर गई। गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि मेरा हुक्म कोई नहीं मानते हैं। आपके कहने से थोड़े ही मान लेंगे। हम कहते हैं कि मेरा आप मत मानो। मरा है इसकी जांच होना चाहिये चाहे आपके द्वारा होती हो। यानि आप ईमानदारी से जांच करेंगे तो कोई सदस्य नहीं बोलेगा और खट से बैठ जायगा।

मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि इस टेम फसल कट रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की फसलें काट कर ले जा रहे हैं और मुकद्मे दर्ज नहीं हो रहे हैं। हम कहते हैं कि पुलिस दर्ज नहीं करती है। पुलिस तो तैयार है। पुलिस थानेदार को 100-200 रु. दो और मुकद्मा दर्ज हो जायगा। मुकद्मा दर्ज होने के बाद मिनिस्टर का टेलिफोन गया तो कार्यवाही ठप्प हो जायगी। हमें अफसोस तो इस बात पर है मंत्रीमण्डल के कई सदस्यों को मुख्यमंत्री महोदय इतनी लिपट (लिफ्ट) दे रहे हैं (हंसी) कि आज ही मैंने एक पत्र पढ़ा है...

एक माननीय सदस्य : लिपट न देकर रेपट दें।

श्री लादूराम सुलानिया : कि चार मंत्रियों को हटा रहे हैं। इन चार के हटाने से 20 हजार रुपये महीने का खर्चा कम हो गया। मैं कहता हूं कि चार क्यों कम करें। इसके आगे दो और लगा दें और 24 करें। इसके बाद खर्चा भी कम होगा और आपका कहना मानेंगे और आपकी खुशामद करेंगे और आपसे कहेंगे कि हमें मत हटाओ आप कहेंगे, जो करेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आपके हुक्म पर चलेंगे। क्यों रखते हैं ? शिकायतों की जरूरत है, कोई सलाह लेने की जरूरत हो तो हम लोग बैठे हैं। हम से सलाह ली जाय। हम सलाह देंगे। हम को भी 500 रुपये मिलते हैं। हमें भी जनता की गाढ़ी कमाई में से हिस्सा मिलता है। (समय–समाप्ति सूचक घंटी) 200 रुपये देंगे और गांव गांव में घूम घूमकर सारी बातें लायेंगे। 2!) रु0 देते हैं तो हम से सलाह क्यों नहीं लेते। इसलिये मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि यह एक ऐसा किस्सा है कि इसको आप सीरियसली लें और सी0 बी0 आई0 के सुपुर्द कर दें कम से कम जैसा कि किशनगढ़ दरबार की हत्या का मामला सी0 बी0 आई0 के सुपुर्द कर दिया। यहां तो पता है कि गोली किस ने चलाई लेकिन वहां तो अब तक पता नहीं लगा कि गोली चलाने वाला कौन था। मुकदमा दर्ज हो गया···

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह राजा था इसलिए सी0बी0आई0 को दिया···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बातें न करें। अब समाप्त कर दें।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अन्दर भूल नहीं बरती जाय, और जो आगे होने वाला आतंक गांव गांव में हो रहा है तो आप अपनी तरफ से स्पेशल आदेश जारी करें कि जहां पर हरिजनों पर अत्याचार हो तो तुरन्त केसेज रजिस्टर किये जावें और कार्यवाही की जाय। यह आश्वासन दें···

श्री मदनसिंह : इनको हरिजन सुप्रिन्टेन्डेन्ट हो वह सुने।

श्री लादूराम सुलानियां : तभी वे जिन्दा रह सकते हैं वर्ना इस तरह के आतंक के सामने वे जिन्दा रहने वाले नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कर दें।

श्री लादूराम सुलानिया : एक बात और कह दूं····

श्री उपाध्यक्ष : आपने सारी बातें कह दीं।

श्री लादूराम सुलानिया : एक बात और कहना चाहता हूं आपके द्वारा। आज जितने लोग सदन में बोले हैं विरोधी दल के या ट्रेजरी बैन्चेज के तो यह कहा कि भैंस चोरी गई तो चोरी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मुख्य चर्चा पर आयें। आप कह चुके। आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : आज तक चोरी नहीं हो हो···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : चोरियां रुकवाना हो तो उनको धन्धा दें। किसी का भी धन्धा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : कुछ भी नहीं दें तो उनको रोटी कपड़ा तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं जोरदार शब्दों में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी की ओर से आश्वासन दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है कृपया विराजें आप। चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से तो चर्चा का अन्त नहीं हो सकता है।

श्री आलमअलीखां (फतेहपुर): चर्चा की गड़बड़ गड़बड़ नहीं···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री आलमअलीखां: माननीय उपाध्यक्ष··

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं दिया जा सकता, माननीय सदस्य।

श्री आलमअलीखां : माननीय उपाध्यक्ष, दो मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री आलमअलीखां : माननीय उपाध्यक्ष, दो मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय नहीं दिया जा सकता। मजबूरी है। कई महत्वपूर्ण कार्य हैं।

श्री आलमअलीखां : माननीय उपाध्यक्ष आपकी तरफ से तो बात हो गई···

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री आलमअलीखां : +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज अंकित न हो।

श्री आलमअलीखां : +++

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हों।

श्री आलमअलीखां : +++

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री आलमअलीखां : +++

श्री उपाध्यक्ष : आपका व्यवहार आपत्तिजनक है।

विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य : दो मिनट बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे एतराज नहीं, परन्तु समय काफी हो गया है। वही की वही बात है। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज।

श्री आलमअलीखां: माननीय उपाध्यक्ष,··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आदेश देता हूं सार्जेन्ट को।

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 91

श्री डूंगाराम राजोरिया: इतनी देर में तो खत्म हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें प्रश्न अवहेलना का है। वे निरन्तर अवलेलना कर रहे हैं।

श्री आलमअलीखां : + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं अगला कदम उठाता हूं। कृपया नियमों का अनुपालन करें।

श्री आलमअलीखां : मैं खुद ही छोड़र जाऊं, मैं कान्यां रहनो चाहूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको नाम से सम्बोधित करता हूं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : माननीय सदस्य का पहला अवसर है।

श्री आलमअली खां : मैं नहीं रहणों चाहूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। दो मिनट का एतराज नहीं है। समय हो गया उसके बाद में दो माननीय सदस्य 5-5 मिनट कह कर खड़े हो गये लेकिन 5 मिनट का अन्त होता नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कोई तो आधे घन्टे तक बोलता रहे और कोई दो मिनट भी बोलना चाहे तो आप उस पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं। इसमें दो मिनट में क्या फर्क पड़ जाता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मामला इन्वेस्टीगेशन में है, यह अदालत में भी जायेगा और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने इस घटना के सम्बन्ध में अलग अलग अपने विचार जाहिर किये हैं, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा किन्तु पूरी इन्वेस्टीगेशन होगी, उसका परिणाम निकले, तभी कुछ कहना उपयुक्त होगा। मैं यह कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सका था, ऐसा मानकर हमें नहीं चलना चाहिए। जहां तक यह प्रश्न है कि जब मैं छोटी खाटू पहुंचा था तो कई आदमी बुलाये। मैंने उनसे कहा, किसी को कुछ कहना हो तो कोई भी व्यक्ति डीडवाना आ जाये। यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति वहां नहीं कह सके। यह कोई पक्ष की बात नहीं है और यह भी नहीं है कि मेरे सामने उसके कहने का अधिकार समाप्त हो गया हो— ऐसी बात नहीं है। अभी भी इन्वेस्टीगेशन में जो कार्यवाही करनी होगी वह करनी ही होगी। वहां जाने की बात मैंने माननीय सदस्यों के कहने पर इसीलिए स्वीकार की थी कि वहां जाया जाय और क्योंकि बावरी समाज, जो हरिजनों में से है, उसके साथ यह घटना हुई। मैं गया तो वहां जाकर हमें जो वातावरण मिला, उसका असर पड़ा। मैं इसलिए गया था। मैं वहां घटना स्थल पर पहुंचा हूं। मैं भी अगर वहां था तो उससे कोई वहां असर डालने वाली बात हुई— ऐसा मैं नहीं मानता। इसके साथ साथ मैं यह भी सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी राजनैतिक पार्टी का हो, चाहे वह हमारा ही कोई व्यक्ति हो जो घटना में शरीक हो उसका

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 92

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

अगर दोष है तो उसके सम्बन्ध में अवश्य आवश्यक कार्यवाही होगी। वहां की स्थानीय पुलिस भेजी थी, सी. आई. डी. के दो आदमियों को इन्क्वायरी दे दी गई है, इन दो व्यक्तियों की ईमानदारी से यह धारणा है कि वह लोग निष्पक्ष जांच करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। अभी यहां यह भी कहा गया कि यह मामला सी. बी. आई. को दे दिया जाय। मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई ऐसा सवाल है या और इस प्रकार का मामला है जिसके कारण कि हम सी. बी. आई. को इस मामले को एन्ट्रस्ट करने के लिए लिखते। तो न तो सी. बी. आई. को हम इसे एन्ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वह इस प्रकार का मामला यह नहीं हैं जो सी. बी. आई. को एन्ट्रस्ट किया जा सके। लेकिन मैं यह कहूंगा कि पूरी तरह से इस मामले की जांच की जायगी और उचित कदम उठाये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी. बी. आई. का प्रश्न जिस समय रखा गया था, उस समय मुझे पता नहीं था। माननीय शंकरलाल जी और रामनारायण जी ने जो रखा है, जो उन्होंने पुलिस प्रशासन के बारे में कहा है वह इण्डायरेक्टली होम मिनिस्टर के बारे में नो कान्फीडेंस की बात है। शंकरलाल जी ने भी कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उन्होंने लोगों को डीडवाना में मिलने के लिए बुलाया। कोई स्थिति हो गई है कि वह नहीं आये। लेकिन शंकरलाल जी ने यह कह कर स्थिति को प्रकट किया है कि जिस समय मैं गया था उस समय मेरा मुख्यमन्त्री जी और वित्तमंत्री जी ने प्रोटेक्शन किया है। तो मुख्यमन्त्री जी उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वयं देख सकते हैं कि जब मैं स्वयं राजस्थान में 20 वर्ष से राजनैतिक जीवन में हूं और आज तक पुलिस प्रोटेक्शन को स्वीकार नहीं किया है। और यह भी कि मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी साथ थे तब यह घटना हुई है। मैं स्वयं अकेला लोगों के बीच में जाया करता हूं। लोगों से मिलता हूं उनकी बातें सुनता हूं। जब पुलिस के राज्यमंत्री वहां, मुख्यमन्त्री वहां, तो मैं मुख्यमंत्री जी को तो कहता नहीं हूं लेकिन वित्तमंत्री जी ने जो स्थिति पैदा की है, वह अच्छी तरह से देख ली है। महसूस करली है। वित्तमंत्री जी ने जो स्थिति बनाई वह मैं जानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 395 में केस रजिस्टर किया है। मकान टूटे हैं। उसी दिन बाड़े जलाये गये है। इसके बारे में वक्तव्य मौन है। मुख्यमंत्री जी मौन हैं। वह बाड़े में थे चार पांच बावरी। वह बाड़े जलाये। वह बावरी हनुमान्या, मांग्या, रामसुख्या आदि थे। खेतों में आग लगा दी। कुण्ड पानी के तोड़ दिये। यह तो आप मानेंगे कि कुण्ड तोड़े गये हैं। ऐसी स्थिति में 16 तारीख को घटना का केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। शंकरलाल जी कहते हैं कि पंचायत की जमीन थी, वह उन्होंने तोड़े हैं।

एक माननीय सदस्य : पुलिस वालों ने तोड़े हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या किसी दूसरे का मकान तोड़ना अपराध नहीं है। यह कहा जाये कि मकान तोड़े नहीं गये हैं। शंकरलाल जी कहते हैं लड़की मौजूद है। रामनारायण जी कहते है लड़का मौजूद है।

(श्री भैरोंसिह)

लड़की मिल गई। लड़का भी मौजूद है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह आतंकपूर्ण स्थिति है। इसमें जो मूल अपराधी चेनाराम जब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा कोई व्यक्ति कुछ भी आकर नहीं कह सकता है। आपने यह फैसला कर दिया है कि कोई व्यक्ति वहां रह नहीं सकता है। यह स्थिति जब है, मैं मुख्यमंत्री जी पर सारी घटना छोड़ता हूं। जो घटना देखी है। पंचायत ने जो कार्यवाही की है, उसको तो जेनुइन मानते हैं। वहीं 40 रेगर हैं, जिनके मकान नहीं हैं बाड़े हैं। एक बींदा रेगर है जो आज तक मिल नहीं रहा है। आज रेगर और बावरी बिल्कुल असुरक्षित है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई इन्वेस्टीगेशन हो जाये, इसकी कोई सम्भावना नहीं है। मैं माननीय विधानसभा के सदस्य जो गये थे मैं आशा करता था कि विधान सभा के स्तर को थोड़ा बनाये रखेंगे। लेकिन पिटाई के मामले में नहीं बोले कि किसने पिटाई की। कोई दूसरा आदमी ऐसी पिटाई नहीं कर सकता कि एक पचपन वर्ष की महिला की कौलर बोन टूट जाय, पसलियों के अन्दर चोट आ जाय, कोई भी आदमी इस प्रकार की मसनवी चोट नहीं बना सकता है पन्द्रह दिन से वह महिला चोट से कराह रही है, उस चोट से कराहती हुई महिला के लिए यह कहना कि वह बदमाश है, यह पूरे महिला समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से, यह केसेज रजिस्टर नहीं हुए हैं। मैं कल तक इस विचार में था, लोकल पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है, इसके अलावा जिन अधिकारियों के लिए आपने कहा, जो अधिकारी इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं उनको आप बढ़िया समझते हैं, उनके प्रति शिकायत मेरी भी नहीं है। लेकिन दबाव पड़ेगा उन अधिकारियों पर जो इन्वेस्टीगेशन करने वाले हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस मामले में चेनाराम नहीं होता, भैरोंसिह होता, बद्रीप्रसादजी होते रामानन्द जी होते या केदारनाथ जी होते और उनके रिश्तेदार होते तो वह अब तक जेल की सींकचों के अन्दर होते। चेनाराम इस मामले में हैं जिसको मथुरादास जी का प्राटेक्शन है, इसलिए वह गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इसलिए यह साफ दिखता है कि उसे राज्य सरकार का प्राटेक्शन दिया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बस्सी में हरिजनों के साथ जो केस हुआ, और जो घटना ऐसी गम्भीर थी जिसको सेन्टर के लोग देखने आये थे और उनको राज्य सरकार द्वारा यह एस्योरेन्स दिया गया था और इस हाउस में भी एस्योरेन्स दिया गया कि इस केस के अन्दर दोषी व्यक्तियों का प्रासीक्यूशन किया जायगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि बस्सी थाने में जो केसेज दर्ज हुए थे, उनमें से कितनों का चालान किया गया है। इसी तरह से नीम के थाने के अन्दर जो केसेज हुए हैं, उनमें से एक को छोड़कर कितनों का चालान किया गया है ? मैं जानता हूं इस बात को कि पालिटिकल क्राइसेज के कारण जब हवा बनती है तो सरकार सदन में कहती है कि हम हरिजनों की रक्षा के लिए यह करेंगे, हम हरिजनों की रक्षा के लिए वह करेंगे लेकिन जिस समय मामला ठण्डा हो जाता है और दूसरे इम्पार्टेन्ट विषय लोगों के सामने आ जाते हैं, तो उसके ऊपर एक प्रकार से पानी फेरने की कोशिश की जाती

(श्री भैरोंसिंह)

है। यह मामला गम्भीर है। मैं इस सदन में यह ईमानदारी से कह सकता हूं कि इस मामले में चैनाराम को फंसाया जाय–इस नीयत से मैंने इस प्रश्न को नहीं उठाया था। मैं एक दिन डेगाना गया था, उस दिन मुझे इस केस के बारे में जानकारी मिली कि खाटू के अन्दर इस प्रकार की घटना हुई है। वहां जो आदमी मिले उनसे मैंने जानकारी की। मैं शंकर लाल जी की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि मैंने 18, 17 तारीख को मुख्य मंत्री जी से कहा था कि इस प्रकार की घटना की जानकारी आई है। उसके बाद में वहां डी. एस. पी. 18 तारीख को वहां चले गये। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 18 तारीख के बाद तीन दिन के बाद में केस रजिस्टर क्यों किया ? वह भी इसलिए किया कि हम लोग वहां पहुंच गये थे, वहां के फोटो ले लिये थे और उन औरतों के बारे में यहां प्रश्न उठाया था। मुझे शर्म आती है, उन औरतों के लिए इस सदन में इस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं। उस दिन वह औरतें बैठी हुई थीं, उनकी आप शक्ल देखते और उनके मुंह पर कहते कि यह बदमाश हैं तो जाकर आपको पता लगता। लेकिन किन्हीं औरतों को मारा जाय और कांग्रेस के लोग उनको बदमाश कहें–इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बदमाश भी आप उनको कहें तो कौन से कानून में कहां लिखा हुआ है कि बदमाश औरतों को या जो लोग चोरी करते हैं उनको गोली से उड़ा दो ? आपको देखना चाहिए कि आप किसके लिए कह रहे हैं। चाहे जिसके लिए कुछ भी कह देना, बदमाश कह देना, और जैसी मर्जी आये वैसी बात करना आप चाहे तो आज मैं इतना कह देना चाहता हूं कि आप सदन की कार्यवाही चलाना चाहें तो आज सदन की कार्यवाही चलायें, सदन की कार्यवाही आज आगे चले, हम भी इन्तजार कर रहे हैं कल तक। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि कल तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर इस मसले को लेकर मैं सदन के सामने आऊंगा, अभी मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री किशनलाल शाह (नांवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत ने मकान तुड़वाये, उसके बारे में मुख्य न्यायालय का है कि किसी व्यक्ति का अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हो, पंचायत की जमीन पर हो, गैर कानूनी कन्स्ट्रक्शन करने का दोष भी हो तो भी उसको बिना मुकदमा चलाये नहीं तोडा जा सकता। उन्होंने ऐसा किया था तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः बहस में नहीं पड़ना चाहता लेकिन जनसंघ के माननीय नेता ने गलत बात ऐसी कही है। मैंने किसी औरत के बारे में बदमाश शब्द नहीं कहा। यह उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। आप मेरी प्रासीडिंग्स उठा कर देख लीजिए। मैंने कभी भी नहीं कहा है . . .

कई माननीय सदस्य : रामनारायण जी ने कहा है।

श्री शंकरलाल : सुनने का माद्दा रखिये माद्दा रखिए सुनने का . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर आर्डर।

कई माननीय सदस्य : कहा है रामनारायणजी ने।

श्री शंकरलाल : जहां तक मेरे कहने का प्रश्न हैं, मैंने कहा था कि दो प्रकार की स्टोरी आई है, एक तो पंचायत कहती है और एक वह कहते हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ भी कहा होगा, वह सदन ने सुना है, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : आप गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार जोश में आकर वकालत करना चाहते हैं और कहते हैं, और हमें कहते हैं कि हम वकालत करने वाले हैं। अगर निम्न वर्ग के लोगों के साथ ज्यादती होती है तो कांग्रेस की उनके साथ हमदर्दी है . . .

श्री उपाध्यक्ष : इस पर दुबारा चर्चा नहीं होगी।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : आप कह देना चाहते हैं लेकिन सुनने का माद्दा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडियां (बारां) : वह चोर है, बदमाश है–यह रामनारायणजी ने कहा है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(शोरगुल–अश्रव्य)

स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

(शोरगुल–अश्रव्य)

स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस प्रकार सुखाड़िया की नजर में आने के लिए विरोधी दल जो बात कहता है, उसको हमेशा इस प्रकार से आप गुमराह करते हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गम्भीर बात है, इस प्रकार महिलाओं को बदमाश कहते हो . . .

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं बदमाश कहने वाले सदन के लोगों को बताऊ . . .

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहस में दुबारा नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जनसंघ के माननीय नेता ने कहा, मैंने उन औरतों को बदमाश कहा है। यह उन्होंने गलत कहा है। मैंने यह कभी नहीं कहा है। जिन्होंने औरतों को पीटा है, उनका चालान क्यों नहीं किया गया है। उनका चालान करना चाहिए। और जिन लोगों ने औरतों को पीटा है–इस मामले की तफतीश होनी चाहिए और उन औरतों का मेडिकल एक्जामिनेशन होना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो फर्माया है, वह सदन के सामने है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने सुना है।

श्री शंकरलाल : आप सुन तो लीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं . . .

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, उनको बोलने की छूट है, लेकिन विरोधी दल के सदस्य खड़े होकर बोलें, उनको समय नहीं दिया जाता है और यह कहते है तो उनको समय दिया जा रहा है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की दोहरी नीति और दोहरा व्यवहार आसन की ओर से नहीं चलना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह था, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी को इस तरह बिना कसूर के पीटा जाय। अगर किसी महिला को पीटा गया है तो उसकी जांच होनी चाहिये, निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। मैं इस राय का नहीं हूं कि जो पीटने वाला व्यक्ति है उसका चालान नहीं किया जाय, ऐसे व्यक्ति का चालान किया जाय और चेनाराम पीटने वाले व्यक्तियों में हैं तो उसका भी चालान किया जाय।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : इसी चेनाराम ने सहायक रजिस्ट्रार को दफतर में पीटा, इसी चैनाराम ने विकास अधिकारी की पिटाई की यह वही चैनाराम है जिसने ऐसे ऐसे घृणित काम किये हैं, उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन देते हैं, इसकी वकालत करते हैं . .

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर! चर्चा समाप्त हुई!

श्री लादूराम सुलानिया : प्रश्न इस बात का शेष रह गया है, जैसा रामनारायण जी ने कहा. . .

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री लादूराम सुलानिया : हम यह नहीं कहते कि किसको गिरफ्तार करो, लेकिन जिसने पीटा है उसको गिरफ्तार किया जाय। उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। सरकार चौबीस तारीख तक क्यों सोती रही है ? क्यों सरकार ने उसका चालान नहीं किया, क्यों गिरफ्तार नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : आप बता सकते हैं कि किसने पीटा। चैनाराम ने पीटा है तो यह बता दें। यह ऐसी स्थिति नहीं है कि हम चुप बैठ जांय, लोग इसके बारे में जानने को उत्सुक हैं। यह बर्दास्त नहीं किया जा सकता है लोगों ने गरीब लोगों को पीटा, और चौबीस तारीख तक पीटने वाले को गिरफ्तार नहीं किया. . .

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : जिसने पीटा है उसको गिरफतार क्यों नहीं करते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस प्रकार हरिजनों के साथ में जुल्म और अत्याचार होते रहें और सदन के सदस्य. . .

श्री रामनारायण चौधरी : बैठ बैठ।

श्री देवीदत्त गाडिया : चुप रह। हट।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपस में सम्बोधन करने का तरीका नहीं है, माननीय सदस्य!

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र निष्पक्ष रूप से जांच होना परमावश्यक है।

विधायी कार्य

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य। श्री रामचन्द्र आर्य अब कल का भाषण शुरू करेंगे।

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971 पर अग्रेतर विचार

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में मैंने कल कहा था, आबादी भूमि के बारे में, पंचायत क्षेत्र में बसने वाले लोगों को जमीन देने का, राजस्थान केनाल क्षेत्र में दस साल से कोई प्रावधान राजस्थान में नहीं है। राजस्थान केनाल क्षेत्र के गांवों में बसने वाले काश्तकारों को, हरिजनों को पंचायत द्वारा जमीन दी जाती थी लेकिन कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा पंचायतों के अधिकार को वापिस छीन लिया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में नाजायज कब्जे किये गये हैं और पंचायतों की आमदनी मारी गई है। आज भी हजारों की तादाद में कोलोनाइजेशन विभाग में नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कैसेज चल रहे हैं और लोग मारे मारे फिरते हैं रोजाना तारीखें पड़ती हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था आज पंचायती राज संस्थाओं के साथ में हो रही है। वरना मंत्री महोदय ने पिछले सत्र में एलान किया था कि केनाल क्षेत्र में पंचायतों को जमीन देने का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन आज तक उन पंचायतों को कोई अधिकार नहीं मिला। राज्य सरकार की तरफ से आए दिन पंचायतों को आदेश मिल रहे हैं कि हरिजनों को जमीन दी जाए लेकिन राजस्थान केनाल क्षेत्र में उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की अव्यवस्था आज पंचायती राज संस्थाओं के सामने इस सरकार ने उत्पन्न की है, पंचायतों का गठन जिस तरीके से किया गया है राजनैतिक कारणों से इन पंचायतों में 10-10 हजार की जन संख्या आज भी मौजूद है। मेरे क्षेत्र के अबरपुरा शहर में गत सत्र में मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया था, साबित भी किया था कि यह अबरपुरा कोई गांव नहीं है, राज्य के मन्त्री श्री मनफूलसिंह की ढाणी है, गांव के लोग चकों में चले गए लेकिन आज भी वह पंचायत 30 गांवों की पंचायत है। इस प्रकार की अनेक पंचायतें राजस्थान में गलत बनी हुई हैं। पहले हर दूसरे साल चुनाव में तबदीली करते थे, अपने सरपंचों को जिताने के लिए इधर से उधर गांवों को मिलाते थे। जिस दिन यह मामला चुनाव विभाग के पास चला गया उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई पंचायतों में 10-10 मील तक भी गांव लगे हुए हैं, उन गांवों को पंचायत से कोई सहायता नहीं मिल सकती।

(3.32 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

इसलिए मेरा निवेदन है कि पंचायतों का जो क्षेत्र इतना बड़ा बनाया हुआ है उसमें परिवर्तन किया जाए और जो गांव नजदीक लगते हैं, उन गांवों को इन पंचायतों से एडजस्ट किया जाए। जैसे

Page No 98

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मेरे क्षेत्र में पाल पंचायत है, एक मील दूर गांव है लागाए उस गांव से एक मील दूर और गांव हैं जो पालू पंचायत में आ गए क्योंकि वहां के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते इसलिए गांव को इतना दूर ले गए जबकि गांव की पंचायतों के अन्दर गांव नजदीक पड़ते हैं। पूनासार के गांव 5 कोस दूर है। पंचायत के साथ में कोई लोगों का सम्पर्क नहीं रहता। ऐसी पंचायतों से आम लोगों को कोई लाभ नहीं। तो इनमें परिवर्तन किया जाए और हो सके तो बड़े गांवों की एक ही पंचायत बनाई जाए छोटे छोटे गांवों को मिला कर पंचायत बनाई जाए।

(कोरम की घंटी)

यह हालत है इतने मंत्री हैं लेकिन कोरम के लिए घंटी बजानी पड़ती है। आप लोग सारे रसगुल्ले खाने में लगे रहते हैं आपको परवाह नहीं कि सदन की कार्यवाही में मौजूद होना चाहिए था या नहीं ?

श्री **सभापति** : आप अपने भाषण को प्रभावशाली बनायें ।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : जैसे कीड़ियां बिल से निकलती हैं वैसे ये कांग्रेसी विधायक घंटी सुन कर भागते हैं नहीं तो रसगुल्ले खाने में लगे रहते हैं, यह हालत है इनकी।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : विरोधी दल में 4 जने बैठे हैं।

आपकी बात सुनने को विरोधी दल के लोग तैयार नहीं हैं।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : मेरा भाषण सुनने के लिए आप लोगों में हिम्मत और माद्दा होना चाहिए। मेरी बात वही सुनेगा जिसकी चद्दर पर धब्बा नहीं होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था जैसे कि गंगानगर के साथ पंजाब और हरियाणा लगते हैं। वहां पंचायतें हैं एक एक गांव की। यहां काफी सदस्यों ने निवेदन किया कि पंचायतें खबी नहीं होनी चाहिए वास्तव में पंचायतें बड़ी नहीं होनी चाहिए। उससे गांवों में पार्टीबाजी बढ़ती है। गांवों में पंचायतों के चुनाव सर्व-सम्मत होने चाहिए। पंजाब और हरियाणा में एक या दो गांवों से ज्यादा पंचायत नहीं है और वहां चुनाव पर इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता। राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्र है वहां 15--15 मील तक गांवों की एक पंचायत है। एक तरफ हमने 2 हजार की जनसंख्या का रखा है कि एक पंचायत होगी। दूसरी तरफ आपने अपने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए सूरतगढ़ तहसील में 10 हजार की एक पंचायत रखी है। इस संबंध में मैंने विधान सभा में वोटर्स लिस्ट पेश की थी लेकिन आज तक राज्य सरकार ने कार्यवाही नहीं की। इस संबंध में भी राज्य सरकार को और विशेष तौर से पंचायत मंत्री को चुनाव विभाग का बहाना नहीं लेना चाहिए क्योंकि तमाम जिम्मेदारी पंचायत मंत्री पर होती है। पंचायत को सही तरीके से चलाने के लिए सही व्यवस्था बनाने के लिए चुनाव विभाग से कह कर सही तरीके से गठन कराया जाए ताकि आगे चल कर पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, पंचायतों के पास कोई साधन नहीं हैं। भूमि लगान में से 5-10 प्रतिशत उनको देना चाहिए क्योंकि वह भी राज्य की इकाई है, उनका भी कार्यक्रम है। पंचायतें इसलिए बनाई गई थीं कि गांवों के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे निर्माण कार्य

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पंचायतों द्वारा कराए जाएं। किसी समय पंचायतों को अधिकार थे लेकिन आज सरपंच और पंचों के अधिकार जिलाधीश को दे दिए गए। जिलाधीश लिख कर भेजते हैं। रोजाना हमारे पास पत्र आते हैं, तुमको हटाने की कार्यवाही करेंगे, फलां चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। जिलाधीश या कोई अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही करे, राज्य सरकार जान-बूझ कर पंचायतों के महत्व को कम करने के लिए करती है। पंचायतें मजबूत नहीं होंगी तो प्रजातन्त्र भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए पंचायतों को पूरे अधिकार दिए जायं, आमदनी के साधन होने चाहिए ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

आज राजस्थान की पंचायत समितियों में करोड़ों रुपयों का घोटाला है और विकास अधिकारियों द्वारा अनेक पंचायत समितियों में घोटाला है उन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की जाती है लेकिन यह सही है कि सत्तारूढ़ दल के जो विकास अधिकारी हैं उनकी सरकार मदद करती है और उनको सस्पेंड न करके अपने इलाके में ले जाते हैं। क्योंकि चोरी के हिस्से मिला कर कुछ लाभ उठाना चाहते हैं। आज भी राजस्थान में पंचायत समितियों में घोटाले हैं उनके बारे में कमीशन बिठाया जाए, अनेक अधिकारी जेल जा सकते हैं। मेरी पचायत समिति नोहर में भी इस प्रकार की घटना हुई। 200 रुपए का सामान ढाई हजार में खरीदा गया आज भी इस प्रकार के गैर जिम्मेदारी तरीके से जो सामान खरीदने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। बार बार शिकायत करके हम लोग परेशान हो गये, क्या फायदा इस प्रकार की शिकायत करने का ? जो राज्य सरकार खुद प्रोत्साहन करती है जिस विकास अधिकारी ने इतना बड़ा घोटाला किया, वह राजस्थान केनाल में ऊंचे पद पर बैठ गया वहां भी चोरी करने का मौका मिल गया, वहां भी उसने जमीनें ली लड़कों और रिश्तेदारों के नाम और लाखों रुपये राजस्थान केनाल की भूमि के अलाटमेंट में खाये हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। पंचायत समितियों को रखने के क्या कारण हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। पंचायत समिति का कोई काम नहीं रहा है। कोई उनके पास आमदनी नहीं। सरकार के द्वारा उनको पैसा नहीं दिया जाता। तहसील और पंचायत समिति दोनों रखने से क्या फायदा है। पंचायत समिति को या तो तहसील के भी अधिकार दे दीजिये या फिर तहसील को ही रख लीजिये और पंचायत समिति को तोड दीजिये। लगान वसूली का ही तो काम होता है। इस प्रधान के खिलाफ अनेक घोटाले हैं और गड़बड़ियों की शिकायतें हैं। पंचायत मंत्रीजी ने कहा था कि अभी फैसला कर दूंगा। आप करना नहीं चाहते हैं। करने कराने वाले तो वे लोग हैं। आप तो कठपुतली बन कर उनके इर्द गिर्द नाच सकते हैं। आप इसके सिवाय माइनोरिटी में हैं और मेजोरिटी में नहीं हैं। आप अपनी नाक निकाल सकते हैं इसके सिवाय कुछ नहीं। पंचायत समिति को या तो पूरी तरह के साधन दिये जायं या इनको समाप्त कर दिया जाय। जिला परिषद् को कोई अधिकार नहीं है। जिलाधीश कर्ता-धर्ता है। इतनी बड़ी कमेटी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

क्या देखने के लिये बनायी है? प्रस्ताव पास करते हैं। सरकार अमल नहीं करती है। इस प्रकार की पंचायत राज संस्थाओं को रखने से क्या फायदा है? पंचायत राज मजबूत करना है तो पंचायती राज संस्थाओं को पूरे अधिकार देने चाहिये। लेकिन आप देना चाहते हैं। आज प्रशासन आपके हाथ में है। नगपालिका को तो अधिकार हैं। लेकिन पंचायत को अधिकार नहीं हैं। कांग्रेस का प्रधान कोई घोटाला करे, सरपंच कोई घोटाला करे तो उनके खिलाफ सुनवाई नहीं होती है लेकिन विरोधी पार्टी के सरपंच को छोटोसी गलती पर भी कटघरे में खड़े कर देते हो। दो रुपया कम हो गया तो 402 में गर्दन मरोड़ दी जाती है और जिन्होंने जो इनके चहेते हैं उन लोगों ने करोड़ों 2 के घोटाले किये उसके लिये यह सरकार उनकी जांच नहीं करना चाहती है। यह सरकार जनता की सरकार नहीं है। शासन का प्रभुत्व इनके हाथ में है बाकी जनता की भलाई के लिये इनके मन में कुछ नहीं है। यह प्रत्यक्ष है। जो गांवों में पीने का पानी 23 वर्ष के शासन में नहीं दे सकी हम कैसे मान लें कि यह जनता की सरकार है। वोट का बहाना लेकर यह सरकार जनता को कह देती है पांच वर्षों के लिये जनता की चुनी हुई सरकार है। लोगों के दुःख मिटाने के लिये गांवों में खर्चा न करे और पैसा शहरों में सड़कों, सिनेमाओं और होटलों पर यह सरकार खर्च करती है, उसके लिये कितना कर्ज लेती है और मकान बनाने के लिये कर्ज लेती है। काश्तकारों के लिये कोई इस प्रकार की योजना नहीं। सोसाइटी से मामूली कर्जा मिलता है। तीन महीने पीछे मिलता है और पीछे 2 वसूली आ जाती है।

पंचायत को मजबूत बनाना पड़ेगा तो ऐसे लोगों के हाथों में शासन नहीं रहेगा। पार्टीबाजी छोड़ कर लोगों की भलाई के लिये वह शासन सोचेगा। लेकिन यह सरकार यह नहीं लाना चाहती। क्या कारण है मियाद बढ़ाने की? चुनाव में इस सरकार को भरोसा नहीं रहा। इसलिये इतना बड़ा अधिकार सरकार ने अपने हाथ में लेकर यह संशोधन रख दिया। पांच साल के लिये काफी थी। चुनाव करा देने चाहिये थे। ज्यादा दिन थोड़े ही लगते हैं। पंचायत के चुनावों में ज्यादा ताकत थोड़ी ही लगानी पड़ती है। आपको भरोसा है आपके पिट्ठू बैठे हैं। फिर क्या है? किस प्रकार चैनाराम के खिलाफ हमेशा विधान सभा में सवाल होते रहे हैं। चैनाराम तो बदनाम होकर सामने आया है। न जाने कितने चैनाराम बैठे हैं जो सामने नहीं आते हैं। सूरतगढ़ के प्रधान के खिलाफ अनेक शिकायते हैं और कितने ही मुकदमें पुलिस में दर्ज हैं कितने में उसका चालान हुआ है? इसलिये नहीं कि उसका भाई मंत्री है। 21 तारीख को मंत्रीजी ने एक्सीडेन्ट कर दिया और एक बच्चे की जान चली गयी और उसने इसको छिपाने की कोशिश की। थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। थानेदार ने व पुलिस ने लाश को दबा दिया। एस. पी. को कहा गया तब भी कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं हुई ऐसे मंत्री को तो अपने पद से स्तीफा दे देना चाहिये। एक्सीडेन्ट होने के बाद कार न रोकना, पुलिस को सूचना न देना और इतनी बड़ी घटना को दबा देना इसी प्रकार

(श्री रामचन्द्र आर्य)

के गैर तरीके से काम करने वाले लोगों का पंचायती राज संस्थाओं पर कब्जा कायम हुआ है।

(3.47 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

अब आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। राजस्थान सरकार पंचायतों और पंचायती राज स्वरूप को बरबाद कर देना चाहती है। राजस्थान में न्याय पंचायतें बनायी। उनके पास कोई साधन नहीं। गावों में पार्टीबाजी कायम रखने के लिये न्याय पंचायतें बनायी, उनकी गावों में कोई जरूरत नहीं है। पंचायतों को अधिकार होने चाहिये थे। गांवों में बैठ कर वे ही फैसला करने वाले हैं। पांच सात पंचायोंत को मिला कर एक न्याय पंचायत बनायी। लोग रोज तारीखों पर फिरते हैं। तारीखें बदलते रहते हैं। इससे न्याय सस्ता थोड़े ही मिलता है। यह तो शहरी वातावरण के मुताबिक सोचते हैं। लोगों की तकलीफों को नहीं समझते। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। लोगों की यह राय नहीं है कि पंचायतों की मियाद बढायी जाय। इसलिये राय जानने के लिये यह प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूँ कि इसको पास नहीं किया जाय और पहले लोगों की राय जानी जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सभापति महोदया, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की स्थिति बड़ी नाजुक है। पंचायतों की स्थिति के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत की व्यवस्था भारत में बड़ी प्राचीन काल से है। विदेशी शासन से पहले हमारे भारतवर्ष में ग्राम पंचायतों का जाल बिछा हुआ था किन्तु जब से विदेशी शासन हमारे हिन्दुस्तान पर कायम हुआ ग्राम पंचायतों की व्यवस्था नष्ट हो गयी। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् गांधीजी ने ग्राम राज्य के द्वारा सुराज्य का मार्ग सुझाया था। ग्राम पंचायतों के द्वारा भारतवर्ष में स्वावलम्बी शासन की उनकी कल्पना थी। स्वतन्त्रता के बाद पंचायती राज्य संस्थाओं का स्वरूप सामने आया। इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट नहीं थे, अनुभवी नहीं थे, एक नया नया ही अनुभव था। कानून बनाया उसमें बड़ी कमियां रहीं। शुरूआत में कानून आया उससे राहत मिली उसके बाद तो कानून ऐसे बन गये कि ग्राम पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं रहे। ग्राम पंचायतों को बिल्कुल पंगु कर दिया। न्याय पालिकाएं अलग बनाई गयीं। ग्राम पंचायतें विकास पंचायतें बन गयीं। वे प्रदेश की राजनीति का शिकार हो गयीं जिसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामों में फूट पैदा हो गयी।

ग्राम पंचायतों की वजह से ग्रामों में इतनी फूट पैदा हुई है जिससे लोकतन्त्र को ही खतरा पैदा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायतों के कानून में इस प्रकार का सुधार लाना चाहिये कि राजनैतिक हस्तक्षेप ग्राम पंचायतों में न हो।

Page No 102

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसके अनुसंधान के लिये एक निष्पक्ष कमेटी बिठायी जानी चाहिये जिनको ग्रामों और ग्रामीणों के बारे में अनुभव हो। वह कमेटी सब प्रकार की जांच करे, अनुसंधान करे। इस प्रकार की व्यवस्था हम कर पायेंगे तब ही ग्रामीण व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। ग्राम पंचायतों में से न्याय पंचायतें अलग करके ग्राम पंचायतों की ताकत को अलग कर दिया गया है। इसमें राजनीति को घुसेड़ा गया है। यह ग्राम व्यवस्था के लिये बड़ा हानिकारक है।

पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कानून में परिवर्तन लायें तो ग्राम पंचायतों का ताल्लुक ऊपर की किसी पंचायत संस्थाओं से न हो। चुनाव की प्रणाली को बदलें। ग्राम पंचायतों तक ही चुनाव सीमित रहने चाहिये। ग्राम पंचायतों के सरपंच पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में मंत्रियों को अधिकार देकर पंचायतों में राजनीति को ले गये जिससे राजनैतिक दलों ने दखल देना शुरू कर दिया और इसके कारण पार्टीबाजी शुरू हो गयी।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पंचायतों को ऐसी लोकल बोर्डी बनायें जिनका इलेक्टेड संस्थाओं से ताल्लुक न हो, वे स्वयं पावर फुल हों और उनके अधिकार पंचायत कोड से कायम करें। जिस प्रकार से नीचे के कोर्ट की अपील ऊपर के कोर्ट में होती है तो इसी तरह ग्राम पंचायतों के फैसलों की सुनवाई के लिये पंचायत कोर्ट कायम करके व्यवस्था की जावे इसकी। अभी अपीलें या तो पंचायत समिति में होती हैं या ऊपर की अदालतों में जहां असर डाल कर अपने पक्ष में फैसला कराने की चेष्टा की जाती है और इसमें सफलता भी मिलती है। इसके बाद कलक्टर के पास मामले जाते हैं। तो ग्राम पंचायतों के प्रति आज की नौकरशाही का दृष्टिकोण स्वस्थ नहीं है। इसके लिये ग्राम के छोटे मोटे फौजदारी के मुकद्दमें, दीवानी दावे, रास्ते के मुकद्दमें, व्यवस्था के मुकद्दमें आदि ग्राम पंचायतों के अधिकार में दें और उनके फैसलों पर अपील सुनने के अधिकार छोटी छोटी पंचायत कोर्टों को स्थापित करके उनको दें। उनके फैसले फाइनल हों और इन पंचायत कोर्टों में इस दृष्टिकोण के व्यक्ति को अधिकारी बनावें जो पंचायती राज में विश्वास करता हो, दिलचस्पी लेता हो और इसकी पूर्ण जानकारी रखता हो।

इस पंचायती राज के प्रश्न को लाइटली न लें। यह बुनियाद है लोकतन्त्र की। पंचायती कानून की जो खामियां हैं उनका भी अध्ययन किया जाय। मैंने प्रस्ताव दिया है कि तीन साल की अवधि बढ़ाई है मेरा इससे मौलिक मतभेद है।

मेरा बुनियादी सवाल यह है कि चाहे कोई संस्था हो उसके चुनाव समय पर होने चाहिये मेरे प्रस्ताव रखने का आशय यह है कि इसके जरिये विचार प्रकट करके आपके सामने लावें कि पंचायत राज में कानूनी क्या खामियां हैं और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। पंचायत समिति और जिला परिषदों के कानून में भी मौलिक परिवर्तन करें।

(श्री रामनारायण चौधरी)

सुझाव के तौर पर निवेदन कर सकता हूं कि ग्राम पंचायतों का पंचायत समिति से सम्बन्ध न रखें। पंचायत समिति ब्लाक कमेटी विकास के काम की प्रथम इकाई है जिस पर फाइव ईयर प्लानों को पूरा करने की जिम्मेदारी है और उनका सुपरवीजन करते रहना जिला परिषदों का काम है।

ग्राम पंचायतों को केवल विकास के काम में लगाये रखने के लिये और आपसी राजनैतिक झगड़ों से दूर रखने के लिये पूर्णतया ग्रामीण अदालतों का रूप दें जो गांवों में छोटे मोटे झगड़ों को निपटावे जो कुछ मामलों में अन्तिम हो सिर्फ उनकी निगरानी उन अदालतों में हो जो पंचायतों के ऊपर नये तरीके से गठित की जावें।

आपको ऐसी अदालतों के लिये अलग से कैडर तैयार करना चाहिये जो ग्राम पंचायतों के सारे काम को देखे और इस काम को बढाने में मदद करे।

अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार का परिवर्तन उनके अन्दर हो। यह बड़ा प्रश्न है जो हाथों हाथ हल नहीं किया जा सकता। इसके लिये गहरे अध्ययन की जरूरत है।

पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनावों के तरीके को भी बदलना चाहिए। अब क्या कारण है कि ग्राम के सरपंचों और पंचायत समिति के लोगों के खिलाफ शिकायतें सुनने में आती हैं। रुपये पैसे आप पंचायतों को देते हैं यह कारण है। वे हिसाब किताब अच्छी तरह रख नहीं सकते। हिसाब का काम और डवलपमेंट के एग्जीक्यूशन का काम टेक्नीकल है सरपंच जो इस सारी टेक्निकलिटी और व्यवस्था से परिचित नहीं होता, उसमें ऊलझ जाता है और फिर रुपये पैसों के मामलों को लेकर भी दलबन्दी बन जाती है। आप इन कामों से ग्राम पंचायतों को अलग रखें। यह काम सीधा डेवलपमेन्ट अफसरों के अधिकार क्षेत्र में दे दिया जाय।

जहां तक ग्राम पंचायतों का समय बढ़ाने का प्रश्न है यह निश्चित रूप से तै किया जाना चाहिए कि जब हम विधान सभाओं और अन्य संस्थाओं के चुनाव ठीक समय पर करा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि इनके चुनाव भी समय पर क्यों नहीं करा दिये जावें।

आज ग्राम पंचायतें और पंचायत समितियां देश की राजनीति के अंग बन गये हैं जिसकी वजह से पक्ष विपक्ष के सभी लोगों को सोचना पड़ता है कि उनके चुनाव हमारे पक्ष में विपक्ष में किस समय पड़ेंगे और किस समय नहीं पड़ेंगे। तो इस दृष्टि से नहीं सोचा जाय तो चुनावों में कोई कठिनाई नहीं आ सकती। ग्रामों का आपसी मामलों को सुलटाने का ही काम होना चाहिए।

आपको याद होगा कि जब इस का प्रारम्भ हुआ था यहां तब भी यही कहा गया था कि ग्राम पंचायतों को राजनैतिक दलबन्दी का अखाड़ा न बनाया जाय।

और आज भी आप यदि पंचायत राज संस्थाओं को राजनैतिक दल से जोड़े नहीं तो पंचायतों के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा और ग्राम पंचायतें राजनीति में नहीं पड़ेंगी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता

(श्री रामनारायण चौधरी)

हूं आप ग्राम पंचायत राज के संचालक हैं और ग्राम पंचायत राज को दिशा देने का दायित्व आपके हाथों में है। आप चिन्तन करें, मनन करें और किस प्रकार ग्राम पंचायत राज को स्थायित्व दे सकते हैं, गति दे सकते हैं इस पर विचार करें तो किस प्रकार कानून सदन के सामने लायें जिससे पंचायत राज को गति मिले, दृढ़ता मिले और ग्रामीण जनता में सुधार हो। गांवों में राजनीति और विशेष जिसका मूल कारण यह है कि आपने ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को मतदान करने के अधिकार दे रखे हैं। यह मतदान करने का अधिकार नहीं हो तो बनने वाला प्रधान, सरपंच और जिला प्रमुख कभी भी ग्राम पंचायतों के चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेगा और इसका नतीजा यह होगा कि गांवों में राजनीति नहीं घुसेगी। अब यह आप पर है कि ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव कैसे रखें ताकि गांव राजनीति से बच सकें। इन हालातों के अन्दर जो कानून आप हमारे सामने लाये इसके सिवाय कोई चारा नहीं था। हालात ऐसे थे कि आपको इन परिस्थितियों के अन्दर यह कानून लाना पड़ा। मैं आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : सभानेत्रीजी, इस पंचायत विधेयक के सम्बन्ध में मैंने भी एक अमेन्डमेंट रखा है कि इसको जनमत संग्रह के लिए प्रसारित किया जाय। सभानेत्रीजी, 1968 में पंचायतों की मियाद समाप्त हुई और उस समय से आज तक तीन साल हो गए तब से निरन्तर इस सदन के दोनों ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से इस बात के लिए कहते रहे कि पंचायतों के चुनाव जल्दी हो जाने चाहिए। पहले सरकार ने एक साल की मियाद बढ़ाई और फिर पांच साल इस तरह 6 साल पूरे हो गए और अब 6 साल के बाद दो साल और बढ़ जायगी ऐसा मालूम होता है। यह पंचायत राज संस्था अब सरकार के गले में अटक गई है जिसको न निगला जा सकता है और न उगल सकती है। यह बात स्पष्ट है कि ये प्रायः मृत हो गई हैं। पंचायतों के पास कोई फन्ड्स नहीं हैं और न कौर न कोई पावर्स हैं। शुरू शुरू में इनको पावर्स थी लेकिन सरकार ने विथड्रा करलीं। जैसा हम लोग सोचते हैं और निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है इन पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को समाप्त कर देना चाहिए। इनको रखने से कोई अच्छा लाभ नहीं है। आज सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल है पंचायतों में प्रधान और सरपंच बैठे हुए हैं उनका क्या होगा। उनको बहुत सों को तनख्वाह मिलती है और उनको कई प्रकार का अलाऊन्स मिलता है। अगर यह संस्था टूट गई तो बेकारी का नया महकमा खुल जायगा – यह सरकार की सबसे बड़ी समस्या है। वैसे मैं समझता हूं, यह समस्या बड़ी गम्भीर समस्या हो गई है और मैं खुद जानता हूं यह पंचायत राज कायम हुआ उसमें सबसे पहले पं. जवाहर लाल नेहरू ने उद्घाटन किया था और मैं उस समय पंचायत का मंत्री था। उस समय बड़ा उत्साह था। अब सरकार को भी बड़ी शर्म मालूम होती है। पंचायतें स्थापित करने वाली राजस्थान ही पहली स्टेट थी जिसमें यह

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

एक्सपेरीमेंट सबसे पहले किया गया था और उसका उद्घाटन पंडित जी ने नागौर में किया था। अब मान लीजिए सरकार समाप्त करती है तो यह मालूम होगा कि जल्दी में यह कदम उठा लिया था। मैं समझता हूं चार करोड़ का इस समय पंचायतों का खर्चा है। कोई अब तक 50 करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा। सरकार ने इन संस्थाओं को कायम किया तो जनता को क्या लाभ हुआ। अगर इन संस्थाओं को तोड़ दिया जाय तो यह बात मालूम हो जायगी कि 50 करोड़ का नुकसान करा दिया। यह धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है चुनावों का मसला आता है जितना स्टाफ है, टीचर्स है, ग्राम सेवक हैं, सब इनके वोटों का काम करते है। अब हमको इस मामले में हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं सरकार से कहता हूं और मुख्यमंत्रीजी को कहता हूं अब यह प्रेस्टिज का मामला नहीं रह गया है। अब चुनाव की बात रह नहीं गई है। सरकार चुनाव कराना चाहती है असेम्बली सेशन में कह देती है और उसके बाद यह आर्डिनेन्स निकाल दिया अब चुनाव नहीं होंगे। मैं कहता हूं अब यह कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। पंचायत समितियों को ज्यादा मजबूत बनाकर अधिकार दे दें यह बात तो निकल गई। पंचायतों के इस प्रकार के चुनाव हों यह बात भी निकल गई। दो पार्टियां गांवों में हो जाती हैं और आये दिन मुकदमें और झगड़े बाजी होती रहती हैं जिनको पंचायतें और जिला परिषद् निपटाते हैं, उनमें भी अब जनता का विश्वास नहीं रहा इसलिए इसको समाप्त करने के लिए सरकार को कड़वी घूंट पीनी चाहिए। 7–8 साल हो गये माननीय सदस्य कोई बात कहते हैं तो कहा जाता कोई फन्ड्स नहीं है। बी. डी. ओ. और प्रधान मोटरों में घूमते हैं उनके पास कोई काम काज नहीं है। मुझे कुछ पंचायतों में काम करने वाले अधिकारी मिले थे मैंने उनसे भी कहा मुफ्त के पैसे कब तक खाते रहोगे। इनमें कोई अफसर है, कोई क्या है। मैं समझता हूं सरकार को कम से कम यह खर्च बन्द कर देना चाहिये। अगर ऐसी कोई बात है तो आप एक कमेटी बना दीजिये। इसमें कौनसी बड़ी बात है। जो आपके अधिकारी हैं, तीन दिन में रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन अब सरकार की हालत यह हो गई है कि न तो निगला जाता है और न उगला ही जाता है, यह तो जैसे गले में अटक गई है। बड़ी मुश्किल बात है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं यह जो खर्च हो रहा है उसको बन्द कर दें। जो पंचायतों पर तीन–चार करोड़ खर्च हो रहा है उसको बन्द कर दें। जो अकाल पड़ रहा है और जो फाइनेंशियल हालत आपकी खराब है वह भी कुछ हद तक सुधर जायगी। कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो यह मान रहा हो कि खर्च अच्छा हो रहा है। इसलिये अच्छा यह है कि इन पंचायत इकाइयों को तोड़ दे। कुछ तो इसका तरीका अख्तियार करें बिना वजह वेतन देने वालों को बन्द करें। इनको घूमने के लिये जीपें दे रखी है उन सबको सस्पेन्ड कर देना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा और जो भी बकाया है उसकी वसूली के लिए एक आफिसर रख दिया जाये या तहसीलदार को यह काम दे दिया जाये। और मेरा तो यह कहना है कि पंचायतों को तो रखा जाये और पंचायत समितियों और जिला परिषदों को आज से ही सस्पेण्ड कर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दिया जाये। आप चाहें तो कमेटी बैठा लें और उसकी सिफारिश ले लें लेकिन कमेटी की बात भी मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय नहीं मानेंगे। पहले सादिकअली कमेटी बैठी थी उससे भी कुछ नहीं हुआ। मेरा तो यह मानना है कि मंत्री महोदय बैठ जायें और दूसरे लोग बैठ जायें फिर सोचें कि क्या करना है। आप तो सिर्फ मियाद बढ़ाते जा रहे हैं और लोगों को तनख्वाह बांट रहे हैं। आप दुबारा चुनाव नहीं करा सकें उस समय तक इसको सस्पेण्ड कर दीजिए यह मेरा आपसे से नम्रता पूर्वक निवेदन है और आप चाहें तो पब्लिक ओपीनियन मंगा लें। पब्लिक के अन्दर गांव का आदमी भी यही कहेगा कि अब पंचायत समितियों और जिला परिषदों की क्या जरूरत है। इसलिये मैं तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चाहे तो मुख्य मंत्री जी से सलाह ले लें और आज ही यह घोषणा कर दें कि पंचायतें तो रह जायें लेकिन पंचायत समितियां और जिला परिषदें खतम कर दी जायें, यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री नाथूलाल करोल–(अनुपस्थित)

अब मैं जनमत के लिए प्रश्न रख देती हूं।

श्री **केशरी सिंह हाडा** (हिन्डोली): फर्स्ट रीडिंग के ऊपर सबको ही बोलने का अधिकार है।

श्रीमती सभानेत्री : क्लाज् बाई क्लाज् जब आये तब बोल देना।

मंत्री महोदय।

श्री **परसराम मदरणा** (पंचायत मंत्री): माननीय चेयरमैन महोदया, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक पर बाड़मेर, सवाई माधोपुर, नोहर, मंडावा और बानूसर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है कि यह जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। कुछ मुद्दे इस सम्बंध में उन्होंने इस सदन में उठाये। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं है उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी के नियुक्त करने की योजना बाड़मेर में भी लागू की जाये। अभी यह योजना केवल उन्हीं पंचायत समितियों में लागू है जहां कि इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है इस मुद्दे को भी मैं उस कमेटी को सौंप रहा हूं और वह टर्म्स एण्ड रेफरेन्स का मुद्दा रहेगा कमेटी के सामने।

सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक खास बात कही कि चुनाव स्थगित क्यों किये गये। अगर आप मूल परिवर्तन भी इसमें करना चाहते हैं पंचायती राज के थ्री टायर सिस्टम में, वह बाद में भी किया जा सकता है और चुनाव पहले करवा दिये जायें और उन्होंने चुनाव कराने का सुझाव दिया और वह यह दिया कि अभी जून में ही चुनाव करा दिये जायें। इससे मैं सहमत नहीं हूं और सहमत इसलिए नहीं हूं कि पंचायती राज के वर्किंग में और जो अलग अलग बाडीज् हैं इनके राइट्स और फंक्शन्स क्या होने चाहिए उनकी सीमा, काल और रूप क्या होना चाहिए इस पर जनरल रिव्यू करने की आवश्यकता यहां पर ही केवल महसूस नहीं की गयी है बल्कि भारत सरकार ने भी इसको महसूस किया है। इसका मतलब यह है कि जैसा

(श्री परसराम मदेरणा)

कि वानसूर से आने वाले माननीय सदस्य का सजेशन था कि पंचायतें तो आप रखिये उनको तो समाप्त नहीं की जा सकती और पंचायत समितियों और जिला परिषदों की कोई उपयोगिता नहीं रहती है इसलिए उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कल वैर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि ग्राम पंचायतें रखी जायें और जिला परिषदों को और मजबूत बनाया जाये और पंचायत समितियों को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए। इसके अलावा और भी किन्हीं माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि पंचायत समितियों और पंचायतों को समाप्त कर दिया जाये और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल इनकी जगह पर बना दी जायें। अलग अलग माननीय सदस्यों के अलग अलग सुझाव यहां प्रस्तुत हुये हैं इसलिए यह जो कमेटी है यह सभी मामलों पर विचार करेगी और जब विचार करेगी तो उसका मतलब यह होगा कि पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट में और राजस्थान पंचायत एक्ट में मूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, काम्प्रेहेन्सिव अमेन्डमेन्ट्स करने पड़ेंगे। अगर वह अमेन्डमेन्ट्स करने पड़ेंगे तो चुनावों के बाद इस तरह के अमेन्डमेन्ट्स करते हैं क्योंकि चुनावों के पूर्व में भी संशोधन किये जाने चाहिए मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही और इसी प्रकार से वानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने चुनावों में बड़ी भारी पार्टीबाजी हो गयी है इसलिए इसमें परिवर्तन करना चाहिए। और इससे राजनीति को दूर रखा जाये और माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का मानना है कि इसको राजनीति से दूर रखा जाये। मैं चाहूंगा कि कमेटी उस पर भी विचार करे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि थ्री टायर सिस्टम में क्या है। चुनावों के क्या तरीके हों, उनके फंक्शन्स और राइट्स क्या हों मैं समझता हूं कि यह बड़ा डीनोवो थिंकिंग चल रहा है इसलिए कानून में मूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए चुनावों के बाद फैसला लिया जायेगा तो तमाम सिफारिशें राज्य सरकार मान भी लेती है तो सब बेकार हो जायेगा। इसलिए चुनावों के पोस्टपोन करने की आवश्यकता पड़ गयी।

दूसरे चुनावों का एक तरीका है। जैसा कि मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि चुनावों के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए। इलेक्टोरेट्स बदलने चाहिए क्योंकि आज का जो सिस्टम है उसकी वजह से द्वेष बढ़ता है, पार्टीबाजी बढ़ती है और गांवों में टुकड़े होते हैं और ग्रूपिज्म की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। अगर यह चीज है तो चुनाव की प्रणाली में कोई संशोधन किया जाता है तो पहले चुनाव हो जाते हैं तो फिर चुनाव प्रणाली में परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? अगर कमेटी कहती है कि जिला परिषदों को मजबूत बनाया जाये जैसा कि आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं तो इसका मतलब यह है कि आज जो मतदाता हैं और उनके सामने जो रूप है उसमें परिवर्तन हो जाता है तो जनता गलत फैसला कर सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि कानून में परिवर्तन करने के बाद यह चुनाव कराये जायें। किसी उम्मीदवार को मतदाता चुनना पसन्द करेगा और किस पोस्ट के लिए करेगा अगर आज अधिकार उसको दे दिया जाता है--एक आदमी को

(श्री परसराम मदेरणा)

उपयुक्त समझते हैं–वह माननीय सदस्य यहां है नहीं। शायद बैर से आने वाले माननीय सदस्य को वह प्रमुख बनाना पसन्द करें नहीं करें, तो परिवर्तन के बाद फिर कर सकते हैं भरतपुर की जनता। तो यह प्रश्न भी राज्य सरकार के सामने है और अगर उनके पास में ज्यादा शक्ति है, आज अधिकार दे दिये जाते हैं और आर्थिक आधार

(4.1 / म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

आधार पर वह यूनिट बन जाते हैं तो खड़े होने वाले उम्मीदवार और उनकी पार्टी की बात तो माननीय रामनारायण जी ने कही अभी। पार्टीबाजी के लिए प्रधान जिम्मेदार हैं, तो जहां चुनावों की प्रणाली है वहां दो ग्रुप होना स्वाभाविक हैं। अब कैसे पार्टीबाजी नहीं रहे और कानून के जरिये हम कैसे रोक सकते हैं इसके संबंध में मैं आपसे अलग अलग बात करूंगा ऐसा भी कोई कानून बनाया जाये कि कोई पार्टी पंचायतों के चुनावों में प्रचार के लिए नहीं जाये तो जो जो पार्टियां हैं उनके आदमी गांव गांव में बैठे हैं। अभी लोकसभा के मध्यावधि चुनाव थे तो उनका डिस्कशन हर वार्ड में हो रहा था और जनता के बीच में हो रहा था तो फिर कैसे पॉलिटिक्स को अवोइड किया जा सकता है, अभी तक तो यह हमारे समझ के बाहर है। फिर भी मैं चाहूंगा कि गांवों में पंचायतों की स्थापना की वजह से पार्टीबाजी हुई है तो सब पार्टियां बैठ कर कोई कोड आफ कन्डक्ट अख्तियार करें तो फिर कानून के बारे में सोचा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर जो दल बदलते हैं उसके बारे में कानून बनाया जाय तो कैसा कानून बनाय जाय इसके बारे में उनके यहां चिन्तन चल रहा है। कानून से क्या होगा मोरल सैन्क्टिटी होना चाहिए। कानून में पाबन्दी रह जायगी और कानून रह जाता है लेकिन जनमत नहीं है तो उसकी अवहेलना की जा सकती है। तो मेरा निवेदन यह था कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य के सुझाव को मानने में मैं असमर्थ हूं कि चुनाव अभी करा दिये जायं। अभी कराने में जितनी दिक्कतें राज्य सरकार के सामने हैं वे यह हैं कि अभी राजस्थान विधान सभा का सत्र चल रहा है सैशन एडजर्न होगा और 8, 10, 20 दिन के बाद में वोट ऑन एकाउन्ट होने के बाद में असेम्बली में फिर बैठना पड़ेगा महीने भर के भीतर भीतर तो जून के महीने में इलेक्शन करा दें तो जून के महिने में डेजर्ट एरिया में इलेक्शन होना मुश्किल है। मतदाता दूर दूर रहते हैं और गर्मी के कारण चुनाव होना मुश्किल है।

मैं एक निवेदन कर दूं कि जो अधिकार राजस्थान सरकार अपने पास में ले रही है, और वह मेरे ख्याल से प्रोमलगेट करने के बाद में दो साल में से डेढ़ साल की अवधि तो चली गई है। टाइम टू टाइम एक्सटेन्ड करने के पावर्स थे तो गवर्नमेंट ने टाइम एक्सटेण्ड कर दिया था जो कि एक्सपायर्ड हो गया जनवरी, 71 में तो दो साल का जो राज्य सरकार ने टर्म बनाया है तो एक्चुअली एक साल का ही बढ़ाया है और यदि विधान सभा के चुनाव किसी कारण से जल्दी हो जाते हैं तो उस कमेटी की रिपोर्ट मंत्रि मण्डल के सामने अक्तूबर तक वह आ जाती है तो उसके कानून में संशोधन का

(श्री परसराम मदेरणा)
समय मिल जाता है तो जल्दी करवा देंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यह बहाने की बात कही जाती है वह बहाने की बात नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कमेटी बनाई थी तो किसने मना किया था कि मियाद खत्म . .

श्री परसराम मदेरणा : तीन साल के बाद बहुत पानी ऊपर आ गया है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : आपने कमेटी को कान्स्टीट्यूट क्यों नहीं किया। हम बार बार कहते रहे हैं कि पंचायतों में खराबियां हैं और आपमें कहते हैं और चुनावों के करीब करीब एन टाइम पर कहते हैं कि दो साल की मयाद बढ़ा दी जाय . .

श्री परसराम मदेरणा : आप लोगों का सुझाव भी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने कोई सुझाव नहीं दिया।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुद्दे उठाये है कि बलू की आबादी बढ़ गई है। यह बात तो सही है कि 1961 की सेन्सस से आज वहां की जनसंख्या में परिवर्तन हो गया है। इस बारे में माननीय सदस्य ने एक प्रश्न भी पूछा था और यह पंचायतों के परिसीमन का मामला है यह भी एक मुद्दा है जिस पर मैं विचार कर रहा हूं। बलू के बारे में एक छोटी सी बात है और मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऐसा करवाया है मिलजुल कर ताकि उनका बहुमत हो जाय . . .

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मामराज नाम का चौधरी था उसने अपने गांव के पास एक मील दूर गांव को नहीं लगवाया और पांच कोस यानी 8 मील दूर पर लगाया है।

श्री परस राम मदेरणा : मैं कलेक्टर से इसकी टिप्पणी मंगाकर देखूंगा और डिलिमिटेशन कमेटी बनी हुई है वह इस बारे में सोच सकती है। रेवेन्यू बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वे उसके चेयरमैन हैं। मामराज चौधरी कौन सी पार्टी के थे पंचायतों का गठन हुआ था तो आप भी कांग्रेस में थे।

श्री रामचन्द्र आर्य : हंसराज ने करवाया है। कई गांव इधर के उधर करवाये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हंसराज जी और आप उसी पार्टी के मेम्बर थे।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं हमेशा से हंसराज के खिलाफ था।

श्री परसराम मदेरणा : वैसे खिलाफ होंगे लेकिन थे तो उसी पार्टी में।

जिलाधीश को सरपंच के हटाने की बात कही है तो इस तरह के आदेश जिलाधीश को नहीं दिये गये हैं लेकिन जब कभी भी किसी सरपंच के खिलाफ जो आरोप लगाये जाते हैं तो उन आरोपों से राज्य सरकार अगर सेटिसफाइड हो जाती है . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बात नहीं है मैं खुद सरपंच हूं। आपको मालूम नहीं है। मुझे भी कलेक्टर की दो-तीन चिट्ठियां मिली हैं कि आपको धारा 10 के अन्दर क्यों न सस्पेन्ड कर दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं लेकिन कानून के मामले में मैं भी कुछ समझता हूं। रूल 11 में प्रावधान है कि गवर्नमेन्ट सेटिसफाइड हो जाती है कि आरोप प्रमाणित है और एक बार चान्स दिया जाता है 11 रूल के अन्दर और कलेक्टर नोटिस देता है और उसका जवाब लेकर उसके पास भेजता है। उसको खुद को हटाने के इख्तयार नहीं दिये गये हैं।

चेनाराम के बारे में आपने लम्बी-चौडी बातें कही हैं। चेनाराम के बारे में 3-4 घटनाओं की चर्चाएं हुई हैं और उसके खिलाफ आरोप हैं तो एक पेशी 27-3-71 पर मेरे यहां लगी हुई है और जिस वक्त मैं उसकी सुनवाई करता हूं तो मेरी दूसरी हैसियत होती है, और जो कुछ चर्चाएं यहां पर हुई हैं इसका असर मेरे पर नहीं हुआ है। अगर मैं इससे प्रभावित हो गया तो इन्साफ कैसे कर सकता हूं। जो कुछ बातें आपने कहीं चार्जेज का जहां तक ताल्लुक है ...

श्री रामचन्द्र आर्य : चेनाराम के नाम से प्रभावित नहीं हो सकते हैं क्योंकि वह आपके बस की बात नहीं है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : इतनी हिम्मत आप में कहां कि उसके खिलाफ एक्शन ले सकें।

श्री परसराम मदेरणा : न्याय पंचायत का अलग से कर्त्तव्य है। यह भी नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ...

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : बीच बीच में अलग अलग प्रश्न करने से व्यवस्था बिगडती है। ये उत्तर दे दें और फिर सब्सीक्वेन्टली क्वेश्चन करें तो ठीक रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं भी यही चाहता हूं।

जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि यह मामला भी कमेटी को सौंप रहे हैं। यह मुद्दा होगा रेफरेन्स का। इसलिए मुझे इस पर और कुछ कहना नहीं है। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है।

बैर से आने वाले माननीय सदस्य अभी सदन में उपस्थित हैं उन्होंने कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस बोलने में माहिर हो गई है। उनका हमेशा विद्वत्तापूर्ण भाषण होता है, वे बोलने में माहिर हैं। उनके क्वेश्चन का ढंग भी बडा वैसा होता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत वाचाल हो गई है और वाक्चातुर्य में कमाल हासिल कर लिया है। एक बात में तो आपने कांग्रेस की प्रशंसा की उसके बारे में मैं अब तक गलतफहमी में था। अब तक मैं यह समझता था कि इस पूरे सदन में अगर कोई वाचाल है, वाक्चातुर्य अगर किसी के अन्दर है, किसी चीज को तोड-मरोड कर कहने की कला यदि किसी में है, उसमें निष्णान्त यदि कोई है तो आप हैं। कांग्रेस को आपने अपने कम्पीटिशन में रख दी है, लेकिन उसका उदाहरण सामने नहीं आया है। सदन में जो आपके बोलने का तरीका है, जिस स्वर-सिद्धि के साथ आप बोलते हैं, पुरजोर भाषा में बोलते हैं, और जो एक्सप्रेशन पर आपका कन्ट्रोल है, मैं समझता हूं कि हमारे कांग्रेस के किसी आदमी में नहीं है। लेकिन आपने एक सुझाव दिया कि जिला परिषद् को मजबूत बनाया जाय ...

श्री मनोहरसिंह मेहता (गांडलगढ़) : इसलिए कहा गया कि खुद प्रमुख हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस रेफरेन्स में यह मुद्दा रखा है। राज्य सरकार भी इस बात को महसूस करती है कि जिला परिषद् को एक स्टेज पर मजबूत बनाना पड़ेगा।

मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही · · ·

श्री रामकिशन (वैर) : शराब वाली बात होगी।

श्री परसराम मदेरणा : आपने बड़ी वेदनापूर्ण भावना से बात कही · · ·

मेरा कभी यह आशय नहीं था कि पंचायत समिति के सम्बन्ध में जांच नहीं करनी चाहिये। आपने कहा था कि एक जांच कमेटी बना दी जाय। मैंने दो आदमियों की एक कमेटी बना दी है। यह कमेटी उन फार्मों की उपयोगिता के बारे में जांच करेगी। उन फार्मों की उपयोगिता क्या है ? गवर्नमेंट फार्म्स हैं और पंचायत समितियों के फार्म्स हैं, उनकी उपयोगिता क्या है ? सीड प्रोडक्शन में वह आगे बढ़े हैं या नहीं ? वास्तव में काश्तकारों ने फायदा उठाया है या नहीं? इसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे देनी चाहिए। वह कुछ जिलों से आ गई है। बाकी के लिये मैंने जल्दी ही भेजने के लिए कह दिया है। यदि उनकी उपयोगिता नहीं है तो उनको नीलाम किया जाय। मैं समझता हूं कि इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव जनमत जानने के हेतु रखा गया है, उसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर) : सभापति महोदय मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो प्रारूप जिला परिषदों का रखा था, उसमें क्या क्या परिवर्तन किया जाय इसके सम्बन्ध में सादिक कमेटी की एक रिपोर्ट थी। मैंने कल भी भाषण में कहा था कि कृपया सादिक कमेटी के बारे में बतायें कि क्या वह खटाई में पड़ गई है ? क्या उस रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है ? या अस्वीकार कर दी है ? नया कमीशन क्यों बैठाया जायगा ? एक हाई पावर कमेटी ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट दी थी। आंध्र, गुजरात और कई प्रदेशों का दौरा करके वह रिपोर्ट दी थी। वर्तमान में उससे क्या लाभ नहीं हो सकता है ? इस प्रकार कल मैंने कहा था।

श्री सभापति : कल आपने जो जो कहा था उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जो पुनर्सीमन कमीशन बिठाया था, उसका मन्त्रि मण्डल ने कब निर्णय लिया ? मन्त्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है। कृपया दोनों उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री परसराम मदेरणा : सादिकअली रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन सन् 1965 में पेश हुई थी और उसके बाद में काफी परिवर्तन हो गये हैं। न्याय पंचायत जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक में मिल जायें। न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों को एक कर देना चाहिए। लेकिन सादिक अली रिपोर्ट में उनको अलग अलग रखने की सिफारिश की गई है। दूसरे जैसा कि वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है · · ·

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह प्रमुख भी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन उनकी प्रमुख बनने की इच्छा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : रामकिशन जी की नहीं होगी तो उनकी पत्नी की होगी।

श्री परसराम मदेरणा : सादिक अली कमेटी ने भी कहा...

श्री रामचन्द्र आर्य : गांधी जी ने तो यह कहा था कि शराब नहीं रहनी चाहिए, आप ने बंद कर दी ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं गांधी जी...

श्री रामचन्द्र आर्य : सादिक अली कमेटी का कहना था इसलिए आपने मान लिया, यह बार बार आप कहते हैं। गांधी जी का कहना कितना माना ?

श्री परसराम मदेरणा : गांधी जी ने जो कहा था उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। वह बहुत बड़े आदमी थे। उनका नाम हम नहीं ले रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971 को तीन माह/एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

अस्वीकृत

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां संशोधन विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाये ?

स्वीकृत

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2, खण्ड 2, 3, 4/पर आप के संशोधन प्रस्ताव हैं। वह एक ही हो गये हैं।

श्री रामकिशन : आप सारे में लगा रहे है मतलब को। इससे सारा गड़बड़ हो जाएगा।

श्री सभापति : श्री केसरी सिंह हाडा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : पहले मेरा है।

श्री सभापति : आप बोल लीजिए।

श्री रामकिशन : आप का क्या है ?

श्री सभापति : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरे संशोधन यह है।

खण्ड 2

"चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "three years" शब्द "One and a half years" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।

खण्ड 3

"चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द " three years" शब्द "One and a half years" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।

खण्ड 4

"चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "three years" शब्द "One and a half years" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।

पहले ही यह कार्यकाल पूरा हो चुका था,

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

इसलिए मंत्री महोदय ने और कारण बताते हुये जनमत जानने के लिए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और चाहते हैं कि पंचायत समिति, जिला परिषद् और ग्राम पंचायत इनका कार्यकाल बढ़ाया जाये। चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, इस बात पर सभी एक मत हैं कि जो पंचायत समितियां हैं उनके पास कोई काम नहीं है। यह तनख्वाह में ही धन खर्च होता है या जीप इधर उधर जाने में खर्च होता है। तो कम से कम टू टायर तो समाप्त कर दें। पंचायत समितियों का जैसा कि पहले बी. डी. ओ. थे, उसी रूप में ब्लाक कमेटी बनायें। बी. डी. ओ. जैसे पहले सरपंचों की मीटिंग बुलाया करता था और मीटिंग में निर्णय लेकर विकास प्रोग्राम पूरे करने की जिम्मेदारी विकास अधिकारी की होती थी। यदि पंचायत समितियों को समाप्त कर दिया जाता है तो मैं यह समझता हूं कि उसी प्रकार कार्य चलाया जा सकता है। आप के पास अध्ययन दल और डीलिमीटेशन कमेटी की रिपोर्ट पूरी होकर आये तब तक इन दोनों को समाप्त किया जा सकता है। रामकिशनजी कुछ बुरा न मानें। जैसा कि वह पहले काम करते थे, उसी तरह से काम कर सकते हैं। फिर प्रश्न रहा पंचायतों के समय के बारे में कि कितना समय बढाया जाये। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें एक साल की जगह 3 साल कर दें। खण्ड 3, 4 पंचायत समिति और जिला परिषद् का कार्यकाल की सीमा आती है। तो इसको 6 महीने बढ़ायें और नही बढ़ायें। सभापति महोदय, मैं तो यह मानकर चलता हूं यह जो प्राकृतिक प्रकोप की परिस्थितियां हैं, इसमें मान लीजिए कि हमने तीन वर्ष बढ़ा लिए और तीन साल समाप्त होने को आये, और मान लीजिए कि उस समय प्राकृतिक प्रकोप हो गया तो फिर आप कहेंगे कि तीन साल के बजाय पांच साल कर दें। तो प्राकृतिक प्रकोप का बहाना लेकर समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक तरफ तो आप यह बात कहते हैं कि पंचायत राज्य संस्थाओं को राजनीति से दूर रखा जाय, दूसरी तरफ राजनैतिक कारणों से समय बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि इस समय सत्र चल रहा है, यह सबसे बढिया समय है। यहां पर सत्र चलता रहे, सब लोग यहां पर हों और वहां चुनाव होता रहे। क्योंकि इस समय सत्र चल रहा है, इसलिए चुनाव नहीं करा सकते इसके लिए यह बहाना आप बना रहे हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह बात इस बात की पुष्टि करती है कि हम इस बात की अभिरुचि रखते हैं कि गांवों में जाकर पंचायत चुनावों में उलझें और अपने अपने प्यादे लाकर वहां बैठायें। ऐसी स्थिति भी मान लें तो अप्रेल में यह सत्र समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मई में चुनाव कराने में क्या दिक्कत आती है। छः महीने का इसीलिए मैंने संशोधन रखा है, इसको मानने में राज्य सरकार के सामने किसी प्रकार की कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, सिवाय इसके जैसी कि अभी दलील दी है कि हम यह चाहते हैं, पंचायत का क्या प्रारूप हो, क्या कार्य क्षेत्र हो, कौनसी प्रणाली अपनाई जाय, कौनसे टायर को समाप्त किया जाय, किस को बढ़ाया जाय और किसको और अधिकार दिए जायं, किसको समाप्त किया जाय, इस सारे के अध्ययन के लिए आप एक कमेटी मुकर्रर करना चाहते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इसकी रिपोर्ट भी

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

राज्य सरकार के सामने आ जाय और मंत्रि मण्डल उस पर विचार कर लें और कानून में नया संशोधन कर लें और फिर चुनाव करायें। तो इसके लिए अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि आपको चाहिए। इसलिए मैंने सुझाव दिया है, छः महीने का सुझाव दिया है, उसमें मैंने यह उद्देश्य रखा है कि छः महीने के अन्दर अन्दर ग्राम पंचायतों के पक्षपात बिना चुनाव करा दिए जायं। अथवा जो खण्ड दो है इसमें थ्री ईयर का जो संशोधन है वह वैसा का वैसा रख लिया जाय, लेकिन खण्ड तीन और खण्ड चार में पंचायत समितियों और जिला परिषदों का समय बढाने का जो संशोधन है, इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अभी मौका है, अभी इन दोनों टायर को समाप्त किया जा सकता है। इससे विकास का काम रुकने वाला नहीं है। अभी इस अधिनियम में ऐसा संशोधन कर लें और बाद में जिस प्रकार का प्रावधान लायें और जो स्वरूप इन दो टायर को देना चाहें उसके अनुरूप उस समय उन्हें पुनः स्थापित कर चुनाव करा लीजिये। ऐसी स्थिति में मैंने यह संशोधन रखा है कि खण्ड दो में थ्री ईयर के बजाय हाफ ईयर रखा जाय, तथा खण्ड 3 और खण्ड चार में थ्री ईयर हैं, उसके बजाय वन एण्ड हाफ ईयर रखा जाय, ताकि एक साल का समय तो पूरा होने को आया, अब और छः महीने की अवधि के अन्दर यह चाहें पंचायतों के चुनाव करवा सकें, पंचायत समितियों के चुनाव हो सकें, जिला परिषदों के चुनाव हो सकें और सारा कार्य सम्पादित हो सके। सभापति महोदय मैं बतलाऊं, यह आवश्यक है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक दो व्यक्ति रोडावद के आये, उन्होंने बताया कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल्कुल निष्प्राण होकर कार्य कर रही हैं। जनता का सरपंचों में विश्वास नहीं है, पंचों का प्रधान में विश्वास नहीं है। यही हालत जिला परिषदों की है। इतना बड़ा आज आर्थिक संकट आया हुआ पड़ा है। मैं यह मान कर चलता हूं कि इस प्रकार की स्थिति में ख्वामख्वाह इनको जनता पर नहीं लादा जाय और जितना हो सके इनको समाप्त कर दें इन दोनों इकाइयों को, यह उतना ही अच्छा है। सरपंचों का जहां तक प्रश्न है, कोई जनता की सेवा करने के पक्ष में नहीं है। मैं सदन के अन्दर मेरे क्षेत्र के एक दो उदाहरण बताऊं। एक सरपंच ने स्वयं कृषि उत्पादन समिति बनाई, खुद उसका चेयरमैन है और कुछ फर्जी आदमियों की तरफ से दर्ख्वास्त दे दी कि हमें पीने के पानी के कुएं के लिए तीन हजार रुपये दिये जायं। सभापति महोदय, स्वयं ने बैठ कर उसको स्वीकृत कर दिया और स्वीकृत कर के अपने खुद के खातेदारी के खेत में कुआ बनवा लिया। जब यह बात लोगों को मालूम पड़ी कि इसने अनुदान की राशि से, जो हमारे नाम से आई, हरिजनों के नाम से आई, उससे कुआ बनवा लिया है तो इसकी शिकायत की गई, एस. डी. ओ. और बी. डी. ओ. ने बैठ कर इस मामले की संयुक्त जांच की और अपनी रिपोर्ट जिलाधीश के पास भेज दी थी कि यह आरोप सत्य पाया गया। जिलाधीश ने राज्य सरकार को लिखा कि इसको सस्पेन्ड कर दिया जाय और इसके खिलाफ क्रिमिनल केस बनाया जाय, मिसन एप्रोप्रियेशन और चीटिंग का और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

किया जाय। लेकिन मदेरणा साहब ने क्या किया। उससे कहा कि तुम लिखकर दे दो कुएं में कितनी जमीन आई हुई है, उसको छोड़ दो, उसको सिवाय चक कर दो। उसको उसकी खातेदारी में से निकाल दिया और मामला हशअप कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि उसको जमीन मुफ्त में दे दी और कुआ भी ऐसी जगह बनाया गया, जो गांव से एक मील दूर है, जहां किसी आदमी के लिए जाना आसान काम नहीं है। अब उस कुएं से सिंचाई हो रही है। वह कुआ अनुदान की राशि से बना हुआ है और उस जमीन का लगान और माफ हो गया है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इससे बड़ा उदाहरण अनियमितता का क्या हो सकता है। इस मामले में कलेक्टर महोदय ने यह तजवीज की थी कि क्रिमिनल केसेज में इस जन प्रतिनिधि को एनटेन्गल किया जाय। लेकिन कलेक्टर की इस रिकमन्डेशन में वे इन्ट्रेस्टेड नहीं हुए लेकिन मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति से तीन हजार रुपया पीनल ब्याज के साथ में ले लिया जाय। इस रिकमन्डेशन को आपने समाप्त क्यों किया। यह तो एक सरपंच का उदाहरण है और विकास अधिकारी का उदाहरण मैं आपको बताऊं। खण्डार के विकास अधिकारी का मामला है, उनको चार महीने के अन्दर मदेरणा महोदय ने आठ बार ट्रान्सफर किया है। उसके लिए कहा गया तो प्रधान से कहा, प्रधान कांग्रेस में मिले तो ट्रान्सफर कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। वह कांग्रेस में मिल गया तो अन्तिम बार उसको फिर कैन्सिल कर दिया। दो महीने गवर्नमेन्ट होस्टल में बैठ कर बी. डी. ओ. आनन्द करता रहा। इसी प्रकार से सवाई माधोपुर पंचायत समिति में आठ बार हुआ है, एक गया, एक ट्रान्सफर करवा लाया दूसरा गया, उसको कैंसिल करवा लाया। तीसरा गया, फिर करवा लाया और चौथा गया वह कैंसिल करवा लाया और इस तरह से पंचायत समिति का सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव है उसको नहीं माना है। यह ठीक है, आपके हाथ में शक्ति है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप नारा तो विकेन्द्रीकरण का लगाते हैं, लेकिन दरअसल आप सारा विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं। जिस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है वह ड्यूअल फार्म आफ गवर्नमेंट है। किसी पंचायत समिति में एक अधिकारी को भेजेगी राजस्थान सरकार लेकिन पंचायत समिति किसी कारण अगर उस अधिकारी को वहां से हटाने वाली नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के हमारे सामने उदाहरण आए हैं, जिससे मैं यह मान कर चलता हूं कि वास्तव में पंचायत समिति और जिला परिषद्–इन दो टायर्स को समाप्त कर देना चाहिए और जितना शीघ्र समाप्त करें उतना अच्छा होगा। वर्तमान में सिवाय इसके कि पालिटिकल प्रभाव किस पार्टी का कायम रहे और कुछ नहीं होता। क्षेत्र के विकास का जो काम है वह आज की स्थिति में नहीं हो रहा है। इसलिए दो साल के लिए कार्यकाल आप बढ़ाना चाहते हैं जब कि पांच वर्ष के अन्दर विधान सभा के इलेक्शन होते हैं, मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में पंचायत राज के सम्बन्ध में अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है, जिससे राज्य सरकार को इतना डिस्क्रिशन मिला हो कि अपने डिस्क्रिशन से तीन साल तक अवधि बढ़ा

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

सकती है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए राजस्थान सरकार को जो भी डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है, हम इस बात को जानते हैं कि उनका क्या दुरुपयोग यह करती है। जब कभी किसी बात को टेस्ट करके, विचार करके सदन सरकार को पावर देता है, और सरकार पर विश्वास करता है उस विश्वास के प्रति इस सदन के साथ में सरकार धोखा करती रही है। इस स्थिति में निवेदन करूंगा कि मैंने जो संशोधन रखा है कि खन्ड दो, तीन, चार में जहां कहीं वर्डस 'थ्री ईअर' आये हैं उनकी जगह 'वन एण्ड हाफ ईअर' स्थापित किया जायं। यही मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : श्री केशरीसिंह हाड़ा।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जो पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक सदन के सामने रखा है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, यह विधेयक 1953 में इस सदन द्वारा पास किया गया था, उस समय इसमें पंचायत का कार्यकाल तीन वर्ष का रखा था और समय समय पर अवधि बढ़ाने का सरकार को अधिकार एक वर्ष का दिया गया। गत वर्ष ही सरकार ने उस तीन साल की अवधि को बढ़ा कर पांच साल कर दिया। उस वक्त मेरा संशोधन था, जो प्राविजो एक साल की अवधि बढाने का सरकार के हाथ में है वह निरस्त कर दिया जाय, हटा दिया जाय ताकि तीन वर्ष पूर्व की अवधि और दो वर्ष का अधिकार मिला कर सरकार को पांच साल तक बढ़ाने का अधिकार न मिल जाय। उस वक्त माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि पांच साल से इसकी अवधि हम किसी हालत में नहीं बढ़ायेंगे, लेकिन पहले कही हुई बात से अब बदल गये हैं और अब फिर सदन के सामने आ गये हैं कि साल भर की अवधि को भी तीन साल कर दिया जाय। इसका एकमात्र कारण यह है कि राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी अपने दल विशेष को शक्तिशाली और जनता पर छाए हुए रखना चाहती है। पंचायतों के चुनाव और पंचायतों व जिला परिषदों का गठन 1964 में हुआ। उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुए। न चुनाव कराने की नीयत रही, न चुनाव कराने की इच्छा। समय समय पर कभी अकाल के नाम पर, कभी जैनियों के धार्मिक समारोह के कारण पोस्टपोन किए। अब कहते हैं कि रिपोर्ट तैयार हो रही है, उसमें संशोधन आयेंगे, जिन पर राज्य सरकार विचार करेगी और उसके बाद चुनाव कराए जा सकते हैं।

सदन को मालूम नहीं कि किस प्रकार के संशोधन आ रहे हैं। अगर वह हमें मालूम होते या राज्य सरकार आश्वासन दे कि जो जो संशोधन सरकार के समक्ष हैं उन पर विधान सभा सदस्यों का भी राय ली जाएगी तो उपयुक्त रहता। जिस प्रकार चुनाव की प्रणाली पंचायत समितियों और जिला परिषदों की है, वह बहुत ही बुरी है और घातक है। मामूली आदमी प्रधान का चुनाव लड़ ही नहीं सकता। पहले तो केवल कुछ सरपंच मिल कर ही प्रधान का चुनाव करते थे और सारे जिले के सरपंच मिल कर ही प्रमुख का चुनाव करते थे। एक परिवर्तन लाया गया और सरपंचों के साथ साथ

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

पंचों को भी अधिकार दिया गया कि वह भी प्रधान चुनने में अपनी मदद दे सकते हैं। तो 1964 में यह प्रणाली लागू की गई और सरपंचों के अतिरिक्त पंचों ने भी मदद दी। मैंने स्वयं ने यह चुनाव लड़ा प्रधान का, मगर अनुभव यह हुआ कि विधान सभा का चुनाव लड़ना अच्छा मगर प्रधान का चुनाव लड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि एक तरफ तो सत्ता है और दूसरी तरफ साधारण आदमी, किसी हालत में मुकाबला नहीं कर सकता। जब सरकार इसमें संशोधन ला रही है तो मेरा भी सरकार को सुझाव है कि जिस प्रकार सरपंचों का चुनाव होता है इसी के साथ साथ प्रधान और प्रमुख के चुनाव भी साथ साथ हो जाएं तो सरकार का खर्चा भी बचेगा, परेशानी भी बचेगी और समय भी बचेगा। सब के साथ साथ चुनाव हो जाएं तो उपयुक्त रहेगा।

मैं निवेदन करूं कि सरकार द्वारा इतना लम्बा समय पंचायतों को देने से उसका जन-मानस पर क्या असर पड़ा? सरपंचों पर क्या प्रभाव पड़ा? वह यह कि जनता तो यह समझ गई कि सरपंचों का चुनाव होगा ही नहीं, जैसे पहले पट्टे दिये जाते थे कि तुम इसको खाओगे-पिओगे। इस प्रकार सरकार ने सरपंचों को पट्टा दिया कि जब तक हम शासनारूढ़ हैं, जब तक कांग्रेस का राज्य है, तुम सरपंच बने रहो, खाये जाओ, जनता को लूटे जाओ। मैं अपने कहने के प्रमाण में दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। सरपंचों ने बहुत से गबन के कार्य किए, मैं सबके लिए नहीं कहता....

श्री रामकिशन : बूंदी जिले के हैं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : हां, तो उनके खिलाफ भी सरकार कार्यवाही करने को तैयार नहीं। खाद के नाम से, बीजों के नाम से बीज ले लिया लोगों के देने के नाम पर, फर्जी नाम दर्ज करवा दिए, मगर वसूली नहीं हुई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय समाप्त हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जब तक बिल पारित न हो जाए तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : आज की लिस्ट आफ बिजनेस में जो कार्यवाही है, संपूर्ण कार्य समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

कई माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिल पारित होने तक।

श्री सभापति : यह विधेयक पारित हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, देई के सरपंच ने 28,000) का गबन कर लिया, कृषि विभाग से जो बीज आया था, वह न मालूम कहां गया। न तो सरकार उसको हटा सकती है न कार्यवाही कर सकती है। बहुत से ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने पैसा खाकर जनता को परेशान किया और यहां तक कि मैंने प्रश्न किया था और सरकार ने उसका उत्तर दिया कि अब तक राजस्थान में खाद और बीज पर कितना

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

बकाया है। उसके आंकड़े मुझे मिले हैं, 15,09,06,097 रुपए का बकाया चल रहा है। अब एक बात सोचें कि जो सरकार सरपंचों को कायम रखना चाहती है उसी की खूबी है कि 15 करोड़ रुपए का भार आज जनता पर लादा गया है। यह पैसा नहीं आएगा, खाया पीया-मौज उड़ाई और सरकार इसको वसूल नहीं करेगी और राइट आफ किया जाएगा। यह बात मैं अपनी आज सदन में रखता हूं क्योंकि न तो कागजों का पता लगेगा, फाइलें नहीं मिली हैं कि किसको दिया कहां गया, कुछ नहीं कह सकते। तो इस सरकार ने राज्य में सरपंचों को इतनी छूट दी कि जो चाहे वह कर सकें और जो खायें खा सकते हैं, कोई कहने वाला नहीं। इसलिए जो सरकार ने यह कार्यकाल तीन साल तक बढ़ाने का संशोधन रखा है उसको सदन मंजूर न करे। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का अवसर ले ले। सरकार इसके अन्तर्गत ही पंचायतों के चुनाव करवा दे, सही तस्वीर राजस्थान की जनता के सामने रखे। जो ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने अब तक भ्रष्टाचार फैलाया, पैसा खाया, उनको चेक किया जाए वरना उनके ही बलबूते पर सरकार चल रही है। सरकार चाहती है कि इनके बलबूते पर चुनाव लड़े और 1972 के चुनाव भी सरकार टालना चाहती है, यह नीयत बहुत खराब है और मैं चाहूंगा कि सदन ध्यान दे और समय न बढ़ाये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय, मारवाड़ी में कहा जाता है कि "चार लाठी चौधरी, पांच लाठी पंच" तो राजस्थान में विजय हो गई।

जवाहर लाल जी ने पंचायती राज का दीपक जलाया था सन् 1959 में। आज उसी दीपक नीचे अंधेरा है। यह नेहरूजी को उम्मीद नहीं थी कि अमरसिंह राठोड़ की वीर भूमि में इस प्रकार की धांधली होगी।

(व्यवधान)

इस दीपक में तो आप जैसे पतंगे जलते हैं।

सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि पं. जवाहरलालजी नेहरू को यह कभी उम्मीद नहीं थी कि इस पंचायती राज के अन्दर इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वाले लोग, सरपंच और प्रधान बन कर आवेंगे और वे पंचायती राज संस्थाओं को ही कमजोर कर देंगे और राजस्थान को खोखला कर देंगे। सैंकड़ों अधिकारी बेकार बैठे हुए हैं जब कि तहसीलों और एस.डी.एम. कोर्ट्स में उनकी आवश्यकता है। परन्तु पंचायत समितियों के हैडक्वार्टर्स पर जो लोग बैठे हुए हैं वे लोग ताश खेलते हैं, किसी प्रकार का काम नहीं होता है और हाजरी मांड कर बहुत से लोग चले जाते हैं। बी.डी.ओ. के पास काम नहीं, जीपों का मिसयूज होता है। पंचायत मंत्रीजी यहां हाउस में बिराजमान हैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि कृपा कर जीपों को पंचायत समितियों में एकदम बन्द कर दीजिये क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं है। 12 लाख का बजट था। मैं भी पंचायत समिति मकराना में सन् 1962 में प्रधान रह चुका हूं। काम भी किया है मैंने। परन्तु आज वहां उन जीपों

(श्री विजयसिंह)

की कोई आवश्यकता नहीं और आप आज भी इस प्रकार की पंचायत समितियों को चलाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिये आप, आपको पता चलेगा कि क्या हाल है। किस प्रकार मैंने काम किया था यह भी आपको पता चलेगा। घोटाला कभी नहीं किया और किया है यदि मैंने तो आपको चाहिये कि आप उसको सामने लाओ और जो कुछ चाहे आप दंड दो। किसी व्यक्ति के साथ सीमेन्ट और चद्दरों के लिये पक्षपात किया हो तो दावे के साथ कहता हूं कि मैं सदन को छोड़ कर चला जाऊंगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा कि मेरी टेबल पर एप्लीकेशन आयी उसकी उसको सीमेन्ट और चद्दरें न मिली हों।

श्री रामकिशन : आपके यहां तो अकाल पड़ता है, आपके यहां सीमेन्ट और चद्दर की क्या आवश्यकता है?

श्री विजयसिंह : आपके यहां तो केवल घास ही काटना होता है।

बहुत से ऐसे सरपंच हो गये हैं जो अपने आपको उस गांव का जागीरदार ही समझने लगे हैं। माननीय मनोहरसिंहजी बहुत चाहते हैं कि शराबबन्दी हो। मैं भी शराबबन्दी चाहता हूं। मैं कभी शराब नहीं पीता हूं। आपके धोली टोपी वाले लोग हैं जो शराब पीते हैं, यह मैं कहता हूं।

श्री रामकिशन : देशी शराब भी नहीं पीते हाथ की बनी हुई?

श्री विजयसिंह : न देशी और न विदेशी पीता हूं, न ताडी, न सुल्फा, न गांजा पीता हूं। भांग का भी नाम निशान नहीं।

एक माननीय सदस्य : भांग तो राम किशनजी खाते हैं।

श्री विजयसिंह : बहुत से लोग, सरपंच लोग पीकर गांवों में जाते हैं और मनमाने तरीके से लोगों पर जुर्माना करते हैं। एक ग्राम पंचायत है ताड़। वहां पर लोगों पर जुर्माने किये गये, भूमि से बेदखल करने की कोशिश की, उन्होंने कोर्ट की शरण ली। जिस पंचायती राज में लोग खुशहाल होने चाहिये थे आज वहां के लोग दुःखी हैं। आतंकित हैं। उन लोगों को मजबूर होना पड़ा है ऐसे सरपंचों के कारनामों को बरदाश्त करने के लिए। मकराना के पास झालरान बारहत है। मंत्री महोदय की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने वहां के सरपंच को सस्पेन्ड किया था। उन्होंने जरूर किया लेकिन वह हाई कोर्ट से स्टे ले आया। हाई कोर्ट ने वापिस उसको निलम्बित कर दिया और सरपंच पद से हटाने के आदेश दे दिये। मुझे दुःख है कि आज तक वह सरपंच से क्यों नहीं हटा। हजारों रुपयों के गबन का सवाल आ रहा है। पंचायतों की मीटिंग्स नहीं होतीं।

श्री शंकरसिंह : शराब धोली टोपी वाले नहीं पीते हैं आप लोग पीते हो।

श्री विजयसिंह : मिनिस्टरों के कमरों में भी शराब बिकती है। आपको यह पता ही नहीं। पोल क्यों खुलवाते हो?

(श्री विजयसिंह)

आप तो अपना ख्याल रखें। आपने तो वोट के समय में धर्म परिवर्तन दल परिवर्तन किया। आप भी कुछ कर सकते हैं यह हम नहीं मानते। इसलिए आप तो केवल अपने पेट का ख्याल रखें।

श्री सभापति : आप इस बहस में क्यों पड़ते हैं।

श्री विजयसिंह : तो मैं बताना चाहता हूं कि झुन्झुनूं के प्रधान हैं थानाराम और एक सरपंच हैं बोरावड़ के। मिल कर उन्होंने 2400 रुपये का कर्जा उठा लिया। वापिस नहीं किया और आज दिन तक भी उनका कुछ नहीं हुआ। इनकी जांच कराई जावे कि वास्तविकता क्या है ?

लोगों ने हजारों लाखों का लोन ले रखा है। वसूल नहीं हो पा रहा है। जब कि राजस्थान सरकार घाटे में चल रही है। सरपंच पंच भाई भतीजों ने मिल कर लाखों का कर्जा-लोन उठा लिया। आज दिन तक उसकी वसूली नहीं हो रही है। तहसीलदार वसूली की कोशिश करता है तो ऊपर से टेलीफोन उसे रोक देते हैं। तो वसूली तक टाल दी जाती है। यह राजस्थान के हित में नहीं है।

वसूली का कार्यक्रम निर्धारित होकर इसे पूरा करना चाहिये। इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे कोई किसी का भी आदमी हो। अगर वास्तव में लोन दिया है तो आपका फर्ज है कि उसे रिकवर किया जाय। नहीं देने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

नागौर के बारे में आज ही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के समय कई बातें सामने आई कि कैसे क्या क्या होता है। पंचायतों की जीपों को तो अपने घर की जीपें समझ रखा है। अपने बाड़े में मकान में रखते हैं। पेट्रोल पंचायतों के खाते में डालते हैं और काम अपना करते हैं शादी–विवाह–मायरा और लड़कियों को उड़ाते रहने के काम में इनका उपयोग होता है। इन पंचायतों की जीपों में जाना शराब पीना ये सब भी चलता है।

पंचायतों की जीपों का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। शायद ही कोई बचो हो जहां ऐसा नहीं होता हो। डेगाणा की बात कहना चाहता हूं। प्रधानजी उस जीप में अस्पताल जाते हैं, सिनेमा का मन होता है तो सिनेमा देखने के लिये अजमेर जाते हैं और वापिस आते हैं। अजमेर के मदार गेट पर पान खाने की मन में आती है तो 50 पचपन मील चल कर पान खाने पधारते हैं। जल गया डेढ़ सौ का तो पेट्रोल उनके पान खाने और सिनेमा देखने में ही।

मकराणा के पास एक गांव में आग लगी। कई घर जल कर खाक हो गये। बी. डी. ओ. को इत्तला दी गई कि उनकी सहायता की जाय। बी.डी.ओ. हुक्म फर्माते हैं वहीं से कि सरपंच से लिखवा कर लाओ तो बात करेंगे। दूसरे दिन लिखवा कर लाये। बी. डी. ओ. ने ड्राइवर को चलने के लिये कहा तो कहा गया कि गाड़ी ठीक नहीं है। ठीक कराने के लिये ड्राइवर साहब उसे 55 मील दूर अजमेर ले गये। अब जो गाड़ी 55 मील अजमेर जा सकती है वह उस गांव में जो केवल 15 मील दूर था नहीं जा सकी।

(श्री विजयसिंह)

दूसरे दिन आर्डर दिया अकाउन्टेन्ट को और फिर आप जीप में पधारे। दस दस रुपया लोगों को दिया बीसेक घरों में। इससे क्या होता? उनके आंसू भी नहीं पोंछे जा सकते थे। पेट्रोल इससे तो कहीं अधिक बी. डी. ओ. साहब की जीप ने जला दिया। अगर दफ्तर में बैठे बैठे भी आर्डर दे देते तो जीप में जितना पैसा जल गया था उतने पैसे में दस दस की बजाय बीस बीस रुपया प्रति परिवार वे आसानी से दे सकते थे। इससे अच्छा तो यही होता कि वे सरपंच की रिपोर्ट पर ही तस्दीक करके 200 रुपया भेजने की बजाय 400 भेज देते।

दरअसल में पंचायती राज में सरपंच प्रधान प्रमुख जैसे लोगों को ही या इनके चमचों को भाई भतीजों को लोन मिला है, अपनी अपनी पार्टी वालों को मिला है। आज इसी का परिणाम है कि गांवों में खून खच्चर हो रहा है, पार्टीबन्दी चल रही है। जत्थे बने हुए हैं यह फलां पार्टी का है यह फलां का है। आज गांवों में इस प्रकार का जहरीला जीवन पनप रहा है इनके जरिये।

आज तो यह जहर इस सीमा तक पहुंच गया है कि अगर किसी ने किसी पंच सरपंच या गांव के मुखिया की मर्जी के खिलाफ जाकर किसी दूसरे को वोट दे दिया है तो उसका गांव में बहिष्कार कर दिया जाता है। आटा मांगने वालों का आटा बन्द कर दिया जाता है। दर्जी ने अगर खिलाफ वोट दे दिया है तो लोगों को उसकी दुकान पर नहीं जाने दिया जाता। इससे राजस्थान का अहित हो रहा है।

इसलिये निवेदन करूंगा कि इन पंचायत समितियों को तो आप तूली लगा दीजिये। इनमें लगे कर्मचारियों का आप और जगह उपयोग करिये। अगर ये भ्रष्टाचार के अड्डे पंचायत समितियां बन्द हो गई तो आप मन्त्रीजी घबराइये नहीं, आपको और कोई विभाग मिल जावेगा। इसलिये आप अपने मन्त्रित्व को न देखकर इन भ्रष्ट पंचायत समितियों को एक दम बन्द कर दीजिये। इनसे जनता को कोई लाभ नहीं है।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री **परसराम मदेरणा** (पंचायत मंत्री): माननीय सभापतिजी, सवाई माधोपुर और हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्यों ने खण्ड दो, तीन और चार में अपने संशोधन रखे हैं। वे तीन साल के स्थान पर 1।। साल रखवाना चाहते हैं। सवाई माधोपुर वालों को उत्तर पहले दे चुका हूं। जैसा वे चाहते हैं कि इन पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को तत्काल भंग कर दिया जावे और केवल पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए धारा 7 में किया गया संशोधन स्वीकार किया जावे।

बड़े बड़े मुद्दे सदन में रखे गये। टर्म्स आफ रेफरेन्स के मुद्दे में हमने निवेदन किया कि इस बारे में हमें क्या क्या करना है। पंचायत समितियों को आज के परिप्रेक्ष्य में हमें समझ कर उसका अध्ययन करके कुछ करना है इसके लिये अध्ययन दल हमें बनाने चाहिये। डिलिमिटेशन भी नये सिरे से किया जाना जरूरी है। ये दोनों ही मुद्दे वजनी हैं। 71 की सैंसस के आधार पर पंचायतों का चुनाव कराना

(श्री परसराम मदेरणा)
चाहते हैं क्योंकि पिछले दस सालों में काफी परिवर्तन हुए हैं आबादी काफी बढ़ी भी है। तो ये काफी वजनी कारण हैं।

छः महीने पहले समय बढ़ाया जाता हैं तो इसमें से तीन महीने तो निकल गये तो इस पीरियड में न तो सैंसस पूरी होने वाली है न डिलिमिटेशन का काम पूरा हो सकता है। इसलिये इस बारे में कोई भी सुझाव मानने में असमर्थ हूं।

हिण्डोली से आने वाले पंचायती राज के त्रिसूत्री ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की बात कहते है। अगर उनकी बात मान ली जावे तो सारे एक्ट में ही संशोधन करना पड़ेगा। इसलिये अब इसमें संशोधन का प्रश्न नहीं है।

श्री **हरिवल्लभ शर्मा** : तो आपका मतलब यह है कि माननीय सदस्यों की अवधि भी बढ़ा रहे हैं।

श्री **परसराम मदेरणा** : मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं वे क्लाज बाई क्लाज से तो सम्बन्धित हैं नहीं फिर भी जिन दो चार सरपंचों के बारे में निवेदन किया, प्रधान के बारे में भी कहा, चैनारामजी के बारे में भी कहा था।

श्री विजयसिंह : नागौर के बारे में भी कहा था।

श्री **परसराम मदेरणा** : नोहर से आने वाले ने नोट लिये थे–उनका उत्तर दे चुका था। आप उस समय अनुपस्थित थे।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपको जानकारी भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : 27-3-71 को जो आरोपों की सुनवाई हुई।

श्री भैरोंसिंह : वह तो तारीख लगातार बढ़ रही है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी अदालत में यह मामला है। यहां की बातों का मेरे पर असर नहीं पड़ना चाहिये, नहीं तो फैसले पर असर पड़ेगा। बोरावड़ के संबंध में मालूम नहीं, हाई कोर्ट का क्या फैसला हुआ। मेरे पास मामला आया, सस्पेण्ड किया। हाई कोर्ट में रिट हो गई तो रिइन्स्टेट कर दिया गया। अब यह तो हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का दूसरा फैसला हो गया हो तो इसकी जानकारी नहीं है मुझे। जो भी होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी। नाड़ा के फैक्ट भी मालूम नहीं।

वसूली के लिये कहा। इससे मैं सहमत हूं। वसूली निश्चित रूप से होनी चाहिये। जीपों के दुरुपयोग की बात कही गई। मैंने आदेश कर दिये हैं कि ये जीपें तहसीलदारों को वसूली के लिये दे दी जावें और कई जगह दे दी गई हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा।

श्री परसराम मदेरणा : बाकी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये वे विथड्रा करें।

Page No 123

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड दो का भाग चार स्वीकार किया जावें।

(स्वीकृत)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुए से निकाल कर खड्डे में डाल दिया जीपों को।

श्री परसराम मदेरणा : केवल वसूली वसूली के लिये दी हैं।

श्री सभापति : खण्ड तीन और चार में हरिवल्लभजी शर्मा और केसरीसिंह हाड़ा ने संशोधन रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो, तीन, चार पारित किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड दो, तीन और चार पारित किये गये।

पांच में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड पांच पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड पांच पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक अधिनियामक सूत्र, प्रस्तावना और नाम आदि स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियामक सत्र, प्रस्तावना, नाम स्वीकार किये गये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक 71 को स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक 1971 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5.20 बजे दिनांक 25-3-71 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 84 की सूची)

List of C. D. works constructed in the State time (Bundi to Blod via Ganesh Gnati.

Mile No. 1	1 Span Culvert size	4'x3'	Stone Slab roofing
	3 —do—	4'x3'	—do—
	1 Span —do—	4'x3'	—do—
	3 Span —do—	$5\frac{1}{2}$'x$2\frac{3}{4}$'	—do—
	1 Span —do—	4'x3'	—do—
	1 Span —do—	$5\frac{1}{2}$'x3'	—do—
	2 Span —do—	4'x5'	—do—
	2 Span —do—	4'x4'	—do—
Mile No. 2	1 Span —do—	4'x3'	—do—
	1 Span —do—	4'x3'	—do—
	1 Span —do—	4'x3'	—do—
	1 Span —do—	4'x3'	—do—
	1 Span —do—	4'x3'	—do—
	1 Span —do—	4'x3'	—do—
Mile No. 3	2 Span —do—	4'x3'	Arched.
	1 Span —do—	4'x3'	Stone Slab roofing
	1 Span —do—	6'x3'	—do—
	1 Span —do—	6'x3'	Arched.
	1 Span —do—	4'x3'	Stone Slab roofing
Mile No. 4	1 Span do	4'x3'	-do-
	Kharanja causeway	70' Long.	
	1 Span culvert	4'x3'	Arched.
	1 Span culvert	4'x3'	-do-
Mile No. 5	Kharanja cause way	30' long.	
	Drop wall		
	Drop wall		
	Drop wall		
	Kharanja causeway 80' Long.		
	Drop wall		
	Kharanja causeway 30' Long.		

Page No 125

Mile No. 6 Kharanja causeway 120' Long.

Kharanja causeway 80' long.

Kharanja causeway 38' long.

Drop wall.

Drop wall.

Dhanaka causeway

Kharanja causeway	200'x16½'
with 1 span	3'x5' Stone slab roofing
1 Span	10'x C. R. C. C. Slab

Uddan Causeway

Kharanja	100'x16' with
1 Span	3'x5' Arched.

Mej River Causeway

Kharanja	237'x16'
1 Span	5'x8' Arched.
1 Span	5'x4' Arched.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 88 की सूची)

सूची (अ)

1. चौंली निवाई रोड
2. मालपुरा लाम्बा हरीसिंह रोड
3. टोंक सवाई माधोपुर रोड
4. टोडारायसिंह नैगाडिया रोड
5. मालपुरा केकड़ी रोड
6. मालपुरा दूदू रोड
7. मालपुरा टोडारायसिंह रोड
8. लांबा हरीसिंह रोड, उनियारा खुर्द रोड
9. नायेड़ी पीपलू रोड

उपरोक्त सड़कों पर निर्माण कार्य हाथ में लिये गये हैं:––

निम्न सड़कों की विशेष मरम्मत के कार्य हाथ में लिये गये:–

1. टोंक देवली रोड
2. मालपुरा केकड़ी रोड
3. टोडारायसिंह घिराना रोड
4. दूनी सरौली रोड

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सेटलमेंट कार्य

90. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने जिलों का सेटलमेन्ट हो चुका है और कितने जिले बाकी हैं ? सेटलमेन्ट कब शुरू हुआ था ?

(2) जो बाकी हैं उनका सेटलमेन्ट कब तक हो जावेगा ?

(3) कितनी तहसीलें ऐसी हैं जिनका लगान कायम करके सेटलमेन्ट विभाग ने कागजात तैयार करके राजस्व विभाग को सौंप दिये हैं ?

(4) कितनी तहसीलें ऐसी हैं जिनका लगान अभी तक कायम नहीं हुआ है ?

(5) जिन तहसीलों का लगान अभी तक कायम नहीं हुआ है वह कब तक कायम कर दिया जावेगा ?

(6) क्या ऐसी तहसीलें भी हैं जिनका लगान बगैर सेटलमेन्ट किये ही नये सिरे से कायम कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 26 जिले हैं, जिनका सेटलमेंट पूर्ण हो चुका है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है (राजस्थान बनने से पूर्व विभिन्न स्टेटों में सेटलमेन्ट चालू था जो भिन्न भिन्न समय में होता रहा है)।

(2) कोई क्षेत्र का सेटलमेंट बाकी नहीं है। अतः प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) राज्य के 26 जिलों में स्थित 195 तहसीलों का रिकार्ड राजस्व विभाग को दिया हुआ है।

(4) ऐसी कोई तहसील नहीं है।

(5) ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं हैं।

(6) ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है।

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न सं. 87 की सूची)

श्री सागरमल दाधीच अधिशासी अधिकारी नगरपालिका नाथद्वारा के विरुद्ध लगाये गये आरोप।

आरोप नं. 1 :–– श्री सागरमल दाधीच अधिशासी अधिकारी, जब नगरपालिका नौहर में दिनांक 8–1–70 से कार्य करते थे उस समय आपने श्री पूनमचन्द छाजेड़ से 600/– 5 ट्यूब लाइट फिलिप्स कम्पनी की फिट करवाने के प्राप्त किये। आपने केवल 4 ट्यूब लाइटें ही लगाई जो भी फिलिप्स कम्पनी की नहीं थीं। इस प्रकार आपने श्री पूनमचन्द छाजेड़ व नगरपालिका को धोखा दिया व अपने पद का दुरुपयोग किया।

आरोप नं. 2 :–– श्री सागरमल दाधीच, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका नौहर में उस समय कार्य करते हुए ट्यूब लाइट्स जो श्री पूनमचन्द से प्राप्त की उनका इन्द्राज नगरपालिका के स्टाक रजिस्टर में नहीं किया। इस प्रकार आपने अपने कर्तव्य को भली भांति नहीं निभाया।

आरोप नं. 3 :–– श्री सागरमल दाधीच अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका नौहर में उक्त समय में कार्य करते हुए आपने सादुलपुर जाकर विद्युत मण्डल, में बैंक ड्राफ्ट सं. डी. 759658 दिनांक 14–4–70 का जमा करवाया गया किन्तु वास्तविक रूप में आपने वहां पर 541–56– जमा करवाये गये। आपने जो अधिक राशि विद्युत मण्डल में करवाई है उसका इन्द्राज नगरपालिका की रोकड़ बही में नहीं किया गया इस प्रकार आपने राजस्थान नगरपालिका लेखा नियमों की अवहेलना की।

आरोप नं. 4 :–– श्री सागरमल दाधीच, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका नौहर में उक्त समय में कार्य करते हुए श्री पूनमचन्द जी से 600/– प्राप्त किये न तो उनको रसीद ही दी गई और न ही उस राशि की नगरपालिका की रोकड़ बही में दिनांक 1–4–70 से 6–10–70 तक जमा की गई। इस प्रकार आपने अपने कर्तव्यों को भली प्रकार नहीं निभाया और लेखा नियमों का पालन नहीं किया।

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न सं. 84 की सूची)

S. No.	Head/Sub-Head Scheme	Forth Plan outlay Rs. 14 lacs
	URBAN WATER SUPPLY AND SANITATION	
1.	Water Supply Schemes	
(a)	Containing Schemes other than those financed through L.I.C. Loan	35.00
(b)	Schemes covered under L. I. C. Loan including new Schemes and re-organisation of existing schemes	1000.00
2.	Drainage Schemes	37.00
3.	Sewerage treat ment Plant	20.00
4.	Work Shop	08.00
		Total—1100.00 lacs.
1.	RURAL WATER SUPPLY SECTOR.	
(a)	Piped & Regional Water Supply Schemes including construction of tubewells	1600.00
(b)	Wells	175.00
(c)	Diggies in Rajasthan Canal Area	225.00
		Total—2000.00 laces.

परिशिष्ट–6

(अ. प्र. सं. 65 की सूची)

सूची

क्रम संख्या 1	नाम अधिकारी एवं पद 2	प्रशंसा पत्र 3	रुपये 4
1.	श्री चिमनसिंह निरीक्षक पुलिस सी.आई.डी. सी.बी.	एक प्रशंसा पत्र	150) रु.
2.	श्री मोहनसिंह आर. आई., चूरू	,,	35) रु.
3.	श्री राममेहरसिंह एस. एच. ओ. थाना चूरू	,,	20) रु.
4.	श्री भोपालसिंह रीडर एस. आई.	,,	20) रु.
5.	श्री जालीसिंह एस. आई. पु. थाना चूरू	,,	20) रु.
6.	श्री लालसिंह सी.आई.डी., सी.बी, एस. आई.	,,	50) रु
7.	श्री फतेहसिंह एच. पी., सी. आई. डी. सी. बी.	,,	20) रु.
8.	श्री विजयसिंह एच. सी. ए.पी. 96	,,	10) रु.
9.	श्री रामकुमार सिंह एच. सी. ए. पी. 77	,,	10) रु.
10.	श्री नसरुखान एच.सी.ए.पी.	,,	10) रु.
11.	श्री अमीन खान एच. सी. पी. एम. चूरू	,,	10) रु.
12.	श्री जोधराज आई. सी. 276 पी. एस. चूरू	,,	10) रु.
13.	श्री हकीम खान एफ. सी. 346 पी. एस. चूरू	,,	5) रु.
14.	श्री इलाही बक्स एफ. सी. 222 पी. एस. चूरू	,,	5) रु.
15.	श्री जयसिंह एफ. सी. 366	,,	5) रु.
16.	श्री शेरसिंह एफ. सी. 395	,,	5) रु.
17.	श्री मुकरब खान एफ. सी. 253	,,	5) रु.
18.	श्री गुमानसिंह एफ. सी. 301	,,	5) रु.
19.	श्री अली मोहम्मद एफ. सी. 325	,,	5) रु.
20.	श्री अब्दुल मजीद एफ. सी. सी. आई. डी.सी.बी. जयपुर	,,	20) रु.
21.	श्री सुगनसिंह एफ. सी. 593 ए.पी. चूरू	,,	5) रु.
22.	श्री भंवरसिंह एफ. सी. 590	,,	5) रु.
23.	श्री बदरीसिंह एफ.सी. 618 ए.पी. चूरू	,,	5) रु.
24.	श्री इनायत खां एफ. सी. 510 ए.पी.	,,	5) रु.
25.	श्री गोपालाराम एफ. सी. 523	,,	5) रु.
26.	श्री शैतानसिंह एफ. सी. 574	,,	5) रु.
27.	श्री रघुनाथसिंह एफ. सी. 607	,,	5) रु

1	2	3	4
28.	श्री हासन खान एफ. सी. 550	एक प्रशंसा पत्र	5) रु.
29.	श्री मदनसिंह एफ. सी. 575	,,	5) रु.
30.	श्री नेजूखान एफ. सी. 566	,,	5) रु.
31.	श्री भंवरखान एफ. सी. 500	,,	5) रु.
32.	श्री यासीन खान एफ. सी. 569	,,	5) रु.
33.	श्री मोहदीन खान एफ. सी. 510	,,	5) रु.
34.	श्री हसन खान एफ. सी. 113 सी.पी. ड्राईवर चूरू	,,	5) रु.
35.	श्री खान एफ. सी. 151	,,	5) रु.
36.	श्री शमशुद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन, नि. जोधपुर (इनफोरमर)	,,	200) रु.
37.	श्री इम्तीयास अली (इनफोरमर) वि. आर. ओ. खाटू	,,	150) रु.
		कुल योग :	845) रु.

इसके अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारी श्री शंकरलाल कल्ला निरीक्षक एवं श्री महरिया अपर अधीक्षक को इस सम्बन्ध में अवार्ड देने के लिये आई. जी. पी. ने राज्य सरकार को सिफारिश की है, जो विचाराधीन है।

Page No 132

परिशिष्ट–7

(अ. प्र. स. 74 की सूची)

सूची

क्रम सं	नाम तहसील	विचाराधीन मामलों की संख्या
1	2	3
		संवत् संख्या
1.	पाली	2025–448 2026–620 2027–4407 5475
2.	देसूरी	2020–198 2021–187 2022– 89 2023–687 2024–493 2025–381 2026–453 2488
3.	सोजत	2025–314 2026–166 2027–1019 1499
4.	खारची	2025–765 2026–750 2027–2036 3551
5.	रायपुर	2023–127 1726–1095 2027–3873 5795

1	2	3
6.	पाली	2025–561 2026–235 2027–782 ————— 1578 —————
7.	जैतारण	2023–86 2025–13 2026–73 2027–1249 ————— 1421

———

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 1971)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2		3	पू र्	पूर्ण
4		7	राजस्थान वि ान सभा	राजस्थान विधान सभा
,,	अन्तिम से	8	20 2	2022
,,	,,	4	श्री दि विज सिह	श्री दिग्विजय सिह
,,	,,	2	करें । –	करेंगे
,,	,,	2	निक	निकलें
5	अन्तिम से	6	नालामी	नीलामी
,,	,,	2	सिरकि ां	सिरकियां
6	,,	2	हु	हुये
11		4	लीजती है	लीजाती है
12		7	जताहै	जाता है
,,		12	लगन	लगान
16		6	जावं	जायां
,,	अन्तिम से	6	प्रासीजर	प्रोसीजर
17	,,	7	सम्पत्ति	सम्पत्ति
18	,,	9	मुग्रावज	मुग्रावजा
25	,,	8	बीगोद	दीगोद
34	,,	11	हें	दें
35		4	घनापाव	घनाभाव
36		5	मया	गया
,,	अन्तिम से	10	मरम्मव	मरम्मत
38	,,	10	1976-71	1970 71
42	,,	7	क	कह
,,	,,	2	स्थ	स्थगित
,,	,,	,,	रने	करने
50		12	66	65
50	अन्तिम से	11	ब्द	कुछ
64		10	कूपा	कृपा
65	अन्तिम से	1	कसके	किसके
66		4	वोर	वार

1	2	3	4
68	अन्तिम से 6	किए	लिए
79	,, 5	प्रतावों	प्रस्तावों
92	1	महदोय	महोदय
100	13	ललिया	ले लिया
,,	अन्तिम से 4	रामनन्द	रामानन्द
114	1	लोंग	लोग
115	15	कान्केवटेड	कानकावटेड
117	15	इनडायरैक्टवी	इनडायरेक्टली
119	2	रुप	रूप में
124	6	में	मैं
,,	अन्तिम से 1	भू	भूमि
126	9	निवेद	निवेदन
130	14	रजोरिया	राजोरिया
140	5	decntrati	decntrali
193	13	सम्बन्ध	सम्बन्ध
195	अन्तिम से 7	गिधारी लाल	गिरधारी लाल
,,	,, 6	जब	जने
201	,, 15	पंचायोंत	पंचायतों
211	3	सिफारश	सिफारिश
212	1	मदरणा	मदेरणा
213	17	नीय	माननीय
214			
215	अन्तिम से 4	बेंठ	बैठ
,,	,, 1	परकार	सरकार
219	,, 7	परसरम	परसराम
222	,, 3	सदस	सदस्य
237	,, 11	थी	श्री
241	6	पौंढे	पोंछे
242	अन्तिम से 6	परिप्रेक्ष्य	परिपेक्ष
243	7	सैंसस	सैंसस
246	6	सत्र	सूत्र
254	1	Forth	Fourth
254	1	हासन	हसन
,,	10	इनफोरमर	इनकोरमर